

००३२९



1287

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
निष्पादन मूल्यांकन
2001 की संख्या 3 ख

© भारत के नियंत्रक — महालेखापरीक्षक, 2001

मूल्य :

देश : रुपये 65.00

विदेश : अमरीकी डालर \$ 5

(डाक / हवाई खर्च सहित)

Presented in Parliament on

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
निष्पादन मूल्यांकन
2001 की संख्या 3 ख

የኢትዮጵያውያንድ የአዲስ ማኅበር ባንክ አገልግሎት

2

33

መተዳደሪያዎች

መተዳደሪያ II: የሚከተሉት ስራ ምርመራ ውስጥ አገልግሎት

1

1

ሙሉ ሰም የአባላት ዘመን አገልግሎት የሚከተሉት ስራ ምርመራ ውስጥ አገልግሎት

መተዳደሪያ I: የሚከተሉት ስራ ምርመራ ውስጥ አገልግሎት

III

I


ይህ

መተዳደሪያ

መተዳደሪያ

መተዳደሪያ

የኢትዮጵያውያንድ
የአዲስ ማኅበር ባንክ



प्रारम्भिक टिप्पणियां

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित पर पुनरीक्षण सम्मेलित हैं :

जल प्रदूषण से सम्बन्धित अधिनियमों (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय)
का कार्यान्वयन

तथा

खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम (खास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
का संचालन

वर्तमान प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

वर्तमान प्रतिवेदन में (i) जल प्रदूषण से संबंधित पर्यावरण अधिनियमों का कार्यान्वयन तथा
(ii) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का संचालन के ऊपर पुनरीक्षण शामिल किये गये हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

जल प्रदूषण से सम्बन्धित पर्यावरण अधिनियमों का कार्यान्वयन

जल (निवारण तथा प्रदूषण नियन्त्रण) अधिनियम 1974 का जल प्रदूषण के मामले को सम्बोधित करने तथा उपयुक्त विनियामक तत्वों के सृजन हेतु अधिनियम किया गया था । अधिनियम जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण तथा जल की स्वच्छता के अनुरक्षण या प्रत्यानयन के लिए प्रावधान पर विचार करता है । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय है तथा राज्यों में, पर्यावरण विभाग जल प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए जिम्मेवार है। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं । लेखाप्रक्षेपा पुनरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई राज्यों में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अपर्याप्त अनुपालन के कारण जल निकायों के प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण का उद्देश्य साधारण मात्रा तक भी प्राप्त नहीं किया गया था ।

- जल निकायों के प्रदूषण का प्रमुख खोत औद्योगिक इकाईयों तथा अनुपचारित घरेलू अवशिष्ट द्वारा बोहिलावों का निपटान था ।
- राज्यों में अधिकांश औद्योगिक इकाईयां राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये विना ही कार्य कर रही थी ।
- कुछ राज्य तो प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों की पहचान की प्रक्रिया को पूर्ण करने में भी विफल रहे थे ।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन उद्योगों, जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों को स्थापित नहीं किया था या इन सुविधाओं का संचालन नहीं करते थे, के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही करने में विफल रहे थे ।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गये निरीक्षण संतोषजनक नहीं थे । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्देशित निरीक्षणों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों के वास्तविक निरीक्षण में महत्वपूर्ण कमियां थीं ।
- राज्यों में स्थानीय निकायों के अपचालित एवं अपर्याप्त मलनिर्यास प्रणाली तथा गंदे जल के उपचार संयन्त्र, उत्तादित मल जल के भार के साथ मेल खाने में असमर्थ थे । तदनुरूप अनुपचारित घरेलू अवशिष्ट का जल निकायों में विसर्जित किया जा रहा था ।

नगर निगमों के अपर्याप्त साधन भी अनुपचारित घरेलू मलजल के लिए एक जिम्मेदार घटक थे।

- कर्सों में आपूर्ति किया गया फीने का पानी अपेक्षित मांप दण्डों के अनुरूप नहीं था, जो निवासियों के लिए परिणामी स्वास्थ्य खतरों को अनावृत कर रहा था।
- देश की प्रमुख नदियों पर बहुत सी प्रदूषण समाप्ति परियोजनायें प्रारम्भ करने के बावजूद बायो केमिकल आवस्तीजन मांग एवं कोलीफोर्मस के संदर्भ में जल की गुणवत्ता में निरन्तर हास हो रहा था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम का संचालन

आम जनता के संरक्षण तथा अपमिश्रण की सामाजिक बुराई का उन्मूलन करने के अंतिम लक्ष्य के साथ 1954 में खाद्य सामग्री में अपमिश्रण की रोकथाम के उद्देश्य से खाद्य सामग्री अपमिश्रण निवारण अधिनियम तैयार किया गया। अधिनियम का कार्यन्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा मंत्रालय इस मामले में सलाहकार की भूमिका निभाता है। अधिनियम के संचालन की लेखापरीक्षा समीक्षा विभिन्न मोर्चों पर विफलता के कई उदहारण प्रस्तुत किये। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संबंधी तथा खाद्य सुरक्षा स्तरों पर सुनिश्चितता की मात्रा को उपलब्ध कराने हेतु खाद्य प्रतिष्ठानों के स्तरों को नियमित करने पर अधिकतर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। राज्य सरकारें अधिकतर अपमिश्रित नमूनों के लिए अधियोजन लागू करने में सफल नहीं थी। उपरोक्ता जागरूकता तथा अधिनियम के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुए।

अधिनियम निम्नलिखित कारणों से अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा :

- अधिनियम के कार्यन्वयन में प्रथम चरण राज्य में खाद्य प्रतिष्ठानों को संचालित करने की संख्या को सुनिश्चित करने के आधार रेखा सर्वेक्षण को प्रारम्भ करना था। इसके बाद आंकड़ों पर आधारित खाद्य प्रतिष्ठानों के आवधिक सर्वेक्षण द्वारा अद्यतन करना था। लगभग प्रत्येक सभी राज्यों में, आवधिक सर्वेक्षण तो क्या, आधार रेखा सर्वेक्षण भी नहीं किये गये थे।
- उचित सर्वेक्षण तथा निगरानी करने की विफलता के फलस्वरूप बड़ी मात्रा में खाद्य प्रतिष्ठानों को लाइसेंस जारी किये गये।
- राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं में पर्याप्त संरचनात्मक सुविधाओं की कमी जैसे अपर्याप्त जांच सुविधाएं, विश्लेषकों के पदों की सिक्कता इत्यादि के कारण खाद्य नमूनों के विश्लेषण को हानि हुई।
- अभिनियोजन लम्बाग्रन एक तिहाई मामलों में भी प्रारंभ नहीं किया गया था जहां तक कि उनके मामलों में जहां अभिनियोजन प्रारंभ किया गया था, 50 प्रतिशत दोषमुक्त में समाप्त हुए।

• የዚህ ቀን በዚህ ማረጋገጫ እና አገልግሎት ቀን በዚህ ማረጋገጫ እና አገልግሎት
መሆኑን ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ
የሚከተሉ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል

• 1995-2000 ዓ.ም. የዚህ ቀን በዚህ ማረጋገጫ እና አገልግሎት ቀን በዚህ ማረጋገጫ
የሚከተሉ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ
የሚከተሉ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ
የሚከተሉ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ
የሚከተሉ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል

• የዚህ ቀን በዚህ ማረጋገጫ እና አገልግሎት ቀን በዚህ ማረጋገጫ እና አገልግሎት
መሆኑን ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል
የሚከተሉ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ
የሚከተሉ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ
የሚከተሉ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ ይችላል

ታኬታኬው ብቁ

ገኘጭዎን መልካክ ምድሮችን ፊል መልክቶ ማረ

ከላይና ተኩ ብኩ መልካክ

၁၆၂၃ မြန်မာ တရာ့ဝင် အမျိုးသမား နှင့် မြန်မာ တရာ့ဝင် အမျိုးသမား

11. **የኢትዮጵያ ቤት አስተዳደር ማረጋገጫ ቅዱስ ተብሎም**
የኢትዮጵያ ቤት አስተዳደር ማረጋገጫ ቅዱስ ተብሎም እና ትንተኞች ከፌዴራል ተከተለዋል

ପାତ୍ର

፡ በገዢ ስምምነት የሚ እንደሆነ ተስተካክለ በጥያቄዎች ተመሳሳይ ይችላል

የኢትዮጵያ ተቃስ ንግድ ማስታወሻ :I-ጥናት

राज्यों के बड़े नगरों में पेय जल की आपूर्ति प्रेयजल के निर्धारित सापेदार्डों के अनुरूप नहीं थी।

राज्यों में स्थानीय निकायों के पास अपर्याप्त मल व्यपन प्रणाली तथा जल मल उपचारित करने वाले संघर्षों के कारण घोरतू अवाशिष्ट बिना उपचारित किए ही जल निकायों व भूमि पर उत्सर्जित किया गया।

नगर पालिकाओं के पास मलजल निपटारे के अपर्याप्त संसाधनों के परिणामस्वरूप घोरतू मल जल तथा औद्योगिक बहिकाव को नवी में उत्सर्जित होने के कारण जल गुणवत्ता में बायो-कैमिकल आवर्तीजन की मात्रा तथा कुल कोलीफार्म के कारण नियावट आई।

1. प्रस्तावना

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 पहला विशेष तथा व्यापक विधान है जो जल प्रदूषण की समस्या की ओर ध्यान देता है। यह साथ-साथ जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियामक एजेन्सियों को भी निर्भित करता है। केन्द्र में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्यों में राज्य प्रदूषण बोर्ड, जो कि नियामक प्राधिकरण हैं, इस अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आए। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) लैस अधिनियम 1977 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित करने तथा इन नियामक एजेन्सियों के वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए अधिनियमित किया गया था।

2. जल अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

अधिनियम का आशय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण एवं जल की आरोग्यजनक दशा पुनर्स्थापित करना, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए बोर्डों की स्थापना हेतु ऐसे बोर्डों को अधिकार प्रदान करना एवं जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण एवं इससे संबंधित मामलों की व्यवस्था करना है।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के.प्र.नि.बो.) का गठन किया जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प.एवं व.मं.) के अंतर्गत कार्य करता है।

इसी प्रकार जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (रा.प्र.नि.बो.) का गठन बोर्ड को इस अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों को करने के लिए किया।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 18 में कहा गया है कि जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि राज्य बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुपालन में कमी करती है वह केन्द्रीय बोर्ड को राज्य बोर्ड के कार्य करने के लिए निर्देश दे सकती है।

3. जल अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय/राज्य बोर्ड के प्रमुख कार्य

जल अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- (i) राज्य में नदियों तथा कुओं के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण अथवा समापन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना तैयार करना तथा इसको निष्पादन करना,
- (ii) जल प्रदूषण तथा इसके निवारण, नियंत्रण अथवा समापन के सम्बन्ध में सूचना का एकत्रण तथा प्रसार,
- (iii) मलजल/बहिस्राव ढोने उपचार की अभिक्रिया के संयंत्रों का निरीक्षण तथा,
- (iv) मल जल के उपचार तथा बहिस्राव को ढोने के मानक निर्धारित करना तथा उनके निपटान के लिए प्रभावी विधियां प्रस्तुत करना।

4. लेखापरीक्षा कावरेज

लेखापरीक्षा का मूल उद्देश्य, प्रदूषण नियंत्रण नियमन करने वाले कानून, नियमों को लागू करने में दर्शाई गई अनुपालन की मात्रा का निर्धारण करना था। 1995-96 से 1999-2000 की अवधि को आवृत्त करते हुए 2000-2001 के दौरान लेखापरीक्षा में सर्वेक्षण, जल की गुणवत्ता तथा जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण अथवा समापन के लिए लागू की गई केन्द्र तथा राज्य योजनाओं के साथ जल की अभिक्रिया के लिए आरम्भ की गई योजनाओं के सम्बन्ध में 20 राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा निधियन तथा परीवीक्षण एवं केन्द्र और राज्यों के बीच जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण की योजनाओं के कार्यान्वयन के संयोजन के रचनातंत्र का मूलांकन भी किया गया।

5. संगठनात्मक ढांचा

सचिव की अध्यक्षता में प.ए.व.म. देश में प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण की एक नोडल एजेन्सी है। मंत्रालय द्वारा गठित के.प्र.नि.बो. का एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष है एक सदस्य सचिव, तथा केन्द्र सरकार करते हैं तथा प्रत्येक का राज्य बोर्ड के सदस्यों में से पांच सदस्यों को नामांकन किया जाता है। तीन गैर-सरकारी सदस्य कृषि मत्स पालन, उद्योगों से तथा दो सदस्य केन्द्रीय सरकार स्वामित्व/नियंत्रित कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राज्यों में सचिव की अध्यक्षता में पर्यावरण विभाग (कुछ राज्यों में वन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहित) पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य सरकारों ने पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने के लिए रा.प्र. नि.बो. का गठन किया है।

(क) केन्द्रीय निधियन

प.व.म. के.प्र.नि.बो. की योजनागत एवं योजनेतर गतिविधियों के लिए निधियन करता रहा है। मंत्रालय, राज्य सरकारों को, नदियों के जल की गुणवत्ता के संरक्षण एवं प्रदूषण समापन के लिए, केन्द्रीय प्रयोजित नदी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधियां भी प्रदान करता है। विशिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं के लिए रा.प्र.नि.बो. अनुसंधान संस्थानों महाविद्यालयों, गैर सरकारी संस्थानों एवं आद्योगिक इकाईयों को भी निधियां जारी की जाती हैं।

(i) राज्यों में विशिष्ट योजनाओं परियोजनाओं के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सहायता

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों एवं संघ शासित क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों (सा.शा.क्षे.प्र.नि.म.) के विशिष्ट योजनाओं/अव्ययों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। रा.प्र.नि.बो./सा.शा.क्षे. प्र.नि.स. द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं/अव्ययों की, के.प्र.नि.बो./सा.शा.क्षे.प्र.नि.स. की सलाह के साथ मंत्रालय में जांच की जाती है। तब रा.प्र.नि.बो./सा.शा.क्षे.प्र.नि.स. को किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आगे की किस्तों, उनसे प्राप्त पिछली किस्तों के उपयोग प्रमाणपत्र एवं व्यय विवरणियों के सत्यापन के बाद ही जारी की जाती है। प्रदूषण समापन के लिए सहायता के रूप में नवम पंचवर्षीय योजना में 12.75 करोड़ रु. के प्रति केवल 3 करोड़ रु. ही, मार्च 2001 तक, उपयोग हुआ था।

12.75 करोड़ रु.
प्रति मार्च 2001
तक केवल 3
करोड़ रु. का ही
उपयोग किया
गया था।

प.व.म., गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु के राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को, भी इन राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की क्षमताओं को बढ़ाने एवं परवीक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से संयंत्र की अधिप्राप्ति की व्यवस्था के लिए, भी सहायता प्रदान करता है।

(ii) नदी कार्य योजनाओं के लिए निधीयन

1 अप्रैल 1997 से पूर्व, नदी कार्य योजनाओं, अर्थात् गंगा कार्य योजना प्रथम एवं द्वितीय चरण तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों को केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच बराबर बांटा जाता था। यद्यपि आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलीय समिति (आ.म.म.स.स.) ने 1998 में, इन परियोजनाओं का 1 अप्रैल 1997 से 100 प्रतिशत निधियन पारित किया था। कार्य योजना में, अवरोधन एवं विपथन योजनाएं, जलमल उपचार संयंत्रों का निर्माण, स्नान-घाटों, विद्युत दाहागृह, समुदायिक शैचालयों का निर्माण तथा दूसरी विविध परियोजनाएं शामिल थी। राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वयन एंजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (पि.प.रि.) की राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (रा.न.सं.नि.) तथा प.व.म. के विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाती है तथा उसके बाद प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्कृति प्रदान की जाती है। नदी कार्य परियोजनाओं के लिए किया गया कुल प्रावधान, व्यय एवं अव्ययित प्रावधान निम्नलिखित था:-

(करोड़ रु. में)

नदी कार्य योजनाओं के अन्तर्गत किये गये 485 करोड़ रु. के प्रावधान में से केवल 30 प्रतिशत ही खर्च किया गया था।

कार्य योजना	वर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	अव्ययित प्रावधान
गंगा कार्य योजना प्रथम चरण	1997-98	5.30	3.30	2.00
	1998-99	8.73	2.50	6.23
	1999-2000	2.00	-	2.00
गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण	1997-98	86.00	82.30	3.70
	1998-99	165.00	87.43	77.57
	1999-2000	120.00	90.38	29.62
राष्ट्रीय नदी कार्य योजना	1997-98	14.00	10.74	3.26
	1998-99	14.00	14.00	-
	1999-2000	70.00	62.05	7.95

योजनाओं की प्रगति धीमी थी तथा निधियों का उपयोग संतोषजनक नहीं था।

(iii) सामूहिक बहिःस्नाव उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए सहायता

बस्तियों में स्थित छोटी तथा मध्यम वर्ग इकाईयों द्वारा छोड़ी ठोस द्रव तथा द्रवित गैस अवशिष्ट के उपचार तथा निपटारण हेतु अपनाने, संचालन करने तथा रखरखाव के लिए मुख्यरूप से बनाई गई एक कम्पनी अथवा समिति योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए योग्य हैं। भारत सरकार परियोजना लागत का 25 प्रतिशत वित्तपोषित करती है। 25 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाना है तथा 20 प्रतिशत प्रोत्साहक द्वारा योगदान किया जाना है तथा बाकी 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किया जाएगा। ऋण अंश की प्राप्ति के लिए वित्तीय संस्थान की पहुंच के लिए एक कम्पनी के लिए रा.प.नि.बो. की सहमति ही पर्याप्त है। केन्द्रीय सरकार अपने अनुरूपयोगी योगदान को राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये के आधार पर जारी करती है।

मार्च 2000 तक, 89 सामूहिक बहिःस्नाव उपचार संयंत्र (सा.ब.उ.सं.) वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदित किये गये थे। स्वीकृत किये गये सा.ब.उ.सं. के विवरण नीचे दिये गये हैं:-

सा.ब.उ.स. की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/सं.राक्षे. का नाम	मास वितरित सहायकी (लाख रु.में)	साल उ.स. की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	132.00	3
2.	दिल्ली	2300.00	15
3.	गुजरात	735.42	7
4.	हिमाचल प्रदेश	12.60	4
5.	हरियाणा	11.89	1
6.	कर्नाटक	98.84	3
7.	मध्य प्रदेश	96.00	3
8.	महाराष्ट्र	267.43	9
9.	पंजाब	19.95	4
10.	राजस्थान	100.00	2
11.	तमिलनाडु	1934.08	36
12.	उत्तर प्रदेश	95.75	2
कुल योग		5803.96	89

ख. राज्य निधीयन

जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 35 के अनुसार, राज्य सरकार, उचित विनीयोजन के पश्चात जैसा कि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्णय लिया गया था, प्रत्येक वर्ष ऐसा योगदान राज्य बोर्ड के लिए मंजूर किया जाता है, यदि आवश्यक समझे तो, ताकि बोर्ड अपने कार्यों का निष्पादन कर सके।

ग. राज्य बोर्ड की अपनी प्राप्तियां

राज्य बोर्ड की आय के दूसरे मुख्य साधन, जल उपकर का अंश, सहमती शुल्क, नमूना जांच शुल्क, आवेदन फार्म की बिक्री से प्राप्ति के.प्र.नि.बो. से वित्तीय सहायता, से इसकी अपनी प्राप्तियां, थे। वर्ष 2000-2001 के दौरान जल उपकर का केन्द्रिय अंश के रूप में कुल 43.32 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि यद्यपि राज्य बोर्ड के कुल व्यय का दो तिहाई से अधिक स्टाफ तथा प्रशासन का था, तकनीकी तथा इंजीनियरिंग संवर्ग में उनमें से अधिकतम स्थान खाली थे, जो उन्हें सौंपे गये कार्यों के निर्वाह के लिए कमज़ोर बनाते थे।

प्रदूषण निवारण से सम्बन्धित संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करने में विभिन्न राज्य सरकारों की विफलता के परिणामस्वरूप समय समय पर निधियां का अनुपयोग हुआ। 1 अप्रैल 2000 को 9 राज्यों में 145.95 करोड़ रुपये की समग्र निधियां अव्यायित पड़ी थी, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

(करोड़ रु.में)

राज्यों के नाम	अव्यायित राशि
आन्ध्र प्रदेश	34.32
गुजरात	19.95
हरियाणा	16.27
जम्मू तथा कश्मीर	0.71
पंजाब	28.94
राजस्थान	10.50
त्रिपुरा	1.80
उत्तर प्रदेश	27.52
पश्चिम बंगाल	5.94
जोड़	145.95

अप्रैल 2000 को
145.95 करोड़
रु. रा.प्र.नि.बो.
के पास अव्यायित
पड़े थे।

7. स्कीमों / परियोजनाओं का परिवीक्षण

मंत्रालय में, प्रदूषण समापन स्कीमों की समीक्षा तथा परिवीक्षण आन्तरिक मूल्यांकन के माध्यम तथा के.प्र.नि.बो. एवं रा.प्र.नि.बो. द्वारा भी होता है।

विभिन्न नदियों की कार्य योजना जैसे गंगा कार्य योजना चरण-I तथा चरण-II तथा राष्ट्रीय नदी संख्यन नदी योजना का परिवेक्षण एक ऐपेक्स बोर्डी तथा प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय नदी संख्यन प्राधिकरण (रा.न.सं.प्रा.) जिसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित होती है, द्वारा होता है। रा.न.सं.प्रा. की 1994 से मार्च 2000 तक की अवधि के दौरान केवल दो बार ही बैठक हुई थी। विभिन्न रकीमों का कार्यान्वयन सचिव, प. एवं व.मं. की अध्यक्षता वाली तथा सम्बन्धित राज्यों के सदस्यों वाली स्टीयरिंग कमेटी तथा के.प्र.नि.बो. तथा अनुसंधान संगठनों द्वारा भी होता है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठकें तीन महीने में एक बार आयोजित की जाती है। इसके अलावा रा.न.सं.पि., प. एवं व.मं. क्षेत्रीय दोष तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं। रा.न.पं. वि. ने एक फोर्मेट बनाया है जिसमें कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रत्येक महीने विभिन्न परियोजनाओं की प्रत्यक्ष प्रगति प्राप्त की जाती है। जल अधिनियम की धारा 8 के अनुसार के.प्र.नि.बो. को धाराओं तथा अन्य जल निकायों के मापदण्डों को बनाने, विभिन्न खोतों द्वारा प्रदूषण उत्सर्जन के मापदण्ड निर्धारित करने तथा जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या समाप्ति की योजनागत रकीमों से सम्बन्धित अपनी गतिविधियों की समीक्षा के लिए तीन महीनों में कम से कम एक बैठक आयोजित करना आवश्यक है।

8. प्रदूषण फेलाने वाले लद्यों की पहचान के लिए सर्वेक्षण

जल अधिनियम की 1988 में संशोधित धारा 25 के अनुसार यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति रा.प्र.नि.बो. की पूर्ण सहमति के बिना:-

- (क) किसी उद्योग को स्थापित या स्थापित करने के लिए कदम उठाना, संचालन या प्रक्रिया या किसी मलजल को उपचार कर निपटारे की प्रणाली लगाना या एक विस्तार या उसमें बढ़ोतरी करना, जिससे मल जल, या व्यवसायिक बहिःसाव का नदी या कुरें या मल निवास में यां जगमन पर उत्सर्जन होता हो, या
- (ख) गन्दे पानी के उत्सर्जन के लिए नई या परिवर्तित आउटलेट का प्रयोग करना

बोर्ड द्वारा प्रदूषित इकाईयों की पहचान करना तथा निकटता से उनका परीक्षण करता है। राज्यों में प्रचलित प्रदूषित इकाईयों की पहचान करना तथा सुधारात्मक उपायों से सम्बन्धित सूचनाओं का अद्यतन करना आवश्यक था।

यद्यपि अधिकांश राज्यों में यह देखा गया है कि इन प्रदूषित इकाईयों की पहचान के लिए पर्याप्त सर्वेक्षण नहीं किया गया। त्रिपुरा में सर्वेक्षण के दौरान एकाक्रित की गई सूचना अधूरे सर्वेक्षण के कारण, उद्योग तथा वाणिज्यिक निदेशक के अधिलेखों में उपलब्ध सूचना से काफी भिन्न थी। इसलिए बोर्ड, इन राज्यों में जहाँ पर बोर्ड से कल्याणेस प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना उद्योग विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किए गए थे, बोर्ड ऐसे मामलों की पहचान करने की स्थिति में नहीं था।

9. संवैधानिक सहमति के बिंग कार्यशील नगरपालिका निकाय / उद्योग

अधिकांश राज्यों में ऐसी कोई क्रियाविधि नहीं थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि औद्योगिक इकाईयां बोर्ड की सहमति प्राप्त करने के बाद कार्य कर रही थी।

जल अधिनियम 1974 की धारा 25(1) के अनुसार, प्र.नि.बो. की पूर्ण सहमति के बिना कोई भी नगरपालिका निकाय/उद्योग किसी नदी/कुर्झे अथवा भूमि पर मलजल अथवा व्यावसायिक बहिष्ठावाह का प्रसाव नहीं करेगा। इस प्रकार प्रदान की गई सहमति निर्धारित शुल्क पर दो वर्ष की अवधि के पश्चात् नवीकृत की जानी थी। प्र.नि.बो. पहले प्रदान की गई सहमति के लिए इनकार कर सकता है यदि नवीकरण के लिए आवेदन न किया गया हो। इन प्रावधानों के उल्लंघन में प्र.नि.बो. जल अधिनियम 1974 की धारा 25(5) के अंतर्गत दोषी औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध अभियोजन लगा सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1997 में निर्देश दिया था कि के.प्र.नि.बो. तथा स.प्र.नि.बो. नगरपालिका निकायों तथा उद्योगों सहित प्रत्येक द्वारा जल अधिनियम 1974 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। विभिन्न राज्यों में प्रासंगिक अभियों की नमूना जांच से पता चला कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इकाईयां केवल वैद्य सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य कर रही थी, अधिकतर राज्यों में ऐसी कोई क्रियाविधि नहीं थी।

विभिन्न राज्यों में उपर्युक्त प्रावधानों की अनुपालन के विवरण निम्न प्रकार थे:-

गुजरात

1380 मामलों में बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई थी। यह जांच करने के लिए कि क्या इकाईयां प्रार्थना पत्रों के रद्द करने के/सहमति के नवीकरण न करने के पश्चात् कार्य कर रही थी, तथा उन मामलों में जहां ये बहिष्ठावाह का प्रस्ताव कर रहा थी को बद्द करने/शास्ति लगाने की कोई यन्त्रावलि नहीं थी। 30 कपड़ा मिले तथा डाइनिमां इकाईयां छ: माह से 16 वर्षों तक बिना सहमति के कार्य कर रही थी।

हरियाणा

2867 प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों, जैसे कि बोर्ड द्वारा पहचान की गई थी, में से 611 इकाईयां सहमति प्रदान करने के लिए आवेदन किये बिना चल रही थी।

हिमाचल प्रदेश

58 नगर पालिका/अधिसूचित क्षेत्र पालिकाओं में से केवल एक नगर पालिका को सहमति प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त 122 सरकारी अस्पताल तथा जन स्वास्थ्य केन्द्र थे जिनमें से किसी भी मामले में सहमति मार्गी/प्रदान नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिले में दो औद्योगिक इकाईयां क्रमशः 10 तथा 16 वर्षों से बोर्ड से कोई सहमति प्रदान किये बिना चल रही थी।

जम्मू व कश्मीर

बोर्ड ने 1995-2000 के दौरान 489 औद्योगिक इकाईयों जिन्होंने आवेदन किया था में से 357 को सहमति प्रदान की। सहमति इन इकाईयों द्वारा व्यावसायिक विहिषणवाह प्रसाव का कोई विश्लेषण किये बिना मनमाने ढंग से दी गई थी। आगे नमूना जांच से पता चला कि जम्मू में 6 उच्च प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों तथा 4 डिस्ट्रिक्शियां बोर्ड की सहमति के बिना चल रही थी।

कर्नाटक

राज्य में 9012 उद्योगों में से 6891 चालू उद्योगों की सहमति की आवश्यकता वालों के रूप में पहचान की गई थी। तथापि इनमें से 2169 उद्योग बोर्ड की सहमति के बिना चल रहे पाये गये।

महाराष्ट्र

15 नगर निगम तथा 219 नगर परिषदों में से 13 नगर निगम तथा 218 नगर परिषदों के पास मार्च 2000 तक कोई वैध सहमति नहीं थी। 15 नगर परिषदों में से दस ने सहमति के लिए आवेदन भी नहीं किया था। नगर निकायों के विरुद्ध नोटिस जारी करने के सिवाय बोर्ड ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की थी।

मेघालय

77 उद्योगों ने मार्च 2000 तक सहमति के नवीकरण हेतु आवेदन नहीं किया था जबकि अंतिम वार्षिक सहमति की वैधता सितम्बर 1989 तथा फरवरी 1999 के बीच समाप्त हो गई थी।

स्थानीय निकायों अर्थात् शिलांग तथा दूरा में 2 नगरपालिकाओं तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में नगर समितियों ने मार्च 2000 तक बोर्ड से न कोई सहमति प्राप्त की थी। बोर्ड ने इन स्थानीय निकायों द्वारा प्रक्षाव किये गये विहिषणवाह का स्तर सुनिश्चित नहीं किया था।

उड़ीसा

मार्च 1999 तक उड़ीसा में 102 शहरी स्थानीय निकाय थे। परन्तु इसमें से किसी को भी जल अधिनियम के अन्तर्गत उ.प्र.नि.बो. के प्रबन्धन के अन्तर्गत सहमति प्रदान नहीं की गई थी।

पंजाब

मार्च 2000 तक बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाले 5745 उद्योगों में से 3317 जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पहचान के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से की। इन में से 930 को इस अवधि के दौरान स्वीकृति प्रदान की गई थी। जलमल की उच्चतम मात्रा का उत्सर्जित करने वाले 4 नगर निगमों (अमृतसर, जालंधर, सुधियाना, तथा पटियाला) एवं 125 नगर समितियों (न.स.) में से केवल 32 ने ही

1994-99 के दौरान स्थीकृती के लिये आवेदन दिये थे। केवल 6 को ही सशर्त स्थीकृति प्रदान की गई थी।

राज्य बोर्ड ने उन स्थानीय निकायों जिन्हेंने स्थीकृति के लिये आवेदन नहीं किया, के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी। यद्यपि 773 मामलों में नवीकरण स्थीकृति अपेक्षित थी, परन्तु केवल 642 इकाईयों ने ही नवीकरण के लिए आवेदन किया। जिन 131 इकाईयों ने नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था, राज्य बोर्ड ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही आस्था नहीं की थी।

राजस्थान

पहचानी गई 1670 उच्चतम प्रदूषण फेलाने वाली इकाईयों के प्रति 1317 बिना सहमति के चल रही थी। अन्य प्रदूषित इकाईयों के मामलों में से, 1326 इकाईयों सहमति के बिना चल रही थी। बोर्ड ने इन इकाईयों को स्थीकृति के अन्दर लाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी।

तमिल नाडु

बोर्ड द्वारा पहचानी गई 20532 इकाईयों में से, 18229 इकाईयों ने स्थीकृति के नवीकरण के लिए आवेदन किये थे तथा मार्च 2000 तक 15425 इकाईयों को स्थीकृति जारी की गई थी। नवीकरण के लिए अपेक्षित की अवधि के काफी उपरात भी 198 प्रदूषण उद्योगों, के स्थीकृति का नवीकरण नहीं किया गया था। उद्योग बिना स्थीकृति के संचालित हो रहे थे।

त्रिपुरा

बोर्ड द्वारा पहचानी गई 2422 औद्योगिक इकाईयों में से 1137 इकाईयों के सम्बन्ध में स्थीकृति दी गई थी तथा 1988-2000 के दौरान 547 इकाईयों के बारे में नवीकरण की स्थीकृति प्रदान की थी।

प.ए.ब.मं. को जुलाई 2001 में लेखा पुनरीक्षण जारी करने के परिणामस्वरूप के.प्र.नि.बो. ने अगस्त 2001 में सभी रा.प्र.नि.बो. तथा प्र.नि.स. को बिना वैध स्थीकृति के संचालित उद्योगों की पहचान करने तथा उनके विरुद्ध समुचित कानूनी कार्यवाही और जहाँ कहीं आवश्यक हो ऐसी इकाईयों को तुरन्त बन्द करने के निर्देश दिए।

प्रदूषण फेलाने वाले उद्योग, जिन्हेंने बहिकाव उपचार संबंध नहीं लगाए थे या लगाए गए संबंधों का प्रबलतन नहीं किया था, के विरुद्ध राज्य बोर्ड ने प्रामाणी कार्यवाही नहीं की।

10. बहिकाव उपचार संयन्त्र (ब.उ.स.) के बिना उद्योग

जल अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत किसी विषेले या प्रदूषण फैलाने वाले पर्यावरणों का प्रबलतन नहीं को किसी नदी अथवा कुएं अथवा मलव्यवस्था या जमीन में (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर नहीं डालेगा या अनुमति देगा।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा बनाई गई कार्य योजना के अनुसार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1551 प्रदूषण फैलाने वाले बड़े तथा मध्यम उद्योगों की पहचान की, जो 17 श्रेणियों में 31 दिसम्बर 1991 को या इससे पहले प्रचलन में थी। फरवरी 1992 में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बहुत अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को जून 1994 तक व.उ.सं. प्रतिष्ठापित करने थे। रा.प्र.नि.बो./प्र.नि.स. द्वारा प्रगति की समीक्षा की गई तथा के.प्र.नि.बो. द्वारा आंकड़े संकलित किए गए तथा प. एवं व. मंत्रालय को भेजे गए। 30 जून 2001 को 1348 इकाइयों के पास मानकों के अनुसार उचित प्रदूषण सुविधाएं थी, 176 इकाइयां बन्द हो गई थी तथा 27 इकाइयां चूककर्ता थी। एक जनवरी 1992 को या इसके बाद प्रचलन में आए बड़े और मध्यम उद्योगों को सूचिबद्ध करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका था। रा.न.सं.प्रा. द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, के.प्र.नि.बो. ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कहने पर जुलाई 1997 में समस्त रा.प्र.नि.बो./प्र.नि.स. को अनुदेश जारी किए जिनमें उनसे अपेक्षा की गई थी कि वे चूककर्ता उद्योगों (बहिस्त्राव नदियों और झीलों में छोड़ने वाले) को बहिस्त्राव उपचार के लिए तीन महीने के अन्दर कार्यवाही करने के लिए अनुदेश जारी करें जिसके अभाव में बन्द करने का नोटिस जारी किया जाएगा। 30 जून 2001 तक 608 उद्योगों ने अपेक्षित उपचार सम्बन्धित सुविधाएं प्रदान कर दी थी, 236 इकाइयां बन्द हो गई थीं और दोषी पाई गई 7 इकाइयों के विरुद्ध बन्द करने के लिए कार्यवाही प्रगति पर थी।

बहुत से राज्यों में बहिस्त्राव उपचार संयंत्र/सामूहिक बहिस्त्राव उपचार संयंत्र या तो स्थापित नहीं किए गए थे या स्थापित किए गए संयंत्रों की संख्या अपर्याप्त थी। जैसा कि नमूना जांच द्वारा प्रकट हुआ, विभिन्न राज्यों में ब.उ.सं. के स्थापना की स्थिति निम्नलिखित थी।

आंध्र प्रदेश

भारत सरकार/बोर्ड, 237 अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग तथा 75 सकल रूप से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पहचान (सितम्बर 2000) कर चुका था। यद्यपि बोर्ड ने अभी तक इन उद्योगों में से किसी के भी विरुद्ध कोई प्रभावकारी कार्यवाही नहीं की थी।

कात्रेन औद्योगिक क्षेत्र (हैदराबाद) में चालीस अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग बिना व.उ.सं. के चल रहे थे। इन उद्योगों द्वारा उत्पन्न बहिस्त्राव को या तो उनके परिसर की भूमि के अन्दर डाला जा रहा था या आस पास के खुले क्षेत्र को दूषित करता हुआ फैल रहा था। प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के अतिरिक्त राज्य बोर्ड द्वारा, इन उद्योगों द्वारा फैलाये गये प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कोई प्रभावकारी उपाय नहीं किये गये थे।

राज्य में 240 औद्योगिक क्षेत्र हैं, परन्तु भारत सरकार की सहायता से 3 औद्योगिक विकास क्षेत्रों में केवल 3 सा.ब.उ.सं. घटापित किये गये थे।

विहार

राज्य बोर्ड ने अधिनियम में नियमित संविधानिक मानकों के अनुपालन न करने वाले उद्योगों को सशर्त स्वीकृति प्रदान की थी। उष्णीय, रसील तथा चमड़ा संरचन तथा विशिन मद्य-निर्माण शालाओं में या तो बा.उ.सं. थे नहीं या खपित किए गए बा.उ.सं. बहिसाव के उपचार के योग्य नहीं थे जिस कारण आसपास की नदियों तथा दूसरे जल निकायों को प्रदूषित कर रहे थे।

गुजरात

राज्य में 170 विकसित तथा परियालन औद्योगिक क्षेत्रों के विरुद्ध, केवल 10 सा.बा.उ.सं. ही प्रचलन में थे। बोर्ड द्वारा सा.बा.उ.सं. की बहिसाव गुणवत्ता के अन्तर्गत तथा बहिर्गम दोनों के लिए प्रतिमान निर्धारित किये गये थे। अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि सा.बा.उ.सं. का निष्पादन औद्योगिक बहिसाव के उपचार की शर्तों की तुलना में घटिया था। बोर्ड द्वारा निर्धारित खुलियों से सभी सा.बा.उ.सं. पर अन्तर्गम बहिसाव की खुलियां अधिक थीं जो यह दर्शाता है कि सा बा प्र सं. में छोड़ने से पूर्व, विशिष्ट सदस्य बहिसाव का प्रथम उपचार प्रभावशाली ढंग से नहीं कर रहे थे। कोई भी सा.बा.उ.सं. उपचारित बहिसावों को बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार नहीं छोड़ रहा था। यद्यपि बोर्ड द्वारा, कारण बताओ नोटिस जारी करने के अतिरिक्त कोई भी दंडात्मक कार्रवाही नहीं की गई थी।

हरियाणा

यद्यपि, 31 मार्च 2000 को राज्य में 1535 प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की इकाईयों काम कर रही थीं, केवल 996 इकाईयों में ही बा.उ.सं. स्थापित किये गये थे। शेष 539 इकाईयों में या तो उपचार सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं या अपर्याप्त सुविधायें थीं। बोर्ड ने 7 इकाईयों के विरुद्ध अभियोग चलाना प्रारम्भ किया, 100 इकाईयों को बन्द करने के आदेश जारी किये, तथा शेष 432 इकाईयों को कारण बताओ नोटिस जारी किये।

तथापि राज्य में औद्योगिक मन्दी तथा बेरोजगारी को बचाने के लिए बोर्ड द्वारा यह फैसला किया गया था (मई 1998) कि कोई भी उद्योग याहे प्रदूषण फैलाने वाला हो या अज्ञाबदेह, बन्द नहीं किया जायेगा। इस प्रकार बोर्ड के क्रियान्वयन न करने वाली इकाईयों को बन्द करने के अधिकारों का, कम प्रयोग किया गया था।

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम (ह.रा.ओ.वि.नि.) जो राज्य में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है, ने 11.08 - लाख लीटर बहिसाव प्रतिदिन उपचार करने की क्षमता वाले एक सा.बा.उ.सं. का कुन्डली में निर्माण किया। यह अंपर्याप्त था, क्योंकि इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न इकाईयों द्वारा 9 लाख लीटर प्रतिदिन अनउपचारित बहिसाव छोड़ा जा रहा था। पर्यावरण विभाग ने 1997-98 के दौरान

21.64 लाख रुपये अर्थसहायता के रूप में, 4.63 लाख लीटर प्रतिदिन बहते वहिकाव के उपचार हेतु जीन्द तथा मुख्यल में सा.ब.उ.सं. के निर्माण हेतु जारी किये थे, तथापि, जीन्द में सा.ब.उ.सं. का केवल प्रथम चरण ही पूरा हुआ था तथा मुख्यल में कोई सा.ब.उ.सं. अभी तक निर्मित नहीं हुआ था।

हिमाचल प्रदेश

बोर्ड ने प्रदृष्टित उद्योगों की कुल संख्या की पहचान नहीं की थी, जिस को अ.उ.स. की आवश्यकता थी परन्तु मार्च 1999 तक 1401 औद्योगिक इकाईयों को स्वीकृति प्रदान की थी।

बद्धी, जरस्तुर, परवानू तथा ऊना क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिलेखों से पता चला कि सोलन में चार बड़ी इकाईयों में उपलब्ध कराये गये अ.उ.स. संतोष ढंग से कार्य नहीं कर रही थी इस कारण जल निकायों को प्रदृष्टित किया जा रहा था। जस्तोर तथा ऊना क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आती इसकी सात कार्यशालाओं में हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा अ.उ.स. उपलब्ध नहीं कराया गया था। दाण्डिक कार्यवाई चूककर्ता इकाईयों के प्रति अभी तक नहीं की गई थी।

कर्नाटक

मार्च 1999 तक, 6891 संचालित उद्योगों में से, 6120 (89 प्रतिशत) ने अ.उ.स. स्थापित कर लिए थे। बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदृष्टित पहचानी गई 120 उद्योगों में से, 99 ने मार्च 1999 तक अ.उ.स. स्थापित कर लिए गए थे। बोर्ड ने 1994-99 के दौरान 14 चूककर्ता इकाईयों बन्द कर दी थी। बाकी 7 उद्योगों में अ.उ.स. पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के छ. वर्ष पश्चात भी समर्पण नहीं किया गया था। तदनंतर इन उद्योगों में से बोर्ड ने तीन बद्द कर दिये थे।

केरल

छ. उद्योग जिनको मई 1991 तथा जून 2000 के बीच निर्धारित दिनांकों द्वारा अ.उ.स. प्रारंभ करने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई थी अप्रैल 2000 तक अ.उ.स. स्थापित नहीं किये थे। यह सभी इकाईयां बिना किसी उपचार के जल निकायों में अवश्यक छोड़ रही थी।

15 इकाईयों में स्थापित की गई अ.उ.स. उचित रूप से कार्य नहीं कर रही थी। 11 इकाईयों में, जहां अ.उ.स. अपर्याप्त पाये गये थे, अ.उ.स. को बढ़ाने की बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन पर मार्च 2000 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

मेघालय

बोर्ड के पास उपलब्ध आंकड़े से पता चला कि 12 उद्योगों ने मार्च 2000 तक अ.उ.स. का निर्माण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। बोर्ड ने यद्यपि, इन 12

इकाईयों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की थी तथापि उन पर पूर्ति सूचना की तिथि से 7 से 38 माह की पर्याप्त अवधि मार्च 2000 तक पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

मध्य प्रदेश

77 उद्योगों ने 1998-99 के अन्त तक अ.उ.सं. स्थापित नहीं किये थे। 1994-95 से 1999-2000 के दौरान सा.अ.उ.सं. की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया था। बोर्ड ने बताया (मई 2000) कि उद्योगीकरण की धीमी गति के कारण उद्योगपति सा.अ.उ.सं. स्थापित करने में रुचि नहीं ले रहे थे।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में 78700 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की एक औसत क्षमता के साथ 14 सा.अ.उ.सं. में से, मार्च 1999 तक 25500 क्यूबिक मीटर की क्षमता सहित केवल 6 संयत्र ही स्थापित किये जा सके थे। यहां तक कि इन 6 संयत्रों में से, 3 संयत्रों की क्षमता, सदस्य उद्योगों से अवस्थाव को इक्कठा करने के लिए पाईपलाईन न बिछाए जाने के कारण उपयोग नहीं की जा सकी।

पंजाब

बोर्ड ने 1994-98 के दौरान औद्योगिक ईकाईयों द्वारा बहिस्ताव अभिक्रिया संयन्त्रों के प्रतिस्थापन से सम्बन्धित आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए थे। बहि.अभि.सं. के प्रतिष्ठापन के पश्चात भी जल प्रदूषण बना रहा। इसके अतिरिक्त 1998-99 के दौरान प्रतिष्ठापित किए जाने वाले 3407 बहि.अभि.सं. में से केवल 1951 (57 प्रतिशत) ही प्रतिष्ठापित किए जा सके तथा केवल 1440 संयन्त्रों (42 प्रतिशत) का निरीक्षण किया गया। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए बहि.अभि.सं. के प्रतिष्ठापन के अनुश्रवण का उद्देश्य अधिकांशतः असफल रहा।

तमில்நாடு

मार्च 2000 को राज्य में बड़ी और मध्यम श्रेणी की 6639 औद्योगिक ईकाईयों, में से 1335 ईकाईयों ने अभी तक बहि.अभि.सं. स्थापित नहीं किए थे।

बोर्ड ने नवम्बर 2000 में बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इसने 1199 ईकाईयों को बन्द करने के आदेश दे दिए थे। शेष 136 ईकाईयों, जो बहि.अभि.सं. के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में थी, को निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए लिख दिया गया था। 939 चर्म शोधन कारखानों में से 132 ने बहि.अभि.सं. की अलग से व्यवस्था की हुई थी। 772 चर्म शोधन कारखानों के लिए व्यवस्था की जाने वाली 26 सा.ब.अ.सं. में से 620 चर्म शोधन कारखानों के लिए 12 सा.ब.अ.मं. की व्यवस्था की जा चुकी थी तथा वे परिचालन में थी। तिरुचिरापल्ली तथा वैल्लोर में शेष 14 सा.बहि.अभि.सं. प्रतिष्ठापन की प्रक्रिया में थे।

इसी प्रकार कपडे के विरंजक और रंजन 4173 उद्योगों, जिन्हें प्रदूषण फैलाने वाले मुख्य उद्योगों में माना जाता है, में से 537 ईकाइयों में सा.बहि.अभि.सं. की व्यवस्था की जा चुकी थी तथा 905 उद्योगों में सा.बहि.अभि.सं. की प्रतिष्ठापना प्रगति पर थी। 821 ईकाइयों, जिन्होंने न तो बोर्ड की स्वीकृति के लिए आवेदन किया था और न ही बहि.अभि.सं. की व्यवस्था की थी, को बन्द करने के आदेश जारी किए जा चुके थे। शेष 1910 ईकाइयों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।

त्रिपुरा

यद्यपि बोर्ड ने 31 मार्च 2000 तक 1137 ईकाइयों को स्थापित करने /परिचालित करने की स्वीकृति दी थी परन्तु स्वीकृति प्रदान करने से पहले बहि.अभि.सं. के प्रतिष्ठापन को सुनिश्चित नहीं किया। परिणामस्वरूप केवल 4 ईकाइयों ने ही बहि.अभि.सं. की प्रतिष्ठापन की थी। बोर्ड ने उन प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक ईकाइयों की कुल संख्या की पहचान नहीं की थी जिनके द्वारा ब.आ.सं.प्रतिष्ठापित किए जाने अपेक्षित थे। बोर्ड ने अप्रैल 2000 में बताया कि तकनीकी जन शक्ति की कमी के कारण, उन प्रदूषण फैलाने वाली वास्तविक ईकाइयों का जिनके द्वारा बहि.अभि.सं. लगाए जाने थे, की पहचान करना सम्भव नहीं था।

उत्तर प्रदेश

सरकार (पर्यावरण विभाग) ने उन औद्योगिक ईकाइयों की पहचान नहीं की जिन्हें अपेक्षित अभिक्रिया संयन्त्रों की प्रतिष्ठापन नहीं की थी। बोर्ड के अनुसार, सात ऐसी घना प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक ईकाइयां थीं जिन्होंने अभिक्रिया संयन्त्र प्रतिष्ठापित नहीं किए थे। तथापि नमूना जांच से पता चला कि और भी अधिक बड़ी औद्योगिक ईकाइयां थीं जिन्होंने अभिक्रिया संयन्त्र की प्रतिष्ठापना नहीं की थी। मिर्जापुर में, घना प्रदूषण फैलाने वाले 14 उद्योगों में से चार ईकाइयों ने समुचित ब.आ.सं. नहीं लगाए थे।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में, किसी भी 1203 ल.उ.इ. सहित 31 औद्योगिक सम्पदाएं/उत्पादन केन्द्र के पास कोई सा.ब.आ.सं. नहीं है। फिर भी बोर्ड ने सा.बहि.अभि.सं. के निर्माण के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

11. जल अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण

जल अधिनियम की धारा 3 में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य बोर्ड द्वारा इस और शक्ति प्रदत्त कोई व्यक्ति, अगर वह आवश्यक समझता है, किसी भी समय और किसी स्थान पर प्रवेश करने का अधिकारी होगा:-

(क) बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए किसी कार्य के निष्पादन के उद्देश्य हेतु

(ख) निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए क्या कोई ऐसे कार्य निष्पादित किए जाने हें यदि ऐसा है तो किस प्रकार या क्या इस अधिनियम के कोई धारा या किसी नोटिस, आदेश, निर्देश इसके अधीन बनाए नये नियम या इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए बनाए गए, दिये या प्रदान की गई अनुज्ञाप्ति का अनुपालन किया जा रहा है या किया जा चुका है।

राज्य बोर्ड द्वारा
उद्योगों के
निरीक्षण के लिए
निर्धारित लक्ष्यों में
कमी थी।

बोर्ड के अधिकारी यह पता लगाने के लिए कि प्रदूषण कम करने वाले कार्यक्रम सन्तोष जनक रूप से लागू किए जा रहे हैं, उद्योगों /फैक्ट्रियों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सितम्बर 1988 में निर्देश दिए कि समस्त सहमत उद्योगों को सम्भावित प्रदूषण के आधार पर लाल (अधिक प्रदूषण फैलाने वाले), नारंगी (साधारण प्रदूषण फैलाने वाले) तथा हरा(कम प्रदूषण फैलाने वाले) में वर्गीकृत किया जाए तथा मासिक/अर्धवाषिक/वार्षिक अन्तराल में निरीक्षण किया जाए।

रा.प्र.नि.बो./के.प्र.नि.बो. के नियरानी दस्ते प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के आकस्मिक निरीक्षण भी करते हैं। तथापि रा.प्र.नि.बो./प्र.नि.स. द्वारा किए गए ये निरीक्षण अपर्याप्त थे। के.प्र.नि.बो. के दस्तों द्वारा किए गए निरीक्षणों से पता चला कि उद्योगों के पास या तो मानकों के अनुरूप अपेक्षित सुविधाएं नहीं थीं या सुविधाओं का कोई प्रभाव नहीं हुआ था।

राज्य बोर्ड द्वारा किया गया निरीक्षण बहुत अधिक असन्तोषजनक था। लक्षित निरीक्षणों तथा वास्तविक निरीक्षणों में बहुत विभिन्नताएं थीं। विभिन्न राज्यों की प्रदर्शित स्थिति निम्नलिखित है:-

आन्ध्र प्रदेश

राज्य बोर्ड द्वारा कोई मानक और लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। बोर्ड ने क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के कोई अभिलेख भी अनुरक्षित नहीं किए। अतः, प्रत्यक्ष जांच पर आधारित इनके पास कोई विश्वसनीय सूचना नहीं थी कि क्या प्रदूषण को कम करने वाले कार्यक्रमों का उद्योगों द्वारा अनुसरण किये जा रहे थे।

ગुजरात

किए गए निरीक्षणों की नमूना जांच से पता चला कि 1985 लाल श्रेणी की इकाइयों में से 1321 इकाइयों के निरीक्षण की योजना बनाई गई थी और केवल 880 (67 प्रतिशत) इकाइयों का वास्तव में निरीक्षण किया गया था। इसी प्रकार के अपर्याप्त निरीक्षण भी हरी और नारंगी श्रेणी के उद्योगों में देखे गए थे। निरीक्षण में कमी के कारण नहीं बताए गए थे।

हिमाचल प्रदेश

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वर्तमान में पहचान की गई इकाइयों तथा निरीक्षण के लिए नियत अधिक के आधार पर निरीक्षित की जाने वाली अपेक्षित 5450 इकाइयों में से बोर्ड द्वारा 1994-99 के दौरान केवल 3735 का निरीक्षण किया गया ।

करेल

1994 में बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का निरीक्षण क्रमशः मासिक, त्रैमासिक तथा वर्षिक अन्तराल में किया जाना था। तथापि 1997-2000 के दौरान चार क्षेत्रीय तथा तीन जिला कार्यालयों की 418 औद्योगिक इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि इस कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड द्वारा केवल 239 ईकाइयों का ही निरीक्षण किया गया था। शेष 179 उद्योगों के सम्बन्ध में, 79 से 82 प्रतिशत का निरीक्षण बिल्कुल नहीं किया गया।

उड़ीसा

“उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का सुदृढीकरण” परियोजना की प्रगति से सम्बन्धित नोरकन्सल्ट इन्टरनेशनल ए.एस. की मूल्यांकन रिपोर्ट ने 1994 में सिफारिश की थी कि बहुत अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के निरीक्षण की अवधि में कम से कम वर्ष में 12 बार तक वृद्धि की जाए। मार्च 1999 को राज्य में 92 बड़े और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग तथा 106 अधिक प्रदूषण फैलाने वाली खानें थी। इन सिफारिशों के अनुसार बोर्ड को 1998-99 के दौरान कम से कम 2376 निरीक्षण करने चाहिए थे परन्तु इनके प्रति केवल 1370 निरीक्षण ही किए गए जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 1006 (45 प्रतिशत) की सीमा तक निरीक्षण की अवधि में कमी आई।

पांडिचेरी

पांडिचेरी प्रदूषण नियन्त्रण समिति ने (दिसम्बर 1998) 623 औद्योगिक इकाइयों (लाल-213, नांगी - 172 तथा हरी - 238) को क्रमशः प्रति वर्ष, दो वर्षों में एक बार, तथा तीन वर्षों में एक बार अनुश्रवणित करने के लिए वर्गीकृत किया। तथापि 1999 के दौरान केवल 99 ईकाइयों का ही अनुश्रवण किया गया।

पंजाब

पंजाब प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने अधिक प्रदूषण फैलाने वाले बड़े और मध्यम उद्योगों का 6 महीनों में एक बार तथा अधिक प्रदूषण फैलाने वाले लघु उद्योगों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करने का निर्णय लिया। बड़े और मध्यम उद्योगों के मामले में 2500 अपेक्षित निरीक्षणों के प्रति वास्तविक निरीक्षण 815 थे। 1997-99 के दौरान लघु उद्योगों के मामले में 17079 अपेक्षित निरीक्षणों के प्रति वास्तविक निरीक्षण 4224 थे। यह क्रमशः 67 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत की कमी को इंगित करता है।

लेखा परीक्षा द्वारा नमूना जॉच किए गए 7 जिला कार्यालयों में प्रदूषण फैलाने वाले बड़े उद्योगों के निरीक्षण में महत्वपूर्ण कमी थी। 1995-99 के दौरान लाल श्रेणी के उद्योगों में यह कमी 6 से 92 प्रतिशत तथा नारंगी श्रेणी के उद्योगों में 28 से 100 प्रतिशत के बीच थी।

पश्चिम बंगाल

बोर्ड ने 2300 लाल, 4200 नारंगी तथा 2500 हरी श्रेणी के उद्योगों की पहचान की है। जबकि लाल श्रेणी के उद्योगों का वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाता है, बोर्ड ने नारंगी तथा हरी श्रेणी के उद्योगों के निरीक्षण की आवधिकता निश्चित नहीं की। लाल श्रेणी के उद्योगों के अपेक्षित 10215 निरीक्षणों के प्रति बोर्ड ने केवल 8637 निरीक्षण किए।

12. पेय जल

पेय जल चमकीला स्वच्छ, गम्भीर हीन, न अधिक भारी और न अधिक कोमल तथा जीवाणु रहित होना चाहिए।
राज्यों के छोटे और बड़े शहरों में आपूर्त किया जाने वाला पेय जल अधिकांश भागों में प्रदूषित था जैसा कि विस्तार से वर्णन नीचे दिया गया है:-

आन्ध्र प्रदेश

1994-2000 के दौरान उठाए गए तथा औषधि निरोधक संस्थान द्वारा विश्लेषित हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के पेय जल नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट के परिणामों से पता चला कि आपूर्त किया गया जल भारीपन तथा पलुओराइड की अधिक मात्रा के कारण रसायनिक रूप से असत्तोषजनक था। बहुत पहले डाली गई भूमिगत पाइपों में दरार पड़ गई थी और नाली का पानी जल आपूर्ति पाइपों में प्रवेश कर रहा था। हैदराबाद महानगरीय जल आपूर्ति एवं मल व्यवस्था बोर्ड द्वारा जल आपूर्ति की गुणवत्ता में त्रुटियों के कारण, समान शहरों के निवासी दृष्टित जल एवं सभी परिणामी स्वास्थ्य संबंधी खतरों के प्रभाव में थे। होटलों में जल आपूर्ति की जीवाणुक गुणवत्ता के विश्लेषण से जल की गुणवत्ता में 65-75 प्रतिशत अधिक चौंका देने वाला आपात दृष्ण प्रकट होता था।

बिहार

राज्य सरकार या बिहार रा.प्र.नि.बो. ने पीने के पानी के कोई अनुकूल श्रेणी/प्रेशरमीटर निर्धारित नहीं किए थे। रांची, पटना, पर्सनी शहरों में पेय जल की स्थिति से पता चलता है कि पीने के पानी का रसायन एवं जीवाणुक पैरमीटरी मूल्य की अनुकूल श्रेणी तथा कई भागों में उच्चतम सीमाएं भी पार कर गया था। पटना में कुल शहरी जनसंख्या

के 50 प्रतिशत से अधिक को जल आपूर्ति व्यवस्था के माध्यम से 1998 से जीवाणिक प्रदूषित जल की आपूर्ति की जा रही थी ।

ગुજरात

गुजरात जल आपूर्ति एंव मल व्यवस्था बोर्ड (गु.ज.आ.म.बो.) ग्रामीण क्षेत्रों में उन समुदायों जहां पीने के पानी की समस्या है, पीने का पानी तथा पेय जल उपलब्ध कराने के लिए विकास का विश्वसनीय स्रोत है । गु.ज.आ.म.बो. के अभिलेखों से पता चलता है कि 1997-2000 तक ग्रामों में पाई गई समस्या की संख्या में कुल विघटित ठोस के लिए 567 से 960 तक उच्च नाइट्रेट उर्वरक के लिए 171 से 386 तक तथा उच्च फ्लोराइड पदार्थ के लिए 803 से 1304 तक बढ़ोतरी हुई । इसके अतिरिक्त, उसी जल साधनों में खारेपन नाइट्रेट एंव फ्लोराइड की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गई । गु.ज.आ.म.बो. द्वारा समस्या के प्रति ली गई औपचारिक कार्यवाही के सम्बन्ध में इसमें कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की ।

पंजाब

लुधियाना, जलन्धर, अमृतसर, रोपड तथा नंगल में रा. प्र.नि.बो. द्वारा 1993-94 में भूतल जल के किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि लगभग सभी क्षेत्रों में इन शहरों का भू-तल जल प्रदूषित था तथा इन स्रोतों को परित्याग करने की सलाह दी गई थी । मलव्यवस्था बोर्ड/न.पा. द्वारा इन शहरों में पेय जल की आपूर्ति के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई, इन शहरों के लोग प्रदूषित भूतल जल का प्रयोग करने एंव पीने को मजबूर थे ।

सिविकेम

लाल मार्किट, ओल्ड मार्किट एंव भालूवाकली स्थानों जैसे गंगटोक के कुछ क्षेत्रों के पीने के पानी के पी.एच. मूल्य में निर्धारित मानक से विभिन्नता दर्शायी गई क्योंकि प्रदूषण रिसाव के माध्यम से हो रहा था । डिरोली में पानी अम्लीय पाया गया था । गंगटोक में पीने के पानी में अमोलिया पाई गई, जो उचित एंव सुरक्षित पाइपलाइन नेटवर्क के अभाव का सूचक था ।

तमिलनाडु

राज्य में जल स्रोतों में से लगभग 9 प्रतिशत फ्लोराइड की अधिकता के कारण, लगभग 10 प्रतिशत नाइट्रेट की अधिकता के कारण, लगभग 7 प्रतिशत लोहे की अधिकता के कारण तथा लगभग 18 प्रतिशत कुल विघटित ठोस की अधिकता के कारण पीने योग्य नहीं था ।

निदेशक लोक स्वारक्ष्य एंव निवारक औषधि द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार (फरवरी 2000) 1994-1999 अवधि के दौरान पाइपलाइन में रिसाव, भू-वेधन कुंआ, ऊपरी टैंक का अनुचित रखरखाव तथ जल स्रोतों जैसे कुए, नदी, और तालाबों का दूषण द्वारा

उत्पन्न मुख्य संक्रामक के कारण हैजा तथा तीव्र दस्त एंव अन्य बीमारियों के माध्यम से 1903 मृत्यु की प्राप्ति सूचना थी।

त्रिपुरा

राज्य के भू-जल में विघटित लोहे की अनुज्ञेय सीमा 0.3 एम.जी. प्रति लीटर के प्रति 1.21 एंव 8.12 के बीच रही। पानी में लोहे का अधिक संकेद्रण न केवल अमोनियम को प्रभावित करने में सहयोगी है बल्कि राज्य में पित्ताश्मरी बीमारी पर भी अधिक प्रभाव डालने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। रा.प्र.नि.बोर्ड द्वारा भू-जल में विघटित लोहे को कम करने के लिए पीने के पानी की गुणवत्ता के आवश्यक मानक अनुरक्षित करने की कोई पहल नहीं की।

पश्चिम बंगाल

1993 से 1998 के दौरान कलकत्ता नगर निगम द्वारा 100 नगरभागों के पीने के पानी की आपूर्ति का जीवाणु विज्ञान संबंधी एंव भौतिक रसायन गुणवत्ता पर पर्यावरण अध्ययन का विद्यालय जाईवपुर विश्वविद्यालय ने अध्ययन का संचालन किया। जल नमूने के जांच परिणाम से पता चला कि पानी में केलसियम एंव सोडियम पदार्थ क्रमशः 24.04 प्रतिशत एंव 13.06 प्रतिशत की अनुज्ञेय सीमा से बहुत अधिक थे। इसके अतिरक्त, नमूनों को 27-37 प्रतिशत बताता था कि कलोरित अवशेष की उपस्थिति जो अधिक विषैला अनुज्ञेय सीमा से परे है। आगे, 32 भागों में पानी पाइपलाइन में रिसाव के कारण जीवाणिक दूषण पाया गया।

13. घरेलू मल के कारण शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण

घरेलू मल शहरी जल प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है। जल की स्वच्छता को बनाए रखने तथा नियंत्रण करने एंव प्राकृतिक जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से अपेक्षित है। (i) मल या बहिष्ठ्रवाह की अदला-बदली का निरीक्षण उपचार एंव निपटान के लिए कार्य एंव संयंत्र (ii) मल एंव बहिष्ठ्रवाह की अदला बदली के लिए बहिष्ठ्रवाह मानकों की व्यवस्था करना (iii) भूमि एंव नदी में मल व्यवस्था का निपटान एंव बहिष्ठ्रवाह की अदला-बदली के उस नदी में उपलब्ध मिलावट चूनतम मात्रा में स्वच्छ वायु को ध्यान में रखते हुए प्रभावी प्रणाली प्रस्तुत करना। घरेलू मल द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए शहरों में स्थानीय निकायों को म.उ.सं. स्थापित करना आवश्यक था।

अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों के पास प्रर्याप्त मल-व्यवस्था प्रणाली एंव म.व.उ.म. नहीं थे और अनुपचारी घरेलू अपशिष्ट को या तो पानी के अन्दर छोड़ते या भूमि छोड़ देते थे। विभिन्न राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच से निम्न प्रकार की कमियों का पता चला:-

स्थानीय निकायों के पास
अपर्याप्त मल-व्यवस्था
प्रणाली तथा मल
व्यवस्था उपचार संयंत्र
के परिणामस्वरूप
अनुपचारी घरेलू
अपशिष्ट जल निकायों में
छोड़ा जाता है।

आन्ध्र प्रदेश

109 नगर पालिकाएं एवं 7 नगर निगम में से केवल हैदराबाद और विजयवाड़ा में घरेलू मल व्यवस्था के उपचार के लिए ब.ज.सं. स्थापित किए थे। अन्य स्थानीय निकाय अनुपचारी घरेलू अपशिष्ट को पानी के अन्दर छोड़ते थे।

बिहार

दिसम्बर 1993 से दिसम्बर 1999 के बीच गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन 115 मिलियन लीटर मल के उपचार के लिए 5 म.उ.सं. स्थापित किए गए थे। तथापि, इन म.उ.सं. में बिजली की कमी/ रखरखाव के अभाव के कारण 50 मि.ली./दिन मल का उपचार किया जाता था। इस प्रकार 79 मि.ली./दिन बिंदु स्रोतों के माध्यम से विभिन्न अन्य अनुपचारी सहित सीधा गंगा में छोड़े जाते थे।

गुजरात

(क) जबकि राज्य में, 6 नगर निगम तथा 110 अन्य स्थानीय निकाय हैं। केवल 27 स्थानीय निकायों में जल निकास व्यवस्था थी।

(ख) पांच निगमों तथा छः स्थानीय निकायों के पास म.उ.सं. थी, केवल तीन कार्य कर रहे थे।

(ग) किसी भी म.उ.स. का कोई भी बहिस्राव का नमूना प्रतिमानों के अनुसार नहीं था।

(घ) इसके अतिरिक्त, अहमदाबाद नगर निगम के दोनों पीराना एवं वूसना म.उ.सं. के पास के अप्राधिकृत उप मार्ग थे जो बिना उपचार किए बहिष्प्रवाह छोड़ने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे।

हरियाणा

राज्य के विभिन्न शहरों में 82 स्थानीय निकाय 65 प्रतिशत आंतरिक प्रदूषण उत्पन्न कर रहे थे। इनमें से पहचाने गये 12 शहरों को गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत म.उ.सं. के निर्माण के लिए शामिल किया गया था। जबकि शेष 70 स्थानीय निकायों में म.उ.सं. के निर्माण की कोई योजना नहीं थी।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के 8 प्रधान शहरों में नगरों के अपशिष्ट का 227 टन प्रतिदिन ढेर लगता था और विभिन्न तालाबों, नदियों तथा पहाड़ी ढलानों आदि पर इकट्ठा होता था जो जल को प्रदूषित करता था।

शिमला में विद्यमान मल व्यवस्था प्रणाली 1880 में बनाई गई थी। साधारण गतिरोध टेंकों से बनी हुई है जहां केवल अवसादन प्रक्रिया हो सकती है। यह वर्तमान मल की

मात्रा का प्रबंध करने में असमर्थ है जिसका बहिष्ठवाह बिना किसी उपचार के प्राकृतिक जल मार्गों में छोड़ा जाता है।

जम्मू व कश्मीर

जम्मू शहर में ठोस अपशिष्ट, नगर का कूड़ा- कचरा तथा अस्पताल का अपशिष्ट, जिसके समान्यतः नदीतलों के साथ ढेर लगाए जाते थे, के निष्टान के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी।

केरल

थीर्वेनन्धपुरम में, केरल जल प्राधिकरण केवल वर्तमान जनसंख्या का 30-40 प्रतिशत को ध्यान में रखकर एक मल व्यवस्था प्रणाली अनुरक्षित कर रहा है। लगभग शहर के मल का 50 प्रतिशत प्लावित करता है और किली, पार्वती एवं पुथना नदी में सीधा छोड़ दिया जाता है। लोगों द्वारा नदी के किनारे का पानी पीने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना मल-संबंधी कोलीफॉम का अधिक केन्द्रीकरण प्रकट करता था।

मध्य प्रदेश

किसी नगर समिति/निगम ने कोई पूर्ण विकसित मल व्यवस्था प्रणाली तथा म.उ.सं. स्थापित नहीं किया था।

महाराष्ट्र

मुम्बई में घरेलू बहिष्ठवाह 2562 मी.ली./प्रतिदिन था, जिसमें से 929 मी.ली./प्रतिदिन (36 प्रतिशत) का समुचित उपचार किया गया था और 1633 मी.ली./प्रतिदिन (64 प्रतिशत) मार्च 2000 तक अनुपचारी रहा। औद्योगिक बहिष्ठवाह सहित अनुपचारी नगर अपशिष्ट अरब सागर में छोड़ा जाता था।

अधिकांश अनुपचारिता बहिस्ताव पुणे, थाने, नासिक तथा कोलहापुर इत्यादि को मिला कर 14 नगर पालिकाओं में मार्च 2000 तक बिना अभिक्रिया के नदी धाराओं /छोटे स्रोतों में छोड़ दिया जाता था।

बोर्ड ने राज्य में 231 नगर परिषदों द्वारा छोड़े गये बहिस्तावों पर डाटा तैयार नहीं किया।

मेघालय

शिलांग में भी घरेलू मलव्यवस्था के उपचार के लिए म.ब.सं.स्थापित नहीं किया गया था।

उड़ीसा

मार्च 1999 तक राज्य में कुछ एक औद्योगिक उपनगरों को छोड़ कर शहरी बस्तियों में व्यवहारिक रूप से कोई भी सम्पूर्ण मल व्यवस्था प्रणाली नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप, इन निजी इकाईयों से कच्ची मल व्यवस्था दाया नदी की घाटियों में छोड़ी जा रही थी, जो कि बाद में चिल्का झील में मिल जाती है। भुवनेश्वर शहर तथा

दूसरी शहरी निजी इकाईयों से अनुपचारित छोड़ी गई मल व्यवस्था ने महत्वपूर्ण रूप से चिलका झील के भारी प्रदूषण में सहयोग दिया।

राउरकेला तथा कटक में अनुपचारित मल व्यवस्था प्रणाली खुले नाले में बहती है जिसके कारण भूमिगत जल प्रदूषित हुआ। कटक शहर में न्यूनतम जूनसंख्या को आवृत करने के लिए बहुत देर पूर्व स्थापित की गई मल व्यवस्था प्रणाली भली प्रकार कार्य नहीं कर रही थी तथा अनुपचारित मल व्यवस्था महानदी नदी में छोड़ी जा रहा था।

पांडिचेरी

शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न 50 एम.एल.डी. दूषित जल में से, केवल 8 एम.एल.डी. का उपचार होता था तथा बाकी खुले नाले द्वारा समुन्द्र में छोड़ा जाता था।

पंजाब

सिवाए नया नंगल नगरपालिका के 131 नगर निगमों/पालिकाओं में से किसी ने भी जून 2000 तक म.ब.सं. स्थापित नहीं किया।

राजस्थान

183 नगरपालिका ईकाइयों में से, सिवाए जयपुर के किसी ने भी मई 2000 तक म.ब.सं. स्थापित नहीं किया था।

सिक्किम

दिसम्बर 1998 तक गंगटोक शहर के रक्षी पदार्थ तथा कुड़ाकरकट को फैलाने तथा मिलाने की पद्धति द्वारा निकटम नालों में निपटान किया जा रहा था। जनवरी 1999 में बोर्ड ने समापन (रसायन) तकनीक अपनाते हुए एक माह के लिए एक प्रयोगात्मक आधार पर एक नदी तथा मारचैक में गंगटोक शहर के कुड़ेकचरे को फिकवा दिये जाने की अनुमति दी। यद्यपि स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद तब तक मारचैक में रक्षी पदार्थ तथा कुड़ाकरकट फैका जाना जारी रहा। सिक्किम के दूसरे शहरों का कुड़ाकरकट घाटी की ढलानों में फैका जा रहा था। बरसाती मौसमों में यह नालों में प्रवेश करता था, जो कि तीसता नदी में मिल जाता है जिसके परिणामस्वरूप जल प्रदूषण होता है।

तमिलनाडु

राज्य में केवल 7 के पास बहिस्त्राव के उपचार के लिए म.व्य.सं. थे।

त्रिपुरा

अग्रतला में, उत्पन्न किए गये कुड़ेकरकट की औसत मात्रा प्रतिदिन 80 टन थी। इसमें से 60 टन ठोस रक्षी पदार्थ प्रक्रिया तथा निपटान के लिए स्थल पर अग्रतला नगर निगम (अ.न.नि.) द्वारा प्रतिदिन निपटान किया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सड़क के पास कुड़ाकरकट केन्द्रों में प्रतिदिन 20 टन बिना निपटान के कुड़ाकरकट जमा होता था। यह घुलकर बहने की प्रक्रिया द्वारा इन इलाकों में भूमिगत जल को दूषित करता

था। उपचारी उपाय करने हेतु अ.न.नि. को नवम्बर 1997 में बोर्ड द्वारा जारी किये गये निदेशों के बावजूद अ.न.नि. ने कोई उपाय नहीं किये। बोर्ड ने अ.न.नि. के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी।

उत्तर प्रदेश

गंगा, यमुना तथा गोमती नदियों के किनारे स्थित 58 शहरों में से जून 2000 तक उ.प्र. जल निगम द्वारा 17 शहरों की मल व्यवस्था का उपचार प्रारंभ किया था।

पश्चिम बंगाल

गंगा के दोनों किनारों कलकत्ता तथा हावड़ा को सम्प्रिलित करते हुए विभिन्न शहरों की घरेलू तथा जन मल व्यवस्था गंगा के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। गंगा कार्य योजना (ग.का.यो.) के अन्तर्गत आवृत्त की गई नदी के दोनों किनारों पर 37 शहरों में उत्पन्न की कई अनुमानित मल व्यवस्था 738.68 एम.एल.डी. थी। ग.का.यो. के चरण - 1 के अन्तर्गत 15 शहर मल व्यवस्था का 527.50 एम.एल.डी. उत्पन्न कर रहे थे तथा अवरोधन एवं विपथन की उत्पन्न की गई क्षमता केवल 371.60 एम.एल.डी. (70.5 प्रतिशत) थी। यद्यपि वास्तविक रूप से विपथन की गई मल व्यवस्था केवल 215.98 एम.एल.डी. (53 प्रतिशत) थी। जबकि 75 प्रतिशत की अनुमानित मल व्यवस्था को वापिस गंगा में बह कर जाते हुए वास्तविक रूप से उपचारित केवल 181.98 एम.एल.डी. थी। 125 स्थानीय इकाईयों में से किसी ने भी नदियों में मल व्यवस्था छोड़ने के लिए मंडल से अनुमति प्राप्त नहीं की।

घुले हुए आक्सीजन की स्थिति जीव रसायन आक्सीजन मांग तथा 1996 से 2000 तक प्रति वर्ष मार्च के दौरान लिए गये जल नमूनों में कुल कोलीफार्म काउन्ट दर्शाता है कि गंगा कार्य योजनाओं के निष्पादन के बावजूद जल गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ।

अधिकतर शहरों में मल व्यवस्था प्रणाली एक सिमित जन संख्या के लिए अर्धशतक से अधिक पूर्व तैयार किये गये थे तथा जन संख्या के संदर्भ में शहरों में बढ़ोतरी के साथ, स्थिति का सामना करने योग्य नहीं थे।

14. जल गुणवत्ता प्रबन्धन

जल अधिनियम की धारा 16(जी) के अनुसार के.प्र.नि.बो., सम्बन्धित राज्य सरकार से सलाह मशवरे के साथ, एक धारा या कुएं के लिए मानकों को अर्पित, सुधार या रद्द करता है। जल निकायों का क्षेत्रीय करण तथा वर्गीकरण, विश्वव्यापी पर्यावरण अनुश्रवण प्रणाली (वि.प.अ.प्र.) तथा भारतीय राष्ट्रीय जलीय संसाधनों के अनुश्रवण (भा.रा.ज.सं.अ.) के केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अधीन जलगुणवत्ता के नियमित अनुश्रवण के द्वारा किया जाना था।

के.प्र.नि.बो. काफी समय से, रा.प्र.नि.बो. के सहयोग के साथ, जल गुणवत्ता प्रवृत्ति के मूल्यांकन तथा विभिन्न जल निकायों में जरूरी प्रदूषण नियंत्रण की प्रकृति एवं सीमा के

निर्धारित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण के तरीकों की योजना के लिए अनुश्रवण करता रहा है। जल गुणवत्ता अनुश्रवण 507 स्टेशनों पर किया जाता है। अनुश्रवण 22 शरीर संसाधन एवं जीवाणुविज्ञान सम्बन्धी मापदंडों के लिए किया जाता है। स.प्र.नि.बो. द्वारा एकत्रित किया गया डाटा, विश्लेषण हेतु के.प्र.नि.बो. को भेजा जाता है। जीव-रसायन आवर्तीजन मांग (जी.र.आ.मा) तथा पैथोजोनिक जीवाणु (समप्र एवं मलसम्बन्धी कोलीकोर्म्स) के लिये आंकड़ों के विश्लेषण ने संकेत किया कि भारतीय जलीय संसाधनों में आंकड़े एवं जीवाणु सम्पर्क विकार गम्भीर प्रदृष्टकों के रूप में जारी रहे थे।

नगरपालिका निगमों के पास अपर्याप्त संसाधनों के कारण घरेलू जलमल एवं औद्योगिक बहिकाव का नदियों में विसर्जन।

के.प्र.नि.बो. द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला कि नगर पालिका जलमल के हमेशा बढ़ते हुए भार हेतु नगर पालिका निगमों के पास बहुत अधिक अपर्याप्त संसाधन थे। नगर पालिका जल मल का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बिना उपचार के जलीय वातावरण में प्रवाहित हो रहा था, परिणामस्वरूप, संकुचित जल निकायों में ओक्टीजन की मांग बढ़ी तथा पानी का जीवाणु भार बढ़ा जो जल आधारित बीमारियों का मुख्य कारण है।

के.प्र.नि.बो. द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर मन्त्रालय ने, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रदूषण समाप्त कार्यक्रमों के शुरू करने के लिए प्रदृष्टित विस्तार की पहचान की। सभी मुख्य राष्ट्रीय नदियों में समप्र रूप से प्रदृष्टित विस्तारों पर अध्ययन से पता चला कि गम्भीर पैरामाइटर्स-बी.ओ.डी.डी.ओ. एवं समग्र कोलिफोर्म का अतिक्रमण हुआ है, इसलिए वे विस्तार अपेक्षित कक्षा स्तर पर नहीं पहुंचे थे। दिल्ली एवं इटावा के मध्य लमांग 500 कि.मी. के विस्तार में उच्च बी.ओ.डी.एवं कोलिफार्म के साथ यमुना नदी देश की सबसे अधिक प्रदृष्टित नदी थी। अन्य गम्भीर रूप से प्रदृष्टित नदियां, अहमदाबाद में साबूस्ती, लखनऊ में गोमती, काली, आदिवार, कूम, (सम्पूर्ण विस्तार), मदुराइ में बेघल, हैदराबाद की मुसी भाऊन स्ट्रीम थी। इसी प्रकार गंगा, डाउन स्ट्रीम आफ कल्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बाराणसी एवं त्रिपाती, गोदावरी, डाउन स्ट्रीम आफ नासिक नांदेड एवं राजाहमुन्तरी, कावेरी, डाउन स्ट्रीम आफ श्रीगंगापटना के.आर.एस. डेम, सत्यामंगलम ब्रिज, महाबलेश्वर एवं सांगली के बीच कृष्णा, नेपानगर तथा देवनपुर के बीच ताप्ती, महानदी डाउन स्ट्रीट आफ कट्टक, बदनवार एवं नासद के बीच माही, ब्राह्मनी डाउन स्ट्रीम आफ राउरकेला, तत्त्वर एवं धरमशाला, के नदी विस्तारों ने भी 1998-99 के दौरान यथेष्ट समय के लिए उच्च बी.ओ.डी. एवं कोलिफार्म दर्शाया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिषक के मार्च 2000 - गंगा कार्य योजना (2000 की प्रतिवेदन संख्या 5 क) को समाप्त होने वाले प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था कि घेरेलू जलमल का उपचार, स्नान स्तर तक, करके गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के पानी में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से गंगा कार्य योजना 1985 में आरम्भ की गई थी। गंगा नदी और उसकी सहायकों के किनारों के साथ-साथ प्रदूषण घटाने के लिए 110 कर्त्त्वों का चयन किया गया था। योजना के पृथक् चरण (25 शहरों में) 10 वर्षों से अधिक विलम्ब के बाद भी पूरा नहीं हुआ था। चरण-II (85 शहरों) भी अपने समय से

काफी पीछे चल रहा था। योजना के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों एवं सुविधाओं के सृजन की प्राप्ति के लक्ष्यों में बहुत अधिक गिरावट थी। मार्च 2000 तक लक्षित जल मल उपचार की क्षमता का केवल 13.7 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका।

प्रदूषण नियंत्रण
के उद्देश्य को
प्राप्त करने में
गंगा कार्य योजना
असफल रही।

तकनीकी डिजाइन में कमियों, योजनाएं एवं उनके घटकों में असमानता तथा अपर्याप्त रखरखाव के कारण योजना में सृजित परिसम्पत्तियों नष्ट एवं क्षतिग्रस्त रहीं। नदी में जैवीय भार को इच्छित स्तर तक कम करने की समस्या को जल मल उपचारिक प्लॉट पर्याप्त रूप से कम नहीं कर सका। 1993 में केवल एक नमूना स्टेशन के प्रति 1999 के दौरान 27 नमूना स्टेशनों में से 10 पर गंगा नदी में बी.ओ.डी. अनुज्ञेय सीमा को पार कर गया। 1996-99 के बाद यमुना नदी में भी पानी की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ। 1999 के दौरान नमूनित 60 स्टेशनों में से 17 में कोलिफार्म का स्तर बढ़ गया था। राज्यों की प्रमुख नदियों में जल गुणवत्ता रूप रेखा के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियों नीचे दी गयी हैं।

(क) नदी जल प्रदूषण

आन्ध्र प्रदेश

कृष्णा गोदावरी नदी में आकर्षीजन मिश्रण और कुल कोलीफोर्म के स्तर गंगा पुल बंध के धारा के प्रतिकूल और राजामुंद्री के धारा के अनुकूल में संपूर्ण सीमा में लगभग अपेक्षित वर्ग के अनुकूल थी।

गुजरात

बोर्ड द्वारा किये गये नमूना विश्लेषण की जांच से पता चला कि पांच नदियाँ (दमन गंगा, खारी, कोलक, पार तथा साबरमती) औद्योगिक संपदाओं से बहिस्त्राव छोड़े जाने के कारण प्रदूषित थीं।

बोर्ड इन अधिकतम प्रदूषित जल इकाईयों के लिए प्रवृत्ति को प्रतिवर्तित करने में समर्थ नहीं था। बोर्ड ने बताया कि जल इकाईयों में प्रदूषण का पुनरीक्षण के प्र.नि.बो. द्वारा किया गया था तथा यह केवल निर्धारित केन्द्रों से नमूनों को इकट्ठा करने तथा विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। यह युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि प्रदूषण को नियंत्रण करना तथा कम करना राज्य बोर्ड का मुख्य उत्तरदायित्व है।

हरियाणा

1996-99 के दौरान, मदनपुर खादर में आगरा नहर में जी.आ.मां. की औसत 4.9 एम.जी./लीटर से 20 एम.जी./लीटर के बीच रही जो कि 3 एम.जी./लीटर के स्वीकार्य जी.आ.मां. स्तर से उच्चतर थी। यमुना नदी के प्रदूषित जल की सफाई का लक्ष्य मार्च 1999 तक प्राप्त नहीं किया था क्योंकि नदी निरन्तर अनुपचारित मल व्यवस्था तथा घरेलू/औद्योगिक कुड़ाकरकट द्वारा भरी जा रही थी।

घाघर नदी की त्रैमासिक नमूना जांच से पता चला कि सितम्बर 1998 से दिसम्बर 1999 के दौरान जी.आ.मा. का मूल्य 4.5 एम.जी./लीटर से 28 एम.जी./लीटर बढ़ गया था।

हिमाचल प्रदेश

मन्डी, कुलू तथा मनाली में व्यास नदी के किनारे पर तीन विस्तार प्रदूषित पहचान लिए गये थे। इन विस्तारों पर नदी के जल की गुणवत्ता सभी मांपदड़ों, जैसा कि कुल कोलीफारम मल संबंधी तथा जी.आ.मा.जांच, के विषय में बिगड़ चुकी थी। नदी में मल व्यवस्था का सीधा बहाव, बहिस्राव का आना-जाना तथा कुड़ाकरकट इत्यादि जल गुणवत्ता में कमी के लिए उत्तरदायी थे।

जम्मू और कश्मीर

जम्मू शहर के नालों का मुहाना तबी नदी में था। नदी के पानी ने पीने और नहाने के उद्देश्य को अनोपयुक्त बनाते हुए 2 एम.जी./लीटर से 74 एम.जी./लीटर जी.र.आ.मा. की बड़ोतरी को दर्शाया था।

केरल

बोर्ड ने राज्य में 44 में से 12 नदियों के लिए जल गुणवत्ता जांच करवाई जिससे सभी नदियों के विभिन्न फैलावों में मल संबंधी तत्त्वों तथा कुल कालीफार्म किटाणुओं के उच्च गाढ़ेपन का पता चला। बाकी 32 नदियों के बारे, में अप्रैल 2000 तक कोई जल गुणवत्ता मूल्यांकन भी नहीं किया गया था।

मध्य प्रदेश

1994-99 के दौरान एकत्रित किये गये जल नमूनों की जांच रिपोर्ट की जांचपड़ताल से पता चला कि नदियों के जल तथा मुख्य जल इकाईयां सामान्य मानकदंड से नीचे पाई गई। तापती, नर्मदा, चम्बल, खान तथा कशिपरा नदी के जल 6 स्थलों पर अत्याधिक प्रदूषित थे। पूरे वर्ष के दौरान, नर्मदा नदी में सर्वत्र अर्थात्, सेठानीघाट के प्रतिकूल, होसंगाबाद के प्रतिकूल, होसंगाबाद के अनुकूल और गरुदेश्वर, नहाने के स्थानों पर कुल कोलिफार्म अधिक था। बोर्ड ने मई 2000 में बताया कि प्रदूषण स्थानीय इकाईयों के पास मल व्यवस्था उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की अनुपलब्धता के कारण बढ़ रहा था।

महाराष्ट्र

मुम्बई, कल्याण, नागपुर, सतारा, नवी मुम्बई, पुने, पिमपरी चिंचवाद तथा नासिक के शहरों को जल की आपूर्ति कर रही क्रमशः बसता, उलहास, वैनगंगा, कृष्णा, पटलगंगा, मुत्था, पवाना तथा गोदावरी नदियों से सभी नमूनों में जी.आ.मा. सीमा से अधिक हो गई थी। धु.आ. पटलगंगा, गोदावरी, बैनगंगा तथा मुत्था नदियों में अपेक्षित स्तर से कम था। जीवाणु

सहित कोलीफर्म धोम धाम बांध पर कृष्णा नदी में देखा गया था तथा मल सम्बन्धी कलीफार्म गंगापुर बांध पर गोदावरी नदी में 1994-99 के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया था ।

उड़ीसा

ब्राह्मणी नदी तट पर लगभग 15 शहरी बसियां लगभग 74460.4 के.एम. प्रतिदिन अनुपचारित अपशिष्ट जल छोड़ती थी । इसके अतिरिक्त, तलाचर विद्युत संयंत्र, नेलको और सुकिन्चा धाटी की करोमाइट खदोने गुजांइश सीमा से आगे बहिष्काव एवं अपशिष्ट जल छोड़ रही थी । आगे, रात्तरकेला रटील शहर को छोड़ कर कहीं भी मल व्यवस्था प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, घरेलू अपशिष्ट जल का निष्कासन नदी तट पर किया जाता था ।

महानंदी नदी तट में 10 कोघला खादने हैं जो मानसून के दौरान लगभग 33,065 किलो लीटर प्रतिदिन (कि.लि.दिन) अपशिष्ट जल छोड़ती हैं तथा अधिमिश्रित धातु एवं सलफर के करण पर्यावरण संबंधी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है । इसके अलावा, महानंदी तट में लगभग 34 शहरी बसियां थीं जो बिना उपचार के 26632 के.एल.दिन अपशिष्ट जल छोड़ती थीं ।

राजस्थान

1996 और 1997 वर्षों के दौरान चम्बल नदी में जि.आ.मा. का औसत मूल्य बढ़ गया था।

1971 से 1994 के दौरान पालि में ख्यापित रंगाई एवं छपाई से जुड़े और बिना बोर्ड की अनुमति के संचालित 151 उद्योग बंद्री नदी में अनुपचारित अपशिष्ट जल छोड़ रहे थे।

सुजान गंगा नहर जो भरतपुर शहर से बहती है, शहर की भूतल नालियों के बंद होने तथा उसमें गंदे पानी और कूड़ा करकट बहने, के कारण 1970 के बाद धीरे-धीरे एक बड़े सेटिक टेंक में बदल गई थी ।

उत्तर प्रदेश

गंगा नदी में कानपुर के प्रतीकूल, बाराणसी और त्रिधाट के प्रशिक्षण, पर ज जि.आ.मा. अपेक्षित जल गुणवत्ता के मानक की सीमा से अधिक था। कुल कोलिफाम राजमहल तक नदी सीमा में मानक सीमा से अधिक था और उसके बाद यह अपेक्षित वग की मानक सीमा के ठीक अन्तर था। तथापि, यु.आ. का. स्तर बाराणसी में नदी के अनुकूल को छोड़कर सभी स्थानों पर अपेक्षित स्तर को संतुष्ट करता था।

(ख) झील जल प्रदूषण

झील कई प्रकार के पेड़-पौधे एंव जीवजंतु के लिए प्राकृतिक घरों के अतिरिक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले पक्षियों को भोजन एंव आवास उपलब्ध कराती है। दृष्टि की सुन्दरता को बढ़ाने के अतिरिक्त ये परिस्थिति संतुलन का एक महत्वपूर्ण तत्व बनाती है। यह पीने, नहाने तथा अन्य उद्देश्यों के लिए पानी का स्रोत है।

आम्ब्र प्रदेश

कोलके झील कृष्णा एंव पश्चिम गोदावरी जिलों तक कुल 4763 कि.मी. जलग्रहण क्षेत्र के साथ पूर्व समुद्री तट पर स्थापित भारत में एक सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील नमभूमि है। अनुपचारी शहरी मल, चीनी कारखानों से मद्यनिमार्ण शाला औद्योगिक बहिष्प्रवाह तथा कीटनाशी संयंत्र से जल कृषि एंव कृषि में उपयोग में लाए गए उर्वरक एंव कीटनाशी से अवशेष के अंतवहि के कारण झील के पानी की गुणवत्ता कमी हुई थी। इनके अतिरिक्त, विजयवाड़ा नगर निगम तथा गुड़ीवड़ा एंव इलम की नगरपालिकाएं भी झाल में अनुपचारी घरेलू कुड़ाकरकट छोड़ रही थीं।

जल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय कमी थी क्योंकि इसके विघटित आक्सीजन पदार्थ फरवरी 1999 एंव सितम्बर 1999 में 4 मि.ग्रा./लिटर के निधारित मानक के प्रति 2.6 मि.ग्रा./लीटर से भी कम था। कुल कालीफार्म भी सामान्य सीमा से 5 गुना बढ़ गया था।

केरल

जून 1993 से मार्च 1995 के दौरान बोर्ड ने सासथामकोटा में स्वच्छ पानी की झील के पानी की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जो कोलम शहर में पीने के पानी का स्रोत है। यह पाया कि कोलीफॉम जीवाणु की उपस्थिति 50 अधिकतम स्वीकार्य संख्या/100 मी.ली. के स्वीकार्य स्तर के प्रति पानी का 130 से 16000 एम.पी.एन./100 मी.ली. के बीच रही। जबकि केरल विधान सभा पर्यावरण समिति झील में प्रदूषण छोड़ने वालों के निषेद्य के संबंध में कई सिफारिशें की थीं तथा स्थानीय निकायों, केरल जल प्राधिकरण अस्पतालों आदि प्रदूषण फैलाने वाली अभिकरणों की पहचान कर ली गई थी, सितम्बर 2000 तक बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी।

उड़ीसा

चिल्का झील 1080 वर्गकिलोमीटर क्षेत्र में फैली भारत में सजल भूभागों में से एक है। समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक रूप से इसका नियन्त्रण किया जाता है। चिल्का की जल गुणवत्ता खारी है। चिल्का के जल को प्रदूषित करने वाली मुख्य क्रियाएं (i) विकृत जल ग्रह से निकली गाद तथा (ii) जल ग्रह क्षेत्र में घरेलू तथा कृषि स्रोतों से उत्पन्न भुक्तशेष जल है। राज्य बोर्ड ने इस अद्वितीय सजल प्रदेश को प्रदूषण से बचाने के लिए अभी तक कोई कार्य योजना नहीं बनाई है।

राजस्थान

अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के सजल भूभागों के रामसर सम्मेलन के अन्तर्गत राजस्थान में केवलदेवधाना तथा साम्भर झीलों को सजल भू भाग के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इन झीलों को सम्मानित खतरा मुख्य झील के तल से मिट्टी निष्कर्षण झीलों में जल के प्रवाह को प्रभावित करके झील के जल ग्रह क्षेत्रों में नियन्त्रण बान्धों के निर्माण तथा नमक उत्पादन के लिए तथा ग्रीष्म ऋतु में अन्य प्रायोजनों के लिए अधिक पानी निकालने से है। सरकार ने इन झीलों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए कोई कार्यक्रम व्यवस्थित नहीं किया था।

उदयपुर शहर की झीलों में जल प्रदूषण नगर परिषदों, होटलों तथा अतिथि गृहों, सार्वजनक स्वास्थ्य तथा अभियान्त्रिकी विभाग के फिल्टर सन्यत्रों तथा झील के आस पास स्थित आवासीय बस्तियों द्वारा अभिक्रिया न किए हुए जलमल को छोड़ने के कारण बढ़ रहा था।

उत्तर प्रदेश

700 मीटर गुणा 350 मीटर चन्द्रेरी नामक एक तालाब स्थित कानपुर में है। निकटवर्ती क्षेत्रों का घरेलू अपशिष्ट बिना किसी अभिक्रिया के इसमें प्रवाहित होता है। इस तालाब का जल घुती औक्सीजन की शून्य मात्रा से दूषित है। इस तालाब का जल बाद में गंगा नदी में प्रवाहित होता है जो कि उसके प्रदूषण में सहायक होता है।

(ग) भूजल

आन्ध्र प्रदेश

राज्य बोर्ड ने 1998-99 की अपनी कार्य योजना में हैदराबाद और उसके चारों ओर तीन टैंकों के तथा मूसी नहर के दानों किनारों से 500 मीटर तथा लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तक भूजल को प्रवेशिका बाजू और अनुप्रवाह की ओर से अनुश्रवण करने का प्रस्ताव रखा।

1998-2000 के दौरान राज्य बोर्ड तथा भूजल विभाग द्वारा किए गए अध्ययन की प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रों के भूजल में 1000 मि.ग्रा./लीटर की अनुज्ञेय सीमा की अपेक्षा बहुत अधिक 24 से 3352 मि.ग्रा./लीटर कुल घुला हुआ नमक (घु.कु.न.) था। सरकार ने जुलाई 2000 में बताया कि (घु.कु.न.) भूजल विभाग से अन्तिम रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी थी।

इस प्रकार 1998-99 में भूजल की गुणवत्ता को अनुश्रवण करने का आरम्भ किया हुआ कार्य अभी पूरा होना था (जुलाई 2000)।

केरल

वृहत्तर कोचीन क्षेत्र में सात स्थानों में किए गए भूजल अनुश्रवण के अध्ययन (1994) से पता चला कि 6 स्थानों पर पी.एच.और कोलीफार्म जीवाणुओं का साम्ब्रण, जि.रा.आ.मा. इत्यादि बरदास्त की सीमा से अधिक थे। दो स्थानों (इल्लूर तथा पट्टनचेरी) पर

कुओं का पानी पीने और सिंचाई के आयोग्य था । शेष चार स्थानों में पानी रोगाणओं से मुक्त करके तथा चूना मिलाकर ही पीने और सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था । तथापि बोर्ड ने यह महत्वपूर्ण सूचना राज्य सरकार या संबंधित स्वायत्त निकायों तक प्रेषित नहीं की थी। परिणामस्वरूप लोगों को अपेय जल से होने वाले खतरों का सामना करना जारी रहा था।

उड़ीसा

कठक एवं राउरकेला रा.प्र.नि.बो. द्वारा (1997-98) छुटें द्वारा नलकूप जिन्हें पीने के पानी के खोत के रूप में उपयोग किया जाता था, के भूतल जल की गुणवत्ता के किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि भूतलेश्वर के नलकूप से लिए गए पानी में पोटोनशियल हाईड्रोजन कम तथा लोहा पदार्थ अधिक था । राउरकेला में, सीसे तथा ताढ़ों की विद्यमानता अनुमत सीमा से अधिक पाई गई थी । इससे उपर्युक्त शहरों के नलकूपों से प्राप्त जल की शुद्धता को संदेहास्पद बना दिया ।

पांडीचेरी

मट्पलीयम् में औद्योगिक सम्पदा में भूमिजल की गुणवत्ता रसायन कारखानों द्वारा खुले प्रांगण में अन्व तथा रही सामग्री जमा करने के कारण मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गई थी ।

(घ) समुन्द्र जल

महाराष्ट्र

एक तटवर्ती खण्ड में समुन्द्र जल विभिन्न प्रकार के उपयोगों तथा कार्यकलापों के लिए काम आता है उपयोगों तथा कार्यकलापों के प्रकारों पर निर्भर करते हुए खारे पानी को जल की गुणवत्ता के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है । मुख्य में समुन्द्र जल सभी -11 अनुश्रवण स्थानों में एस.डब्ल्यू-11 श्रेणी (निर्दिष्ट उपयोग - नहाने, जल क्रीड़ा तथा वाणिज्य मतस्य-ग्रहण) के अन्तर्गत आता है । 1994-99 के दौरान समस्त अनुश्रवण स्थानों से ली गई सभी नमूनों की विश्लेषण स्पेर्टे ने जी.र.आ.मा. को निर्धारित सीमा से अधिक दर्शाया । घु.आ. को स्तर 8 अनुश्रवण केन्द्रों पर 45 प्रतिशत नमूनों में निर्धारित मापदंडों से कम था । इसके जलवासी जीवन को संकटमय तथा निर्दिष्ट उपयोग के लिए जल को अनुपयुक्त बना दिया । यह द्वारा ज्ञोपङ्कियों तथा निकटवर्ती बसियों से गंदगी तथा मल व्यवस्था समुन्द्र में छोड़े जाने के कारण था ।

15. निष्कर्ष

रा.प्र.नि.बो. का मुख्य उद्देश्य जल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जल निकायों के प्रदूषण को रोकना तथा नियत्रण करना था । औद्योगिक इकाईयों तथा निकायों द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों की स्थापना को सूनिश्चित करने तथा जल निकायों में औद्योगिक मल सम्बन्धी तत्वों तथा घेरलू मल व्यवस्था के बहाव को नियमित तथा नियंत्रण करने में मुख्यता बोर्ड की विफलता के कारण किसी भी राज्य में उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था । जल अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन कराने में

विभिन्न राज्य सरकारों की भूमिका पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं थी क्योंकि सरकारी स्तर पर उचित अनुश्रवण नहीं था ।

मामला मंत्रालय को जुलाइ 2001 में भेजा गया था, जिसने अक्टूबर 2001 तक उत्तर नदी दिया था।

स्वास्थ्य विभाग

खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम का संचालन

ପ୍ରମାଣି କରିବାରେ

ବିନାଶ କରିବାରେ ଯାହାରେ ଅନୁରଥିତ ହୋଇଥାଏ

अध्याय II : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य विभाग

खाद्य अपमिश्न निवारक अधिनियम का प्रशासन

खाद्य सामग्री में अपमिश्न निवारण के उद्देश्य से 1954 में सभी राज्यों में लागू एकल विधि निर्माण के माध्यम से खाद्य सामग्री अपमिश्न निवारक अधिनियम की रूप रेखा तेयार की गई। अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है तथा इस विषय में मंत्रालय सलाहकार की भूमिका निर्वाह करता है। विभिन्न राज्यों में लेखापरीक्षा पुनरीक्षण से प्रकट हुआ कि इसके कार्यान्वयन में पर्याप्त कमी थी। इसके अतिरिक्त इसे अधिनियमित करते समय अधिनियम की अवधारणा प्राथमिक रूप से अपमिश्न के रोकथाम पर केंद्रित थी। अतिथर जनसंख्या में अनुवर्ती वृद्धि के साथ शाहरीकरण में एक अद्भूत विकास हुआ है। इससे बाजार के भरण पोषण में प्रफलन हुआ है। तथापि इन स्थापनाओं का कोई प्रभावी सर्वेक्षण तथा निगरानी नहीं रखी गई है जिनमें से अधिकतर बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। उपभोक्ता का स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन स्थापनाओं के स्तर को नियमित करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जबकि खाद्य प्रयोगशालाओं सहित अनेक सुविधाओं का शृजन किया गया था, उनका प्रचालन समुचित प्रशिक्षित परिवेक्षी संरचना तथा वांछित शिल्पियों के अभाव में अप्रभावी रहा। यह संदेहास्पद है कि जिलास्तर स्वास्थ्य देखरेख के मुख्य कार्यों के अतिरिक्त इन सामलों में समुचित ध्यान देने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, संगठनात्मक संरचना के पुनरावलोकन की आवश्यकता है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कर्मी अपर्याप्त थे। इससे विश्लेषण हेतु लि जाने वाले नमूने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। राज्य सरकारें अधिकांश खाद्य अपमिश्न नमूनों के लिए अभियोज्य सामलों पर प्रहार करने में अक्षम रही। न्यायालयों के समक्ष लाए गए 50 प्रतिशत मामले विभाग के विपरीत गए तथ विभागीय अकुशलता, समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण न करने नोटिस भेजने में विफलता इत्यादि के कारण अपराधी दोषमुक्त हो गए। उपभोक्ता जागरूकता निर्माण तथा विभिन्न अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया। परिवीक्षण तथा मूल्यांकन की गुणवत्ता अप्रभावी थी। इस प्रकार मानव जीवन के संकट मोर्चन का मूल उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

विशिष्टताएं

मंत्रालय द्वारा राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए जारी की गई सहायता अनुदान का राज्यों द्वारा वित्ती उपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप खाद्य मर्दों के विश्लेषण के लिए अपेक्षित आवश्यक उपकरणों का प्राप्तन नहीं किया जा सका।

अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रारम्भिक कदम राज्यों में प्रचलित खाद्य प्रतिष्ठानों की संख्या को सुनिश्चित करने के लिए आधार रेखा सर्वेक्षण करना था। इसके पश्चात खाद्य प्रतिष्ठानों के डाटाबेस को अद्यतन करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण करना था। आवधिक सर्वेक्षण तो क्या, लगभग सभी राज्यों में आधार रेखा सर्वेक्षणों तक को भी नहीं किया गया था।

उचित सर्वेक्षण तथा निरानी में विकलता के कारण बड़ी संख्या में खाद्य प्रतिष्ठानों को लाइसेंस जारी नहीं किये जा सके। कुछ राज्यों में लाइसेंस प्राप्ती को विलम्ब से लागू करने के अलावा, लाइसेंसिंग के मूल अभिनेतों को अनुरक्षित न करना तथा लाइसेंस जारी/नवीकरण करने की उचित प्रणाली का अभाव भी कई राज्यों में पाया गया। इन सभी घटकों के परिणामस्वरूप सभी राज्यों में बड़ी संख्या में खाद्य प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे थे।

खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूनों का उठाना अति आवश्यक था। 15 में से 13 राज्यों में उठाए गए नमूनों में महत्वपूर्ण कमी पाई गई, चार राज्यों, मणिपुर, पांडिचेरी, गोवा, गुजरात में स्थिति अति गम्भीर थी। जन उपभोग की मद्देसापनी खाद्य वर्स्टरों जो कि अपमिश्न के लिए अधिक प्रवृत्त होती हैं, के नमूनों को उठाने में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था।

राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं में पर्याप्त संचयनात्मक सुविधाओं जैसे अपर्याप्त जांच सुविधाएं, जन विश्लेषकों के पदों में विकलता इत्यादि की कमी के कारण खाद्य नमूनों के विश्लेषण को क्षति पहुंची। फसलों में संदूषकों, कीटनाशी अवशिष्टों, भारी धातु खाद्य संर्योजी का पता लगाने के लिए जटिल रासायनिक जांच, प्रशिक्षित मनव शक्ति उपकरणों और प्रयोगशालाओं में रक्षायनों की कमी के कारण, नहीं की जा सकी। आठ राज्यों में प्रयोगशालाओं की क्षमताओं का कम उपयोग करने के मामलों का पता चला।

खाद्य अपमिश्रण रोकने के लिए अपमिश्रित खाद्य पदार्थों को बचने वाले व्यापारियों पर अधियोजन करना आवश्यक है। अपमिश्रित नमूनों के लगभग एक तिहाई मामलों में अधियोजन प्रारम्भ ही नहीं किए गए तथा जिन मामलों में जहां अधियोजन शुरू भी किया गया था 50 प्रतिशत के लगभग ऐसे मामलों का अन्त अभियुक्तों की दोषुक्ति में हुआ। यह मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा मामलों की समुचित पैरवी, मूल अपिलेक्ष्यों का रखरखाव न करना, खाद्य विश्लेषकों की नियुक्ति इत्यादि न करने में अक्षमता के फलस्वरूप हुआ।

लगभग 59 प्रतिशत तक की रिटिल्या खाद्य निरीक्षकों के मुख्य पदों में विद्यमान श्री। कुछ राज्यों में रिटिल्या पदों को भारत में असाधारण विलम्ब, बोकार/अधिक स्टाफ की तैनाती के मामले भी देखने में आए।

उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करने का विचार आम जनता को अपमिश्रित खाद्य के उपभोग के खतरों से अवगत करना था। सात राज्यों में इस घटक के अन्तर्गत 1995-2000 के दौरान कोई गतिविधि शुरू नहीं की गई थी।

अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर शौचालय रूप से अपर्याप्त था। कुछ राज्यों में परिवेशण एवं मूल्यांकन के लिए कोई प्राक्रिया स्थापित नहीं की गई थी तथा कुछ राज्यों में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति अक्रियात्मक रही। इस अधिनियम के लागू होने के छियालिस वर्षों के बावजूद अधिनियम के कार्यान्वयन की परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार की प्रबन्धसूचना प्रणाली विकसित नहीं की गई थी।

1. प्रस्तावना

खाद्यों की उपचारता को विनियमित करने के लिए कानूनों को पहली बार 1899 में ब्रिटिश इंडिया में लाया गया था। उस समय अनेक राज्यों ने अपने खाद्य कानून बनाए जिसके परिणामस्वरूप उपचारता और विनियामक उपायों के विनियोजन से संबंधित नियमों और विनियमों का अचार लग गया। 1943 में नियुक्त किए गए सलाहकार बोर्ड ने खाद्य अपमिश्रण विषय की समीक्षा करते हुए एक केंद्रीय कानून की सिफारिश की। भारत के संविधान में केंद्रीय तथा राज्य दोनों सरकारों को ऐसे कानून बनाने के अधिकारों का प्रावधान है क्योंकि खाद्य तथा औषध अपमिश्रण का विषय संविधान की समवर्ती सूची में (7वीं अनुसूची की सूची 3 की मद संख्या 18 के रूप में) शामिल किया गया है। तथापि सभी राज्यों में समान रूप से लागू होने वाला एक ही कानून लाने के उद्देश्य से 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण (खा.अ.नि.) अधिनियम बनाया गया जो

| በዚህ ማኅናኝነት ተብሎ የሚከተሉ ነው ተብሎ የሚከተሉ ነው |

। ପାଇଁପାଇଁ ।

| በእውቅ በተከለለ ቅዱ ሂደማዣስና ቤትና ጥሩን መታወች ቅዱያዊ ነው ነገር የሁኔታ

। ନେତ୍ର କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ

— የዚህ ማስታወሻ አንቀጽ ተከራይ ተሸጠዋል፡፡ ይህም ተከራይ ተሸጠዋል፡፡

•ኋይሱን ይኩል በቻዎች ቅድመ

। ॥ৰাম প্রভুর কৃষ্ণ দেবী মুক্তি পাই
মুক্তি পাই ॥

। ॥ १२४ ॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्र ॥

፤ በዚህ ማኅበር የሚ እንዲያስፈልግ ይችላል ተብሎ ተብሎ ይችላል ተብሎ ■

। ॥
କୁ ଲକ୍ଷଣରେ ଥିଲେ ପାଦ ତାହା ପାଦ ତାହା ପାଦ ତାହା ପାଦ ତାହା ପାଦ
ତାହା ପାଦ ତାହା ପାଦ ତାହା ପାଦ ତାହା ପାଦ ତାହା ପାଦ ତାହା ପାଦ

Digitized by srujanika@gmail.com

2. अनुप्रयोग की सीमा

अधिनियम सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है। तथापि इसका प्रवर्तन राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ विधि-निर्माण के माध्यम से किया जाता है। केन्द्र सरकार अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अन्तर्गत इसको सौंपें गए विभिन्न वैधानिक कार्यों/ कर्तव्यों के निर्वाहन के अलावा मुख्यतः इस अधिनियम के कार्यान्वयन में परामर्शदाता की भूमिका निभाती है।

3. पुनरीक्षण का कार्यक्षेत्र

पुनरीक्षण 19
राज्यों की
लेखापरीक्षा
निष्कर्षों पर
आधारित है।

पुनरीक्षण में अधिनियम के प्रशासन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार दिया गया है, यह सार भारत के 19 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) में 1996-2000 की पांच वर्ष की अवधि के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण विवेचित सांविधिक परामर्शों कार्यों के सन्दर्भ में की गई लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर आधारित है। यद्यपि लेखापरीक्षा पुनरीक्षण का विस्तृत उद्देश्य विनियामक तथा प्रवर्तन मशीनरी की गुणवत्ता की जांच करने के साथ-साथ अधिनियम के प्रशासन के मुख्य ढांचे की सक्षमता की भी जांच करना है। समीक्षा के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है -

- अधिनियम के प्रवर्तन के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता का विश्लेषण करना।
- क्या खाद्य प्रतिष्ठानों की संख्या को सुनिश्चित करने के लिए प्रारम्भिक/आवधिक सर्वेक्षण किए गए हैं तथा डाटा आधारित निगरानी को नियमित अनुरक्षण तथा अद्यतनीकरण किया जा रहा है।
- क्या राज्यों में समुचित लाइसेन्सिंग प्रणाली प्रचालन में थी तथा लाइसेन्स समय पर जारी/नवीनीकृत किए जा रहे हैं तथा लाइसेन्स शुल्क सरकारी खाते में जमा किया जा रहा है।
- क्या नमूनों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिया जा रहा था तथा क्या आम उपभोक्ता मदों को भी लिया जा रहा था क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रयोगशालाओं की अधिसूचनाओं का अनुपालन किया जा रहा था।

■ क्या नमूनों का विश्लेषण समुचित रूप से किया जा रहा था। क्या नमूनों का समुचित विश्लेषण करने के लिए समुचित उपकरण प्रदान कर दिए गए थे।

■ क्या विभिन्न न्यायालयों में लंबित अभियोज्य मामलों का अनुश्रवण/उन पर उत्तरवर्ती कार्यवाही समुचित रूप से की जा रही है।

■ क्या अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए समुचित ढंचा विद्यमान था। इसमें आवश्यक उपकरणों के प्रावधानों के अतिरिक्त पर्याप्त स्टाफ की तैनाती भी समीलित थी।

■ उपभोक्ता जानकारी के लिए क्या जातिविधियां शुरू की गई थी।

■ परीक्षण तथा मूल्यांकन की गुणवत्ता की जांच करना।

■ अपमिश्च निवारण तथा अपमिश्चि खाद्य पर अधिनियम की उपलब्धता के कार्यान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

4. अधिनियम का संचालन

अधिनियम का संचालन राज्यों सरकारों द्वारा होता है। अधिनियम के संचालन से सम्बन्धित उठने वाले मामलों पर परामर्श देने के लिए एक खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति(खा.म.के.स.) 1955 में गठित की गई थी। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्रों तक ही सीमित है:

4.1 नियम निर्धारण तथा संशोधन

मंत्रालय ने अधिनियम में 1964, 1976 तथा 1986 में तीन बार संशोधन किए। अधिनियम में संशोधन मंत्रालय द्वारा किये जाते हैं।

मंत्रालय ने अधिनियम में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे वे इनसे सम्बन्धित थे (i) स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा (ii) खाद्य तथा कृषि विभाग, वाणिज्य, खाद्य, उद्योग तथा पूर्ति, रेलवे मंत्रालय तथा भारत मानक संस्थान से एक-एक प्रतिनिधि की नियुक्ति किया जाना (iii) केन्द्रीय सरकार की अभियोजन के लिए संस्थानों की शक्ति प्रदान तथा (v) क्रेयता/स्वैच्छिक उपभोक्ता संस्थाओं को खाद्य के नमूने लेने की शक्ति प्रदान करना।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 में बनाए गए थे तथा इसमें समय-समय पर काफी संशोधन किए गए। महत्वपूर्ण संशोधनों के मामले अनुबन्ध-1 की सूची में दिए गए हैं।

4.2 खाद्य मानक

भारतीय मानक व्यूरो का एक प्रतिनिधि खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति में शामिल किया गया जिसकी वर्दिक 1961 तथा 1970 में आयोजित नहीं की गई।

खाद्य पदार्थों के स्तर की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने अधिनियम में 1964 में संशोधन कर भारतीय मानक संस्थान (अब भारतीय मानक व्यूरो) द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को खा.मा.के.स. में समिलित किया जो मंत्रालय को अधिनियम से संबंधित विशेषकर मानकों को स्थापित करने से संबंधित मामलों में परामर्श देती है। खा.मा.के.स. को कैलेंडर वर्ष में एक बैठक आयोजित करनी थी अधिनियम की धारा 23 केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित पहलूओं पर नियम बनाने पर जोर देती है:

- खाद्य वस्तुओं/श्रेणियों का आयात के लिए निर्धारण करना जिसके लाइसेंस को जारी करने के लिए प्राधिकरण बनाना, शर्तें लागू करना, देय युल्क, जमानत जमा तथा ऐसे लाइसेंस-रद्द/जब्त करना आदि।
- खाद्य निरीक्षकों तथा जन विश्लेषकों के लिए योग्यताओं, शक्तियों तथा कर्तव्यों को परिभाषित करना।
- नमूनों के विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं को परिभाषित करना।
- जन स्वास्थ्य के हित में खाद्य पदार्थों की विक्री के लिए लाइसेंस विक्रय की शर्तें परिभाषित करना।
- खाद्य नमूनों के पात्र की मुहरबन्दी /स्थिरकरण करने के तरीके का विनिर्देशन।
- किसी भी खाद्य पदार्थ में उचित परिमाण के साथ-साथ प्रत्येक परिमाण की अधिकतम मात्रा का विनिर्देशन।
- किसी भी खाद्य पदार्थ में रजन द्रव्य तथा उसकी अधिकतम मात्रा का विनिर्देशन।
- ऐसे खाद्य पदार्थ को जो इस अधिनियम के नियमों तथा प्रावधानों के अनुसार नहीं है, नष्ट करने का प्रावधान करना।
- किसी भी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण में ऐसे संधटक का उपयोग जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता हो, उसकी विक्री पर रोक या ऐसे पदार्थ की विक्री पर शर्त लगाना आदि,
- ऐसा पदार्थ जो किसी वस्तु में खाद्य के अपमिश्रक के रूप में जाने जाते हैं के विनिर्माण, परिवहन तथा विक्री पर रोक लगाना,
- किसी भी खाद्य पदार्थ में अपमिश्रक के रूप में अतिक्रम पानी, अन्य तनुकारक पर रोक,
- किसी भी खाद्य पदार्थ के संघटक से सार निकालना
- एक जैसी प्रकृति या आकृति के दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण
- उत्पादन, वितरण तथा किसी भी पदार्थ या किसी श्रेणी के खाद्य पदार्थों की विक्री पर कठोर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधानों को बनाना जिसको केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इंगित कर जिसमें परिसर का पंजीकरण भी शामिल है, जहां ये विनिर्मित होते हैं, परिसर की सफाई व्यवस्था का रख-रखाव तथा

የፌዴራል ተስፋዕና ማረጋገጫ አንቀጽ ፩፭ የሚከተሉት መሆኑን በመግለጫ ተጨማሪ ተያያዥ ይችላል፡፡

၁။ မြှေးမြှေးနှင့် အဖွဲ့အစည်း တော်လုပ် လုပ်မှု ရုပ်သိမ်များ
နှင့် ပြည်တွင် အကျဉ်းချုပ် ပြည်တွင် အကျဉ်းချုပ် ပြည်တွင် အကျဉ်းချုပ်

5.1

ቤት ከድድ ቅድመ

ପାତ୍ର ପାତ୍ର
ପାତ୍ର ପାତ୍ର

4.3 የዚህ ተከታታይ ይችላል እና ስለሚከተሉ የሚከተሉትን ደንብ ይዘረግል

(लाख रु. में)

वर्ष	मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान	राज्यों द्वारा उपयोग किया गया अनुदान*	अनुदान का अव्ययित शेष	मंत्रालय द्वारा जारी कुल अनुदान से अव्ययित अनुदान की प्रतिशतता
1995-96	108.00	36.00	72.00	67
1996-97	93.00	30.00	63.00	68
1997-98	70.00	14.00	56.00	80
1998-99	9.00	शून्य	9.00	100
1999.00	136.50	शून्य	136.50	100
जोड़	416.50	80.00	336.50	81

*आंशिक उपयोग किए गए अनुदान को छोड़कर

तालिका से यह देखा जा सकता है कि केन्द्रीय सहायता अनुदान की राज्यों द्वारा उपयोग की प्रतिशतता पर्याप्त रूप से निम्न है। 1998-99 तथा 1999-2000 के वर्षों में जारी किए गए कुल अनुदान अप्रयुक्त रहे। यह राज्य सरकारों की योजना के कार्यान्वयन में उदासीनता प्रकट करता है। वर्ष 1995-2000 के दौरान केन्द्रीय सहायता अनुदान की उपयोग की राज्यवार स्थिति और भी अधिक निराशापूर्ण चित्र प्रकट करती है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी राशि	राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई राशि	राज्य के पास अव्ययित शेष	जारी की गई राशि से अव्ययित राशि की प्रतिशतता
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.50	शून्य	22.50	100
2.	অসম	21.00	शून्य	21.00	100
3.	ગુજરાત	30.00	21.00	9.00	30
4.	ગોઆ	22.50	9.00	12.50	56
5.	હરિયાણા	30.00	शून्य	30.00	100
6.	હિમાચલ પ્રદેશ	7.00	शूન्य	7.00	100
7.	કર્નાટક	30.00	शूન्य	30.00	100
8.	કેરલ	21.00	7.00	14.00	67
9.	મધ્ય પ્રદેશ	14.00	शूન्य	14.00	100
10.	મણિપુર	16.00	शूન्य	16.00	100
11.	મેઘાલય	14.00	शूન्य	14.00	100
12.	ઉડ્ડીસા	30.00	शूન्य	30.00	100
13.	ਪંજાਬ	30.00	शूન्य	30.00	100
14.	રાજસ્થાન	18.00	शूન्य	18.00	100
15.	ત્રિપુરા	16.00	शूન्य	16.00	100
16.	તમિલનાડૂ	29.50	16.00	13.50	46

17.	उत्तर प्रदेश	18.00	शून्य	18.00	100
18.	पश्चिम बंगाल	11.00	शून्य	11.00	100
19.	पांडिचेरी	36.00	27.00	9.00	25
	जोड़	416.50	80.00	336.50	81

यद्यपि 14 राज्य सरकारों ने मंत्रालय द्वारा जारी की गई योजना गत अनुदान में से कोई व्यय नहीं किया, राज्य सरकारों ने अपने बजट में प्रदत्त योजनेत्तर निधियों में से व्यय किया।

19 राज्यों में से, 14 राज्यों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान से कोई व्यय सूचित नहीं किया था। शेष पांच राज्यों में अप्रयुक्त शेष की प्रतिशतता 25 से 67 के बीच रही। चूंकि निधियां राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दी गई थी, उनका अनुपयोग राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रभावी संचालन के लिए अनिवार्य समझे गए एवं कुशल प्रयोगशाला तंत्र के निर्माण पर, कम ध्यान दिए जाने का सूचक है। मंत्रालय ने सितम्बर 2001 में बताया कि 2000-2001 के लिए आबंटित की गयी निधियों में से उपस्कर राज्य सरकारों के आपूर्त किये जा रहे हैं।

राज्यों द्वारा उपलब्ध सूचना से पता चला कि यद्यपि 1995-2000 वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा दिए गए योजनागत अनुदान अप्रयुक्त रहे, मध्य प्रदेश को छोड़कर जहां लगभग 30 प्रतिशत निधियां अप्रयुक्त रहीं, राज्य बजट द्वारा उपलब्ध की गई योजनेत्तर निधियों का सर्वोत्तम उपयोग किया गया।

जैसा तालिका में नीचे दिया गया है:

(लाख रु.में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	रज्य बजट से जारी निधिया	उपयोग की गई निधियां	अव्ययित शेष
1.	उत्तर प्रदेश	1255.00	1133.00	122.00
2.	त्रिपुरा	31.43	30.13	1.30
3.	आन्ध्र प्रदेश	1045.81	1067.87	शून्य
4.	हरियाणा	473.00	440.00	33.00
5.	केरल	1691.00	1512.00	179.00
6.	पांडिचेरी	54.61	53.98	0.63
7.	राजस्थान	372.00	343.00	29.00
8.	मध्य प्रदेश	1579.73	1112.75	466.98
9.	मणिपुर	7.62	6.61	1.01

5.2 सर्वेक्षण एवं निगरानी

खाद्य पदार्थों के सभी विनिर्माताओं, थोक विक्रेताओं एवं फुटकर व्यापारियों के साथ-साथ राज्यों में सभी जिलों, शहरों एवं स्थानीय निकायों के अंतर्गत सभी संचालित खाद्य स्थापनाओं पर अधिनियम के लाइसेंस देने के प्रावधानों के सम्बन्ध में निगरानी तथा नियंत्रण पहला तर्कसंगत कदम केन्द्रीकृत (राज्य विस्तार) डाटा आधार के साथ -साथ

स्थानीय (खंड, जिला या नगरपालिका क्षेत्र) आधारित डाटा आधार तैयार करने की दिशा में पहला तर्क संगत कदम है।

राज्य सरकारों द्वारा सभी विनिर्माताओं/स्थापनाओं का खाद्य पदार्थों के फूटकर व्यापारियों तथा राज्यों में खाद्य प्रतिष्ठानों का प्रारंभिक सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

खाद्य विनिर्माताओं/स्थापनाओं का अपने क्षेत्रों के भीतर बारंबार निरीक्षण करना है जो खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकरण/स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तथा निरीक्षणों और नमूने लेना एवं स्टाक के अभिग्रहण सहित अपने कार्यों के निषादन में उनके द्वारा की गई कार्यावाही के अभिलेख अनुरक्षित करना और अपने कार्यों के निषादन में उनके द्वारा इन डाटा आधारों को नियमित अद्यतन करना अगला उत्कृष्ट कदम है। तथापि अधिकांश राज्यों में, विधान के अधिनियम से जबकि पैतालीस वर्ष द्वितीय हो चुके हैं प्रारंभिक सर्वेक्षण भी नहीं किया गया था। यहां तक कि सभी मामलों में, सीमित प्रयास (जैसे कि नगरपालिका प्राधिकरणों एवं निर्गमों जैसे विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा खाद्य संगठनों को खाद्य लाइसेंस जारी करने विच संबंध स्थापित करने का प्रयास भी नहीं किए गए हैं। सर्वेक्षण करने के कुछ प्रयास उनीस राज्यों में केवल दो राज्य अर्थात् आच्छ प्रदेश एवं गोवा, में किए गए प्रतीत होते हैं। आच्छ प्रदेश में, केवल पहला सर्वेक्षण 1996-97 में किया गया। इसी प्रकार, गोवा में एक अनियमित सर्वेक्षण 1993-94 में किया गया। तथापि इन सर्वेक्षणों के परिणाम अधिकार असंतोषजनक रहे प्रतीत होते हैं। आच्छ प्रदेश सर्वेक्षण के अनुसार खाद्य संगठनों की संख्या केवल 39475 थी जो राज्य की जनसंख्या (5.61 करोड़) को द्व्यान में रखते हुए अत्यंत कम थी। इसके अतिरिक्त, इन उपलब्ध संचित आंकड़ों को अद्यतन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। आच्छ प्रदेश के पास 1996-97 के बाद ग्राम हुए खाद्य संगठनों की कोई सूचना नहीं थी। गोआ ने भी 1993-94 के बाद अपने संचित आंकड़ों को अद्यतन करने का आगे कोई प्रयत्न नहीं किया।

राज्य सरकारों ने खाद्य वर्तमान प्रतिष्ठानों के अभिलेखों का रखना कर्तव्य नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप प्राय सभी राज्यों में, अधिनियम के अंतर्गत अभिकलित, खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (खा.स्वा.प्रा.) के पास स्थानीय निकायों के अन्तर्गत आने वाले संगठनों सहित राज्यों में संचालित खाद्य संगठनों की संख्या की कोई सूचना नहीं थी। जिससे खाद्य संगठनों पर निगरानी रखने का मुख्य उद्देश्य विफल हुआ। उदाहरणार्थ गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश या त्रिपुरा सरकारों ने वर्तमान खाद्य संगठनों का कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया। इस पर ध्यान देना चाहिए कि अधिनियम का मुख्य जोर अपनिशण पर था। यद्यपि, आहार - प्रतिष्ठानों की प्रचुर मात्रा में बड़ोतरी के साथ -साथ काफी बढ़ती हुई जनसंख्या की विधमानता है। यद्यपि, जैसाकि उपरोक्त बताया गया, इन प्रतिष्ठानों का कोई प्रभावी सर्वेक्षण तथा निगरानी नहीं थी। इनमें से अधिकतर बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। उपरोक्ताओं की स्वास्थ्य संबंधी तथा खाद्य सुरक्षा स्तरों को सुनिश्चित करने की मात्रा को उपलब्ध कराने के लिए इन प्रतिष्ठानों के स्तरों को निर्धारित करने पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए।

5.3 लाइसेंस प्रणाली

अधिनियम के अस्तित्व में आने के काफी वर्षों के बाद खाद्य पदार्थों के विनियमाताओं, स्टाक विक्रय करने वालों आदि को लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली लागू की गई थी।

खा.अ.नि. अधिनियम के कार्यान्वयन का दूसरा चरण लाइसेंस बनाने की पद्धति का नियमन एवं कार्यान्वयन तथा लाइसेंस जारी करना है। खा.अ.नि. नियमावली 1955 के नियम 50 में अनुबद्ध है कि लाइसेंस के अलावा तैयार भोजन या परेसन हेतु तैयार भोजन सहित किसी खाद्य सामग्री की विक्री के लिए कोई भी व्यक्ति उत्पादन, बिक्री, भण्डारण, वितरण एवं प्रदर्शन नहीं करेगा। लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा एक या अधिक खाद्य पदार्थ के लिए एक लाइसेंस जारी किया जा सकता है। खाद्य पदार्थ के उत्पादन, भण्डारण या प्रदर्शन के लिए जिसके संबंध में लाइसेंस आवश्यक है लाइसेंस जारी करने से पहले लाइसेंस प्राधिकरण स्थान का निरीक्षण करेगा एवं अपने को संतुष्ट करेगा कि वह स्वास्थ्य संबंधी कमियों से मुक्त है। लाइसेंस, जब तक कि स्थगित या रद्द नहीं हो जाये, राज्य सरकार निर्धारित अवधि के लिए प्रभावी होगा। राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण लाइसेंस प्राधिकरण की नियुक्ति करते हैं।

लेखापरीक्षा में जांच पड़ताल से पता चला कि लाइसेंस जारी करने की पद्धति अधिनियम के अस्तित्व में आने के कई वर्षों बाद आरंभ/कार्यान्वयन की गई थी। आस्त्रप्रदेश में, यद्यपि खा.अ.नि. नियम 1957 में बनाए गए थे, लाइसेंस जारी करने की पद्धति केवल अप्रैल 1996 से आरंभ की गई। इसी प्रकार असम में, लाइसेंस प्राधिकरण की जुलाई 1997 में नियुक्ति की गई थी और लाइसेंस जुलाई 2000 के बाद जारी किए गए यद्यपि राज्य खा.अ.नि. नियम 1960 से लागू किए गए थे। गोआ में, यद्यपि लाइसेंस जारी करने के नियम अगस्त 1982 में बनाये गये थे, परन्तु उनका कार्यान्वयन जुलाई 1994 से किया गया। मेघालय में भी, यद्यपि खा.अ.नि. नियम 1991 में बनाए गए, लाइसेंस जारी करने की अधिसूचना केवल 1997 में जारी की गई थी।

कई राज्यों में, लाइसेंस जारी/नवीकरण करने की कोई उचित पद्धति नहीं थी या उनका रिकार्ड अनुरक्षित नहीं किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप गेर-लाइसेंस विक्रेताओं पर जो लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर समस्या पैदा करते हैं, नियंत्रण का पूरा अभाव रहा। खा.स्वा.प्रा. तथा लाइसेंस प्राधिकरण के बीच कोई समन्वय नहीं था। इससे राज्य सरकारों की लाइसेंस पद्धति के उचित कार्यान्वयन के प्रति उदासीनता प्रकट होती थी। राज्य सरकार के लाइसेंस जारी करने में विफलता के उदाहरण का विवरण नीचे दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में केवल 38122 संगठनों को लाइसेंस जारी किए गए जबकि 1996-2000 के दौरान 120858 संगठन बिना लाइसेंस विक्रेताओं पर 60.44 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई, गेर-लाइसेंस विक्रेताओं को बिना किसी रोक के परिचालन की अनुमति दी गई। चार नगर-पालिकाओं और एक शाम पंचायत में यह देखा गया कि 8251 संगठनों के प्रति 8181 संगठनों को लाइसेंस जारी नहीं किए गए अर्थत् प्रतिशतता में 99 प्रतिशत की कमी। यद्यपि प्रत्येक लाइसेंस के लिए लाइसेंस प्रणाली एक वर्ष की अवधि के लिए थी, नवीकरण एवं अनुवर्ती कार्यान्वयन की कोई पद्धति नहीं थी। स्थानीय निकायों की नमूना जांच से पता चला कि लाइसेंसों के जारी न किए जाने /नवीकरण न किए जाने के कारण सरकार को 14.81 लाख रु. की

1.21 लाख प्रतिष्ठानों को लाइसेंस जारी नहीं करने के कारण राज्य सरकार को 60.44 लाख रु. की हानि उठानी पड़ी।

राजस्व हानि हुई । उचित लाइसेंस प्रणाली के कार्यान्वयन की विफलता के परिणामस्वरूप गैर-लाइसेंस विक्रेताओं पर विभागीय निगरानी का अभाव रहा ।

जुलाई 2000 तक लाइसेंस जारी नहीं करने के कारण राज्य सरकार को 12.76 लाख रु. की राजस्व हानि प्रतिवर्ष उठानी पड़ी ।

असम में, जुलाई 2000 तक, कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया जो विभाग की ओर से अपमिश्रण की जांच के लिए मानदण्ड अपनाने में एवं निष्क्रियता का सूचक था, इसके अलावा कामरूप, दुब्री, बारपेटा, सोनितपुर, तीनसुकिया एवं कछार, छ: नमूना जांच किए जिलों को लाइसेंस शुल्क के रूप में 12.76 लाख रु. प्रति वर्ष राजस्व हानि का भार उठाना पड़ा ।

गोवा में, लाइसेंसिंग नियमों के कार्यान्वयन में 12 वर्षों के असाधारण विलम्ब के अतिरिक्त आवृत्त किये जाने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था ।

84 प्रतिशत
लाइसेंस धारी
प्रतिष्ठानों ने अपने
लाइसेंसों का
नवीणीकरण नहीं
कराया था ।

गुजरात में, आयुक्त द्वारा विद्यमान खाद्य प्रतिष्ठानों की संख्या, लाईसेंस के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, जारी किये गये लाईसेंसों की संख्या आदि के कोई अभिलेख नहीं बनाये गये थे । लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच से यह ज्ञात हुआ कि लाईसेंसधारी प्रतिष्ठानों में से 84 प्रतिशत ने 1995-2000 के दौरान अपने लाईसेंसों का नवीणीकरण नहीं कराया था ।

हरियाणा में, म.नि. स्वास्थ्य से. के पास राज्य में खाद्य पदार्थों के उत्पादकों, वितरकों, छोटे दुकानदारों, तथा विक्रेताओं के कोई अभिलेख नहीं थे । लाईसेंस के जारी करने, नवीणीकरण करने या रद्द करने के लिए राज्य खाद्य प्राधिकरण एवं स्थानीय निकायों के बीच कोई समन्वय नहीं था । जिसके परिणामस्वरूप राज्य में सभी पात्र इकाइयों का अपर्याप्त कवरेज था । स्थानीय निकाय अर्थात नगरसभियों /पंचायत समितियों को भी लाईसेंसों के नवीणीकरण तथा जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की गई थी । पांच जिलों (भिवानी, गुडगांव, हिसार, करनाल तथा रोहतक) में स्थानीय निकायों की नमूना जांच से पता चला कि 1995-2000 के दौरान लाइसेंस जारी करने /नवीणीकरण सम्बन्धी कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे ।

16 लाइसेंसिंग
प्राधिकरणों में से
किसी ने भी इनकी
समाप्ति से पहले एक
भी लाइसेंस का
नवीणीकरण नहीं
कराया था ।

हिमाचल प्रदेश में, राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण तथा लाईसेंसिंग प्राधिकरण ने 1995-2000 के दौरान खाद्य उत्पादकों, थोकविक्रेताओं एवं फुटकर विक्रेताओं का कोई सांख्यिकी आधार तैयार नहीं किया था । इसी प्रकार रा.खा.स्वा.प्रा. ने राज्य में जारी किये गये लाईसेंसों के अभिलेख तैयार नहीं किये थे । बिलासपुर, मंडी तथा सोलन के तीन जिलों में नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि 1995-2000 के दौरान 16 लाईसेंसिंग प्राधिकरणों में से किसी ने भी इसकी समाप्ति से पहले एक भी लाइसेंस का नवीणीकरण/जारी नहीं किया था । राज्य सरकार ने लाइसेंस के विलम्ब से जारी करने/नवीणीकरण करने के लिए किसी दाण्डिक व्यवस्था का नियमों में प्रावधान नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप, राज्य में अधिकतर बिना लाइसेंस के खाद्य व्यापार चल रहे थे । 1995-2000 के दौरान लाईसेंसिंग प्राधिकरणों ने खाद्य विक्रेताओं के परिसरों का निरीक्षण ही नहीं किया था । बेगसैद तथा रान्ती (मंडीजिला) के खण्ड स्वास्थ्य अधिकारियों ने 1995-96 तथा 1997-98 के दौरान कोई लाइसेंस जारी नहीं

किया था। बिलासपुर एवं मंडी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा 1999-2000 में नलवार में तथा 1995-98 के दौरान शिवरात्रि मेलों के लिए खाद्य विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं किये गये। अभिलेखों में लाइसेंस रकम के गबन, कम प्रभार तथा अधिक प्रभार की रिपोर्ट भी पाई गई थी।

56.29 लाख रु. की कर्नटक में, जिलों के नमूना जांच में, सात स्था.स्वा.प्रा. ने, 1995-2000 के दौरान, लाइसेंस शुल्क के 56.29 लाख रु. सरकार के पास जमा नहीं कराये गये।

41.88 लाख रु. को लाइसेंस शुल्क को सरकार के पास जमा नहीं कराया गया।

56.29 लाख रु. की कर्नटक में, जिलों के नमूना जांच में, सात स्था.स्वा.प्रा. ने, 1995-2000 के दौरान, लाइसेंस शुल्क के लिए कर्नटक में, जिलों के नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि लाइसेंस शुल्क के एकत्रण तथा लाइसेंस जारी करने को मानीटर करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप बिना लाइसेंस के विक्रेताओं की संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी। 41.88 लाख रु. की लाइसेंस शुल्क की रकम सरकार के पास जमा नहीं कराई गई थी।

केरल में, 16 स्थानीय निकायों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि लाइसेंस शुल्क के एकत्रण तथा लाइसेंस जारी करने को मानीटर करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप बिना लाइसेंस के विक्रेताओं की संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी। 41.88 लाख रु. की लाइसेंस शुल्क की रकम सरकार के पास जमा नहीं कराई गई थी।

मणिपुर में, नमूना जांच से पता चला कि इम्फाल निगम परिषद में 54 प्रतिशत खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस जारी नहीं किये गये थे। महानिदेशालय (ज.स्वा.) के पास खाद्य प्रतिष्ठानों की कुल संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं थी।

450 लाइसेंसों में से 380 का आगामी वर्ष में नवीनीकरण नहीं कराया गया था।

मेघालय में, लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने केवल उहीं को लाइसेंस जारी किये जिन्होंने इससे सम्पर्क किया। खाद्य प्रतिष्ठानों की संख्या को कोई सूचना इसके पास नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप खाद्य प्रतिष्ठानों की बड़ी संख्या बिना लाइसेंस के रही। 450 प्रतिष्ठानों में से जिन्हें 1998-99 के दौरान लाइसेंस जारी किये गये थे 380 ने, आगामी वर्ष में अपने लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं कराया था। राज्य में कुल खाद्य प्रतिष्ठानों की संख्या को सुनिश्चित करने के लिए कभी कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया था।

उड़ीसा में, खाद्य विक्रेताओं को जारी किये गये विभिन्न श्रेणियों के 2118 खाद्य लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं कराया गया था। कियोजार में, जन स्वास्थ्य के अतिरिक्त जिला चिकित्सा अधिकारी (अ.जि.चि.अ.) ने, जुलाई 1999 में खाद्य लाइसेंस और जारी करने सम्बन्धित कार्य को अपने कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक को सौंपा था। तदनुसार, जुलाई 1999 से दिसम्बर 1999 की अवधि में जारी किये विक्रेताओं/व्यापारियों को 281 खाद्य लाइसेंस बिना उचित एवं सक्षम निरीक्षण के, जारी किये गये थे।

पंजिचेरी में, लाइसेंस के जारी करने एवं नवीनीकरण को मानीटर करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी, तथा इस उद्देश्य के लिए कोई अलग से स्टफ की तैनाती भी नहीं की गई थी। खा.स्वा.प्रा. एवं लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप यह निश्चित नहीं किया जा सका कि खाद्य वस्तुओं के विक्रेताओं जिनके पास व्यापार लाइसेंस थे, ने खा.अप.मि. निवारण अधि. की परिविके अन्तरात भी लाइसेंस प्राप्त कर लिए थे।

लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए कोई अलग स्टफ की तैनाती भी नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने
ल.पि.नि.अधि. के
अन्तर्गत पंजीकृत
व्यापारियों को
सेंचुर दे दी ।

पंजाब में, लाईसेंसिंग प्रक्रिया, खाद्य अपमिश्न निवारण के लिए एक नियंत्रण यंत्रावली के रूप में विभिन्न कारणों से पूर्णतः अप्रभावी थी जैसे: (i) सर्वेक्षण की कमी, (ii) अभिलेखों का अभिक्षण न करना (iii) लाईसेंसिंग प्राधिकारी एवं रखा.खा.प्रा. के बीच समन्वय की कमी, (iv) लाईसेंस का निर्धारित फार्म में जारी न करना, तथा टोकन रसीद का केवल तभी जारी करना जब जारी किये गये अपेक्षित लाईसेंस की श्रेणी का उल्लेख न हो, तथा (v) लाईसेंस शुल्क का संशोधन न करना इत्यादि । खाद्य अपमिश्न के संकट को स्थायी बनाने के साथ, उपर्युक्त सभी कमियों के परिणामस्वरूप बहुत बड़े राजस्व का नुकसान हुआ ।

राजस्थान में, बिना लाईसेंस वाले विक्रेताओं का कभी भी कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया था । आगे यह भी देखा गया था कि राजस्थान खाद्य अपमिश्न निवारण नियम 1957 के अनुसार 43 वर्ष पहले तय किये गये लाईसेंस शुल्क में कभी संशोधन नहीं किया गया था । राज्य सरकार ने मई 1996 में आदेश जारी किये कि खा.पि.नि. अधि. के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों के लिये लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा । खा.पि.नि. अधि. के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों को लाईसेंस प्राप्त करने से छूट का यह आदेश अधिनियम को लागू करने के विपरीत था ।

तमिलनाडु में, लाईसेंसिंग प्रणाली पूर्ण रूप से अप्रभावी थी, जैसा कि इन तथ्यों से देखा जा सकता है कि (i) अधिकतर मामलों में लाईसेंस विभाग द्वारा निधारित फार्म में जारी नहीं किये गये थे, (ii) चैनल निगम द्वारा केंद्रीय/जोनल स्तर पर कोई मांग रजिस्टर तैयार नहीं किये गये थे, परिणामस्वरूप, लाईसेंस शुल्क के रूप में एकत्रण हेतु सही देय राशि सुनिश्चित नहीं हो सकी, (iii) लाईसेंस शुल्क पुरानी दरों से ही एकत्र करना जारी था यद्यपि 1988 से लाईसेंस शुल्क में संशोधन का सुझाव था । इस अप्रभावी प्रणाली के कारण 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के लिए राजस्व हानि 12.94 लाख रु. परिमाणित की गई थी ।

त्रिपुरा में, लाईसेंस जारी करने का उद्देश्य ही विफल हो गया था क्योंकि निदेशालय के पास सारे राज्य में काम कर रहे उत्पादकों फुटकर, विक्रेताओं एवं खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं की संख्या की कोई सूचना नहीं थी ।

उत्तर प्रदेश में, जैसा कि रखा.प्रा. द्वारा जिलों की नमूना जांच में उपलब्ध सूचना से ज्ञात हुआ 1995-2000 के दौरान लगभग 30 से 80 प्रतिशत खाद्य विक्रेता 10 जिलों के शहरी क्षेत्रों में, तथा 30 से 49 प्रतिशत 5 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने व्यापार को वैध लाईसेंस के बिना चला रहे थे । राजस्व हानि के अतिरिक्त बिना लाईसेंस के खाद्य व्यापारियों की इस बड़ी प्रतिशतता के कारण, जन स्वास्थ्य को हुई क्षति बहुत गम्भीर है ।

पश्चिम बंगाल में, उत्पादकों थोक विक्रेताओं, फुटकर विक्रेताओं गतियों में खाद्य पदार्थों का व्यापार चला रहे खाद्य विक्रेताओं को मिलाकर के ऊपर राज्यवारस्थानीय क्षेत्रवार रूपरेखा के अनुस्कण न करने के कारण, राज्यवार लाईसेंसिंग प्रावधानों के बाध्यकरण की सीमा का लेखापरिक्षा में सत्यापन नहीं हो सका । इसके अतिरिक्त आभिलेखों में यह

दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि खा.अ.नि. कक्ष ने कभी रथा.स्वा.प्रा. के ऊपर, उनके क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों की संख्या तथा प्राप्त किये गये खाद्य लाईसेंसों की संख्या पर रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता के लिये दबाव डाला था। ना तो रथा.स्वा.प्रा. ने नियमित पुनर्निवेशन ही इस सम्बन्ध में खा.अ.मि. कक्ष को प्रदान की ना ही लाईसेंसिंग प्रणाली के कार्यान्वयन पर कोई सर्वेक्षण ही किया गया था। इस कारण से लाईसेंस शुदा खाद्य प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 1996-97 एवं 1998-99 के दौरान क्रमशः 1995-96 तथा 1997-98 की तुलना में 9000 से घट गई। वर्द्धान जिले के दो उप-जिलों, कलना तथा आसनसोल में, 1995-2000 के दौरान एक भी लाईसेंस जारी नहीं किया गया था। कलकत्ता नगर निगम (क.न.नि.) के क्षेत्रों में गली विक्रेता बिना क.न.नि. द्वारा जारी किये लाईसेंसों के काम कर रहे थे।

5.4 नमूने तथा उपयोगी वस्तुओं को उठाना

राज्यों में उठाये गये खाद्य वस्तुओं के नमूनों की संख्या खाद्य मानकता पर केन्द्रीय समिति की सिफारिशों से कम थी।

खाद्य मानकता पर केन्द्रीय समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक खाद्य निरीक्षक को प्रति माह 12 नमूने लेने होते हैं। इस सिफारिशों के विपरीत त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने प्रति माह अधिक/कम नमूनों की संख्या निर्धारित की थी। 19 राज्यों की अपेक्षित एवं वारस्तव में एकत्र किये नमूनों की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं -

राज्य	वर्ष	जिलों/इकाईयों/क्षेत्रों की संख्या	नमूनों की लक्षित संख्या	नमूनों की उठाई गई संख्या	नमूने उठाने में कमी	कमी की प्रतिशतता
गोवा	1995-00	उ.न.	5760	1613	4147	72
गुजरात	1995-99	उ.न.	203076	45,551	157525	78
हरियाणा	1995-99	उ.न.	35,910	15,633	20,277	56
हिमाचल प्रदेश	1995-99	3	3936	2529	1407	36
मध्य प्रदेश	1995-00	23	53760	19947	33183	63
मणिपुर	1995-00	उ.न.	240	56	184	77
मेघालय	1995-99	7	4896	2238	2658	54
पांडिचेरी	1995-00	2	5184	911	4273	82
पंजाब	1995-00	7	27,065	12,102	14,963	55
राजस्थान	1995-99	7	11,240	5439	5801	52
तमिलनाडु	1995-99	59	55,566	17,369	38,197	69
त्रिपुरा	1995-99	उ.न.	5670	1841	3829	68
उत्तर प्रदेश	1995-99	14	1,98,000	73,338	1,24662	63
पश्चिम बंगाल	1995-00	5	24,192	7979	16,123	67

14 में से 13 राज्यों में उठाये गये नमूनों की प्रतिशतता में गिरावट 50 प्रतिशत से अधिक थी, 72 से 82 के बीच प्रतिशतता में गिरावट के साथ मणिपुर, पांडिचेरी, गोवा तथा गुजरात के चार राज्यों में स्थिति अति गंभीर थी।

कुछ राज्य-वार विशेष टिप्पणियां निम्न लिखित हैं -

पिछले माहों की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के अन्त में अधिक मात्रा में नमूने लिए गये थे। उचित दर दूकानों द्वारा वितरित किये गये खाद्यान्तों की गुणवत्ता की रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं दी गयी।

आंध्र प्रदेश में, स्वास्थ्य निदेशक खाद्य निरीक्षकों तथा अंशकालिक खाद्य निरीक्षकों के लिए नमूना लेने का लक्ष्य क्रमशः 6,10 तथा 2 प्रतिमाह का था। मार्च 1999 में, लक्ष्य सभी खाद्य निरीक्षकों के लिए समान रूप से नमूने प्रतिमाह बाहरह संशोधित किये गये थे इसे वार्षिक लक्ष्य को 1999 में 13299 से 37340 तक बढ़ा दिया था लेकिन उपलब्धि सीमान्तीय रूप में 10650 से 12164 तक ही बढ़ी जिसका परिणाम 1999 में 67 प्रतिशत की गिरावट रही। कुर्नूल एवं सीकाकुलम जिलों में नमूनों के उठाने से कमी को वहाँ के राजपत्रित खाद्य निरीक्षकों ने अक्सर स्वयं के न्यायालयों में जाने अ.वि.व्य. के पास जाने तथा खाद्य नमूनों को एक मात्र निचारम, हैदराबाद में राज्य खाद्य प्रयोग शाला को भेजने के लिए पर्याप्त सर्विस पोस्टेज स्टैम्पों का प्रावधान न होने पर आरोपित किया गया (फरवरी 2000)। यह भी देखा गया था कि पिछले महीनों की कमी को पूरा करने के लिए नमूने वर्ष के अन्त में लिए जाते थे परिणामस्वरूप मौसमी वस्तुओं जैसे फल तथा फलों से बने पदार्थों आईस क्रीम मृदु-पेयों आदि के ग्रीष्म महीनों में नमूने नहीं लिये जा सके। नियंत्रक महा लेखापरीक्षक के मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन के पैराग्राफ संख्या 3.2.7(iii) में यह बताया गया था कि उचित दर दूकानों (उ.द.दु.) द्वारा वितरित किये जा रहे खाद्यान्तों की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि खाद्य निरीक्षकों ने भा.खा.नि., स.आ.नि. तथा उ.द.दु. के निरीक्षण करने का दावा तो किया था परन्तु 1995-99 के दौरान किसी भी वर्ष में ऐसे निरीक्षणों के परिणामों को भारत सरकार को सूचित नहीं किया गया था। खा.स्वा.प्रा. ने (जून 2000) बताया कि आगे से तिमाही रिपोर्ट निरीक्षकों से प्राप्त की जायेगी।

नमूनों में
गिरावट खाद्य
निरीक्षकों की
रिक्तियों के
कारण थी।

केरल में, 1995-99 के दौरान नमूने एकत्र करने के लिए अपर्याप्त निधियों के प्रावधान का परिणाम शहरी तथा ग्रामीण दोनों मिलाकर प्रतिशतता में 80 की कमी, हुई जबकि केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 90 प्रतिशत से भी अधिक था। गिरावट, खाद्य निरीक्षकों के संवर्ग में रिक्तियों, चंपारसियों/लिपिकों की अनुपस्थिति, रथा.स्वा.प्रा. इत्यादि के भारी काम के सिड्डूल को आरोपित थी।

कुछ अन्य राज्यों में नमूने एकत्रित करने के लिए मापदण्ड तय किये गये थे परन्तु परिणाम कमजोर थे। उदाहरण के तौर पर असम में 1995-99 के दौरान औसतन प्रतिमाह केवल 2 नमूने एकत्रित किये गये थे। इसी प्रकार से कर्नाटक में, रा.खा.स्वा.प्रा. ने नमूना एकत्रित करने के लिए कोई बारम्बारता निर्धारित नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप 423 स्था.स्वा.प्रा. पूर्णरूप से छोड़ दिये गये थे। लिये गये नमूनों में 46,26,19 एवं 9 प्रतिशत नमूने केवल, क्रमशः बैंगलोर महानगर पालिका (बै.म.पा.) दूसरे नगर क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों तथा रेलवे स्टेशनों से एकत्रित किये गये थे। इस प्रकार प्रतिमाह प्रति निरीक्षक, एकत्र किये औसतन नमूनों की संख्या उतनी कम थी जैसे 6 बै.एम.पी. में तथा 3 दूसरे क्षेत्रों में।

कुछ राज्यों में, नमूने का अनुपात हीन उठाना भी देखने में आया। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश, में नियंत्रक, खाद्य एवं दवाईयां प्रशासन ने औसतन तरीके से नमूने उठाने के लिए अनुदेश जारी किये थे, लोगों की सभी श्रेणियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले बिना पैक के खाद्य पदार्थों जैसे दूध, खाद्य तेलों अनाजों आदि के नमूने अधिक लेने पर ज्यादा जोर देते हुए, जो कि अपमिश्रण के लिये, मानक कम्पिनयों की पैक की हुई

बिना पैक किये
खाद्य पदार्थों कम
नमूने निदेशों के
प्रतिकूल निकाले
गये थे।

खाद्य पदार्थों के व्यापक उपयोग के नमूने बहुत कम/शून्य उत्तराये गये थे ।

मानवों की कमी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यपारियों की कम अभिगम्यता पर आरोपित किया । आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न चस्तुओं के नमूने उत्तराये के लिए कोई एक समान पद्धति का पालन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप व्यापक उपयोग की चस्तुओं जो अपमिश्रण के लिए अधिक सुमेह थी के नमूनों का बहुत कम/शून्य एकत्रण हुआ । दूध, मादक पेय /बिना अल्कोहल पेय, मक्खन, घी, फल पदार्थ आदि मर्दों में अपमिश्रण की उच्च दर के बावजूद खाद्य निरीक्षकों द्वारा इन मर्दों के बहुत कम नमूने भरे गये थे, । तमिलनाडु में जल स्वास्थ्य एवं निवारक औषधि निदेशक (ज़.स्वा.नि.ओ.नि.) ने यह अनुदेश जारी किये थे कि नमूने उन्हीं चस्तुओं तक सीमित किये जायें जहाँ पर आपमिश्रण अथवा मिसब्रिंग की सम्भावना अधिकतम हो । लेखापरिक्षा में यह देखा गया कि 1995-99 की अवधि के दौरान मसालों तथा चाय, काफी तथा चिकित्सी खाद्य तेलों तथा अन्न उत्पादों, जहाँ पर अपमिश्रण की प्रतिशतता 32 थी, भरे गये नमूनों की कुल संख्या के 7 उत्पादों जिसके अपमिश्रण की प्रतिशतता 32 थी, भरे गये नमूनों की कुल संख्या का 7 प्रतिशत बने । इसने दर्शाया कि अपमिश्रण सम्भावित मर्दों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था तथा इस विषय पर अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था । उत्तराहरणार्थ, मन्त्रालय ने ज.स्वा.नि.ओ.नि. तथा जन विश्लेषक को पान मसाला तथा गुटके में अपमिश्रण पर जांच करने के निर्देश दिये थे (दिसम्बर 1997 तथा मार्च 1999) क्योंकि यह पता चला था कि खा.अ.नि. नियमावली 1955 के उल्लंघन में उन मर्दों में एक एन्टी-कोरिंग मद मैग्नेजियम कार्बोनेट का उपयोग किया जा रहा था । तदुन्मासार ज.स्वा.नि.ओ.नि. ने इन मर्दों के नमूने भरने तथा विश्लेषण करने के लिए अप्रैल 1999 तथा अक्टूबर 1999 में स्था.स्वा.प्रा./उप निदेशक स्वास्थ्य सेवा (उ.नि.स्वा.से.) को अनुदेश दिये । मार्च 1998 में चेन्नई निगम की खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला (खा.वि.प्र.) के जन विश्लेषक ने ज.स्वा.नि.ओ.नि. को “पान पराग” (उ.नि.स्वा.से.) के अनुदेश दिये । मार्च 1998 में चेन्नई निगम की खाद्य विश्लेषक के अतिरिक्त हानिकारक अंश शामिल थे, तथा पान पराग तथा गुटके के उत्पादन पर सेंक लगाने का सुझाव दिया । इन अनुदेशों के बावजूद मार्च 2000 तक पूरे राज्य में पान निरीक्षकों/खाद्य निरीक्षकों ने खाद्य की ऐसी मर्दों जैसे घी, तेल तुध उत्पादों/गैर तुध उत्पादों, वनस्पति खाद्यान्नों इत्यादि जिनमें अपमिश्रण की प्रायः अधिक सम्भावना थी के नमूनों का एकत्रण करने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । इसके परिणामस्वरूप सभी मर्दों में अपमिश्रित नमूनों की प्रतिशतता में 1995 में 12 से बढ़ कर 1999 में 39 हो गई, गैर तुध उत्पादों में (35 से 60) तुध उत्पादों (3 से 26) तथा तुध (52 से 61) में स्थिति और अधिक गम्भीर थी । पंजाब में दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे तुध, खाद्य तेल तथा अनाजों के नमूनों की पर्याप्त संख्या जब नहीं की गई थी । त्रिपुरा में भी, जन विश्लेषक के अभिलेखों की संवेदनशील हुई । म.नि.स्वा. से. नई दिल्ली ने कार्बोनेट पेय

मर्दों की भासी संख्या की सम्भावना हुई । म.नि.स्वा. से. नई दिल्ली ने कार्बोनेट पेय

पदार्थों, सब्जियों/फलों पर नकली रंग लगाने तथा केलों को पकाने के लिए इथिपोन के उपयोग पर नियन्त्रण करने तथा अधिकतम नमूने एकत्रित करने तथा की गई कार्यवाही की सूचना म.नि.स्वा. सेवा को भेजने के लिए खा.स्वा.प्रा. को निर्देश दिये (जून 1998 तथा अगस्त 1998) अगरतला नगर परिषद, तथा पश्चिम दक्षिण त्रिपुरा जिलों के क्षेत्रों के भीतर कार्यरत खाद्य निरीक्षकों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि खा.नि. द्वारा 1998-2000 के दौरान इन मदों के नमूने भरे नहीं गये थे। केरल में विभाग ने दूध, दुग्ध उत्पादों, खाद्यान्नों तथा आटे (20 प्रतिशत) खाद्य तेल, वसा, चाय तथा कॉफी (10 प्रतिशत) तथा पेय पदार्थों एवं मिठाइयों (5 प्रतिशत) के नमूने भरने के लिए मानदण्ड जारी किये (1994)। इन मानदण्डों के प्रति 1995-2000 के दौरान दूध तथा दुग्ध उत्पादों, खाद्यान्नों तथा आटे, खाद्य तेल तथा वसा, चाय एवं कॉफी, पेय पदार्थों तथा मिठाइयों के एकत्रित नमूनों की औसत प्रतिशतता क्रमशः 2.9, 9.24, 4.41, 5.37 तथा 1.79 थी। खनिज जल, ऐसी मद जिसमें शतप्रतिशत शुद्धता होनी चाहिए, में 2.04 से 13.33 प्रतिशत तक का अपमिश्रण था। इसके बावजूद 1995-99 के दौरान केवल खनिज जल के केवल एक प्रतिशत नमूने भरे गये थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जन साधारण अच्छी किस्म का अनाज प्राप्त कर रहा था म.नि.स्वा.से. ने जुलाई 1989 के दौरान सभी खा.स्वा.प्रा. को भा.खा.नि. के गोदामों तथा उचित दर दुकानों (उ.द.दु.) का लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिये। इन आदेशों के बावजूद तीन प्रयोगशालाओं में नमूना रजिस्टरों की नमूना जांच से प्रता चला कि 1995-2000 के दौरान विश्लेषण हेतु एक भी भा.खा.नि. गोदाम। उ.द.दु. से एक भी नमूना नहीं लिया गया था। पश्चिम बंगाल में दूध, खनिज जल तथा पान मसाले में 24 से 52 प्रतिशत का भारी अपमिश्रण का स्तर होने के बावजूद मसालों जहां पर अपमिश्रण तुलनात्मक रूप से कम था इन मदों की बहुत कम जांच की गई/नमूने लिये गये थे। नि.स्वा.से./ खा.अ.नि सर्तकता करने तथा उनके अपनी जांच के लिए दिये गये क्षेत्रों/निर्णयों पर ध्यान देने के लिए निर्देश जारी करने में विफल रहे।

5.5 नमूनों का विश्लेषण

खा.अ.नि. अधिनियम 1954 की धारा 13(1) तथा खा.अ.अ. नियमावली 1955 के नियम 7 में यह व्यवस्था है कि जन विश्लेषक को नमूनों का विश्लेषण करना था तथा नमूनों की प्राप्ति की तिथि से 40 दिन के भीतर स्था.स्वा.प्रा. को परिणामों की सूचना भेजनी थी। लेखा परीक्षा में नमूनों के विश्लेषण में कमी पाई गई जो कि विभिन्न कारणों जैसे प्रयोगशालाओं की क्षमता का कम उपयोग, जांच के लिए अपर्याप्त सुविधाओं के कारण थी।

प्रयोगशालाओं की क्षमता का कम उपयोग

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि अधिकतर राज्य खाद्य प्रयोगशालाएं अधिकांशतः कम उपयोग के रही। 1995-2000 के दौरान प्रयोगशालाओं की क्षमता के प्रति प्राप्त किये गए तथा विश्लेषित किए गए नमूनों की संख्या को दर्शाने वाली राज्यवार तालिका नीचे दी गई है:-

कम संख्या में उठाये नमूनों तथा विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे जाने के कारण खाद्य प्रयोगशालाएं कम उपयोग के रही।

राज्य	वर्ष	प्रयोगशाला की क्षमता	विश्लेषण हेतु प्राप्त किए गए नमूनों की संख्या	कर्मी(कर्मी की प्रतिशतता)
हरियाणा	1995-99	32500	25529	6971(21)
हिमाचल प्रदेश	1995-99	22500	2529	19971(89)
पांडिचेरी	1995-00	7500	3151	4349(58)
उत्तर प्रदेश	1995-99	125000	73338	51662(41)
त्रिपुरा	1996-99	4500	1668	2832(63)
केरल	1995-00	270000	126960*	143040(53)
पंजाब	1995-00	50000	27264	22736(55)
मध्य प्रदेश	1995-00	45000	19947	25053(56)
जोड़		557000	280386	276614(50)

* जांच किये गए नमूनों की संख्या

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि छ: राज्यों में नमूनों के विश्लेषण में कर्मी की प्रतिशतता 50 प्रतिशत से अधिक थी, हिमाचल प्रदेश में स्थिति अधिक गम्भीर थी जहां पर यह 89 प्रतिशत थी।

राज्य-वार टिप्पणियां नीचे दी गई हैं

आन्ध्र प्रदेश में प्रयोगशाला के सुदृढिकरण के लिए 1995-2000 के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी किये गये 31.50 लाख रु. के प्रति 8.95 लाख रु. 1996-97 के दौरान उपकरणों की खरीद के लिए खर्च किये गये थे। इस प्रकार प्रतिवर्ष 42000 नमूनों के सम्भावित विश्लेषण के प्रति, 1999 के पश्चात प्रतिवर्ष 10000 नमूने विश्लेषित किये गये थे। छ: जिलों में नमूना जांच से पता चला कि 1995-99 के दौरान विश्लेषण के लिए 6977 खाद्य नमूनों के प्रति मार्च 2000 तक 4382 नमूने विश्लेषित तथा सूचित किये गये थे।

गोवा में उपकरण की खरीद के लिए 20.46 लाख रु. का अव्ययित शेष होने के बावजूद खाद्य पदार्थों की जांच के लिए उपकरणों की अनुपलब्धता /खरीद न होने से खा.अ.नि. अधिनियम के कार्यान्वयन को बुरी तरह प्रभावित किया।

244 नमूनों की रिपोर्ट विलम्ब से जारी की गई।

गुजरात में 1995-99 के दौरान विश्लेषित 2882 नमूनों (भुज-राजकोट) की नमूना जांच की रिपोर्ट 10 दिनों तथा 60 दिनों से अधिक के बीच के विलम्ब से जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त 13.50 लाख रु. मूल्य के खरीदे गए तथा दिसम्बर 1994 (राजकोट) तथा मार्च 1997 (भुज) में स्थापित किये गये उपकरण मार्च 2000 तक निष्क्रिय पड़े थे।

खाद्य निरीक्षकों की भर्ती न होने के कारण हरियाणा में कम नमूने उठाए गए थे।

हरियाणा में खा.अ.नि अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये तथा विश्लेषित खाद्य नमूनों की संख्या राज्य खाद्य प्रयोगशाला चण्डीगढ़ में 1996 में 3505 से घटकर 1999 में 2342 (33 प्रतिशत) तथा जिला खाद्य प्रयोगशाला में 1995 में 1155 से घटकर 1999 में 758 (34 प्रतिशत) हो गई। म.नि.स्वा.से. ने गिरावट को सरकारी खाद्य निरीक्षकों (स.खा.नि.) के खाली पदों को न भरे जाने पर आरोपित किया। इसके अतिरिक्त

उपकरणों की खरीद के लिए 1995-2000 के दौरान संस्थीकृत 39 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता का नि.खा.से. द्वारा उपयोग नहीं किया गया था।

हिमाचल प्रदेश में कीट नाशी अवशेषों तथा कुछ वैकिटिरियोलोजिकल तथा टोक्सोलोजिकल जांच 1995-2000 के दौरान नहीं की गई थी, जबकि संयुक्त जांच प्रयोगशालाओं में सभी परिष्कृत उपकरण, मशीनें तथा रसायनिक अधिकार्धक उपलब्ध थे। रा.खा.खा.प्रा. ने बताया (ओप्रेल 2000) कि योग्यता प्राप्त तकनीकी रसाफ की कमी के कारण जांच नहीं की जा सकी थी।

केरल में निवेशक स्वार्थ्य सेवा, सरकारी संस्थीकृति की अप्राप्ति के कारण 1995-2000 के दौरान उपकरण की खरीद के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये गए 36.11 लाख रु. का उपयोग करने में विफल रहा। शीतल भण्डारण सुविधाओं के अभाव के कारण प्रयोगशालाओं द्वारा नाशवान वस्तुओं जैसे सब्जियाँ, फलों, मछलियाँ, मांस, ब्रेड, टोस्ट तथा सम्बद्ध उत्पादों का विश्लेषण नहीं किया गया था। पैथोजिनिक वैकिटिरिया जिसके कारण हैंजा, टाइफाइड होता है, की पहचान के लिए आवश्यक उपकरणों के अभाव के कारण जांच नहीं की गई थी। मई 2000 तक कोई उपचारी कार्यवाही नहीं की गई थी।

मणिपुर में खाद्य जांच प्रयोगशाला के सुदृढ़िकरण के लिए मार्च 1997 में संस्थीकृत 7 लाख रु. का केन्द्रीय अनुदान राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों से जारी नहीं किया गया था। बहुत से अवसरों पर राज्य से बाहर जांच के लिए भेजे गये नमूनों के परिणाम प्राप्त नहीं किये गये थे, पारगमन से नमूने नष्ट हो गये थे तथा जिसके परिणामस्वरूप खाद्य वस्तुओं के अपमिश्न की जांच करने के लिए नमूना परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सका।

मेघालय में विद्यमान एकमात्र प्रयोगशाला की क्षमता प्रतिवर्ष 720 नमूनों अपेक्षित मानवण्ड के प्रति प्रतिवर्ष 250 नमूने हैं। प्रयोगशाला सुविधाओं तथा उपकरणों के संवर्धन के लिए मंत्रालय द्वारा संस्थीकृत 25.09 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता जून 2000 तक राज्य सरकार द्वारा ख.स्वा.प्रा. को जारी नहीं की गई थी।

राजस्थान में कोटा, भीलवाड़ा तथा भरतपुर में जन स्वार्थ्य प्रयोगशालाएँ जन विश्लेषकों की तैनाती न होने के कारण दिसंबर 1997 से सितंबर 1999 की विभिन्न अवधियों के दौरान कार्य नहीं कर रही थी जिसके परिणामस्वरूप इन प्रयोगशालाओं के स्टाफ पर 9.06 लाख रु. का अपव्यय हुआ।

जन विश्लेषकों की तैनाती न होने के कारण लोक स्वार्थ्य प्रयोगशालाएँ कार्य नहीं कर सकी।

तमिलनाडु में फसल संदूषण ऐसे अफ्लोटोबिस्टो, नाशिकीट शेष तथा खाद्य वस्तुओं में भारी धातु का पता लगाने के लिए म.नि.खा.से. ने सभी खा.खा.प्रा. को 1996-99 के दौरान विश्लेषण करने के निर्देश दिये। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि भारी धातुओं की विद्यमानता के लिए जांच कुछ ही मदों पर की गई थी जबकि एफलाटोबिस्टो तथा नाशिकीट शेष की जांच किसी भी प्रयोगशाला में नहीं की गई थी। जन विश्लेषकों द्वारा इसे प्रशिक्षित मानव शाकित तथा प्रयोगशालाओं में उपकरणों तथा

सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद जटिल रसायन जांच नहीं की गई।

संस्थीकृत मानव शाकित उपकरणों तथा प्रयोगशालाओं में रसायनों के अभाव के कारण फसल संदूषण के लिए जांच की जा सकी।

रसायनों की कमी पर आरोपित किया गया था। प्रयोगशालाओं में विश्लेषित खाद्य नमूनों की प्रतिशतता 1995-96 में 35 प्रतिशत से घट कर 1999-2000 में 12 प्रतिशत हो गई थी।

मिजोरम से विश्लेषण के लिए कोई भी नमूना प्राप्त नहीं हुआ था।

त्रिपुरा में, अगरतला में अगरतला 1990 में स्थापित की गई क्षेत्रीय खाद्य एवं औषध प्रयोगशाला (क्षे.खा.औ.प्र.) ने खा.अ.नि. तथा गैर-खा.अ.नि. दोनों के अन्तर्गत तीन राज्यों (त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम) में एकत्रित खाद्य वस्तुओं के नमूनों की जांच प्रयोग शाला के रूप में कार्य करना था। यह देखा गया कि 1996-99 के दौरान मणिपुर से केवल 6 नमूने प्राप्त हुये थे, मिजोरम से कोई भी नमूना प्राप्त नहीं हुआ था। यद्यपि प्रयोगशाला की जांच की क्षमता 1500 नमूने प्रतिवर्ष थी, 1996-99 के दौरान औसतन 556 नमूने प्राप्त किये तथा विश्लेषित किये गये थे, परिणामतः (i) 63 प्रतिशत तक का कम उपयोग (ii) स्टाफ के बेतन एवं भत्तों पर 15.24 लाख रु. का अनुत्पादक व्यय हुआ। आगे यह देखा गया कि राज्य सरकारों ने बिना किसी अभिलेखित कारण के उपकरणों की खरीद के लिए मंत्रालय से प्राप्त निधियों के जारी करने में 1 से 5 वर्षों का विलम्ब किया। राज्य सरकार द्वारा 1995-98 के दौरान जारी की गई 16 लाख रु. की निधियों में से केवल 15.05 लाख रु. के उपकरण खरीदे गये तथा 2 से 5 वर्षों से निष्क्रिय पड़े थे। इसके परिणामस्वरूप 15.05 लाख रु. का अनुत्पादक निवेश हुआ।

1994 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उपहार में दी गई मशीन दिसम्बर 2000 तक स्थापित नहीं हुई।

पश्चिम बंगाल में विभिन्न अन्तर्वेशनों का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (वि.स्वा.सं.) द्वारा उपहार में दी गई तरल वणलेख मशीन (मूल्य 8 लाख रु.) जो कलकत्ता प्रयोगशाला में 1994 में प्राप्त हुई, दिसम्बर 2000 तक स्थापित नहीं की गई थी। तीन अन्य बड़े उपकरण पिछले पांच वर्षों से खराब पड़े थे। इसके परिणामस्वरूप नाशिकीट शेष भारी धातु, अषलासेक्सिन, खाद्य योगज जैसे विभिन्न अन्तर्वेशनों की जांच नहीं हुई।

स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को खाद्य निरीक्षकों के न्यायालय में मामले प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन प्रारम्भ करने हेतु लिखित अनुमति जारी करना अपेक्षित है।

5.6 अभियोजन

खा.अ.नि. अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानों के अनुसार, जब राज्य खाद्य प्रयोगशाला में विश्लेषित किये गये खाद्य नमूने अपमिश्रित पाये जाते हैं स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों के लिए अभियोजन प्रारंभ करने हेतु लिखित स्वीकृति /अनुमति जारी करना अपेक्षित है जिनके आधार पर खाद्य निरीक्षक नामित न्यायालयों में शिकायत दर्ज कराएंगे। अभियोजन जितना सम्भव हो सके उतना शीघ्र प्रारम्भ किया जाना है, क्योंकि विक्रेता को दूसरे नमूने के विश्लेषण पर कार्यवाई कराने का अधिकार अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत है जो कि स्थ.स्व.प्र. द्वारा केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला में रखा गया है। वो महत्वपूर्ण हो जाएगा यदि नमूना पका हुआ खाद्य अथवा दूध से बना खाद्य हुआ, जो कि यदि विलम्ब किया गया तो गुणवत्ता को नष्ट करेगा।

1995-98 के दौरान दिसम्बर तक अपमिश्रित नमूनों, प्रारंभ किये गये अभियोजनों, न्यायालयों द्वारा निश्चित किये गये मामलों की स्थिति, मंत्रालय द्वारा बनाए गये अभिलेखों के अनुसार निम्न प्रकार थी:-

	1995	1996	1997	1998
अपमिश्रित पाये गये नमूनों की संख्या	8543	11221	9315	7834
प्रारंभ किये गये अभियोजन मामलों की संख्या	6721	7873	5909	4520
प्रारंभ न किये गये अभियोजन मामलों की संख्या तथा उनकी प्रतिशतता	1822(121)	3348(30)	3406(37)	3314(42)
न्यायालयों द्वारा निर्णय लिए गये मामलों की संख्या	3206	3510	3713	2715
मामलों की संख्या जहां न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के आदेश दिए गए	1697	1576	1612	990
न्यायालयों द्वारा दोषमुक्त किये गये मामलों की संख्या तथा न्यायालयों द्वारा निश्चित किये गये मामलों की प्रतिशतता	1509(47)	1934(55)	2101(56)	1725(64)

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि (i) अभियोजन मामलों में से लगभग एक तिहाई मामले प्रारंभ नहीं किये गये थे तथा (ii) न्यायालयों में दर्ज कराए गये लगभग 50 प्रतिशत मामले विफल रहे।

समस्त राज्यों के लेखापरीक्षा अवलोकनों ने अभियोजन मामले दर्ज करने में कमियों, अभियोजन मामले दर्ज करने में विलम्ब, मुख्यतः विभाग की अक्षमता के कारण दोषियों को दोषमुक्त करने में उच्च प्रतिशतता, मूल अभिलेखों का रख-रखाव न करना, खाद्य विश्लेषकों /निरीक्षकों की नियुक्ति न करना, सूचना जारी करने में विफलता इत्यादि को दर्शाया। यह नीचे विस्तृत किये गये हैं -

आन्ध्र प्रदेश में, यह देखा गया था कि 1995-99 के दौरान 4455 अपमिश्रित मामलों में से, 1144 मामलों में अभियोजन मामले दर्ज कराये गये थे (26 प्रतिशत), 1336 मामलों में विक्रेयताओं को चेतावनियां जारी की गई थीं (30 प्रतिशत) तथा बाकी 1976 मामलों में (44 प्रतिशत), अप्रैल 2000 तक खा.स्वा.प्र. द्वारा लिखित स्वीकृति की अनुपलब्धता के कारण अभियोजन कार्यवाईयां प्रारंभ नहीं की यह भी देखा गया कि 64 प्रतिशत

1976 मामलों में (44 प्रतिशत) लिखित स्वीकृति की कमी के कारण अभियोजन कार्यवाईयां प्रारंभ नहीं की सकी 64 प्रतिशत मामलों में आरोपों को प्रमाणित करने की विफलता के कारण विभाग के विपक्ष में न्यायालय ने निर्णय दिए।

मामले मुख्यतया आरोपों को प्रमाणित करने की उसकी विफलता के कारण विभाग के विपक्ष में निर्णीत हुए थे 24 प्रतिशत मामलों में खाद्य निरीक्षकों द्वारा आरोप-पत्र असाधारण विलंब से दाखिल करने तथा जैसा कि अपेक्षित था खाद्य निरीक्षकों की न्यायालयों में उपस्थिति में विफलता इत्यादि के कारण अभियुक्त आरोप मुक्त किये गये थे ।

गोवा में, 1995-2000 में निर्णय लिए गये 81 मामलों में 76 मामलों में (88 प्रतिशत), अभियुक्त बरी कर दिये गये थे क्योंकि विभाग “पंच” गवाह प्रतिकूल होने, “पंच” गवाहों की अनुपलब्धता, तथ्यों की पुष्टि न करने के आधार पर न्यायालयों में अपमिश्रण मामलों को प्रमाणित करने में विफल रहा ।

गुजरात में 95 प्रतिशत अभियोजन मामले न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये ।

गुजरात में नमूना जांच से पता चला कि 1995-99 के दौरान केवल लगभग 15 प्रतिशत मामलों में दोषसिद्धि हुई । निश्चित किये गये 436 मामलों में से 414 मामले (95 प्रतिशत) अपमिश्रण को प्रमाणित करने में विफलता, अभियोजन के लिए संस्खीकृति जारी न करने विश्लेषण तथा प्रतिवेदन की तिथियों में भिन्नता तथा विलम्ब से प्रारंभ किए गये अभियोजन के कारण दोषमुक्त हो गये थे ।

हरियाणा में 65 प्रतिशत अभियोजन मामले दोषमुक्ति में समाप्त हुए ।

हरियाणा में, 1995-99 (7/99 तक) 1584 मामले निर्णय किये गये थे, जिनमें से 1026 मामले (65 प्रतिशत) दोषमुक्ति में समाप्त हुए । इन में से 64 मामलों के विश्लेषण से पता चला कि खाद्य निरीक्षकों द्वारा उचित नमूने नहीं लिए गये थे क्योंकि दूध, चरभी तथा ठोस नमूनों को इकट्ठा मिलाने से निर्धारित मानदण्ड पूरा हो गया, दूध पूरी तरह हिलाया नहीं गया था, दूध की प्रकार इत्यादि इंगित नहीं की गई ।

हिमाचल प्रदेश में नमूना जांच से पता वला कि 1995-2000 के दौरान पाये गये अपमिश्रण /गलत छाप के 206 मामलों में से, 157 मामलों में अभियोजन मामले प्रारम्भ किये गये थे, तथा बाकी 49 मामलों में, कोई अभियोजन मामले शुरू नहीं किये गये थे तथा सम्बन्धित पक्षों को चेतावनी दे दी गई थी । ऐसा खा.अ.नि. अधिनियम/नियम के उल्लंघन में किया गया ।

केरल में अभियोजन मामले विलम्ब से दर्ज किए गए ।

केरल में, खाद्य निरीक्षक को विश्लेषण रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर अभियुक्तों के प्रति अभियोजन प्रारंभ करना है, 250 अभियोजन मामलों की नमूना जांच से पता चला कि 180 मामलों में अभियोजन मामले 60 माह के विलम्ब बीच के दर्ज किये गये थे । यह भी पाया गया था कि तीन अपमिश्रण मामलों में दो न्यायालय में दर्ज नहीं कराये गये थे तथा एक मामला न्यायालय से बाद में राज्य सरकार के आदेश से वापिस ले लिया गया था ।

कर्नाटक में, 521 अपमिश्रण मामलों में से, अभियोजन 190 मामले (36 प्रतिशत) में दर्ज कराया गया था । बंगलौर महानगर पालिका में, 102 अभियोजन मामलों में से 101 न्यायालयों द्वारा दोषमुक्त कर दिये गये थे ।

मणिपुर में 1995-2000 के दौरान कोई अभियोजन मामला प्रारंभ नहीं किया गया था

यद्यपि लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र से लिए गये 28 नमूनों में से 13 नमूने अपमिश्रित पाये गये थे। निदेशक ने इसे (अप्रैल 2000) जनविश्लेषक के रिक्त पद को आरोपित किया।

मेघालय में, सरकार द्वारा लिए गये 33 मामलों में से, 28 अभियोजन मामलों में दोषमुक्ति दी गई थी। इससे इंगित हुआ कि विभाग या तो अपर्याप्त बचाव या परीक्षण की घटिया गुणवत्ता के कारण उन मामलों को प्रमाणित करने में असफल रहा।

उड़ीसा में, चार जिलों के (बोलनगीर, गंजाम, बेहरामपुर तथा क्योन्जर) 46 अपमिश्रित गलत छापे वाले नमूनों में, स.स्व.प्र. ने सिवाए कुछ मामलों में चेतावनी पत्र जारी करने के, अभियोजन मामले दर्ज नहीं किये।

पंजाब में, 1995-2000 के दौरान 1185 अपमिश्रित मामलों में से, 1041 मामलों में अभियोजन मामले आरम्भ किये गये थे, जिनमें से 287 मामले न्यायालय द्वारा निश्चित किये गये थे। दोषमुक्ति 210 मामलों (73 प्रतिशत) में प्रदान की गई थी। निदेशक ने न्यायिक निर्णयों में पाई गई अभियोजन में कमजोरियों की कभी भी कोई समीक्षा नहीं की थी।

तमिलनाडु में, अभियोजन प्रारंभ करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में 5 माह से 3 वर्षों के बीच विलम्ब पाये गये थे। ऐसे विलम्बों के फलस्वरूप 50 प्रतिशत मामलों में अभियुक्तों की दोषमुक्ति हुई। आगे अभिलेखों की जांच से पता चला कि दोषमुक्ति के 108 मामलों के विषय में, दोषमुक्ति विभाग की ओर से प्रक्रियात्मक गलतियों जैसे अभियोजन प्रारंभ करने में विलम्ब, खाद्य निरीक्षकों की उनकी योग्यता के समर्थन में नियुक्ति आदेश/प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की अप्रस्तुति, सूचना जारी करने में विलम्ब, नमूनों इत्यादि के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण थी।

दोषमुक्ति के मामलों की उच्च प्रतिशतता विभाग की प्रक्रियात्मक गलतियों के कारण थी।

अभियोजन मामलों को दर्ज न कराने के कार्य भी कारण खा.स्व.प्रा. को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

त्रिपुरा में, 1996 तथा 1998 के प्रत्येक वर्ष के दौरान अपमिश्रित पाये गए 25 नमूनों में से क्रमशः केवल 22 तथा 11 मामलों में अभियोजन कार्यवाईयां प्रारंभ की गई थी, खा.स्व.प्र. बाकी बचे मामलों (1996 के 3 मामले तथा 1998 के 14 मामले) में अभियोजन प्रारंभ न करने के कारणों को स्पष्ट नहीं कर सका। पश्चिम त्रिपुरा जिले में 1997 के दौरान 12 नमूने अपमिश्रित पाये गये थे, स्था.स्व.प्र. अभियोजन प्रारंभ करने के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। 1998 में, दक्षिण त्रिपुरा जिले में 3 नमूने अपमिश्रित पाये गये थे, परन्तु अभियोजन केवल एक मामले में प्रारंभ किया गया था। यह भी देखा गया था कि मूल अभिलेख जैसे कि न्यायलय मामलों को दर्शाते हुए अभियोजन रजिस्टर, न्यायलय निर्णयों की प्रतिलिपिक, विधि सहायकों/लिपिकों की उपलब्धता के बावजूद न तो खा.स्व.प्रा./स्था.स्व.प्रा. द्वारा ही बनाए गए थे।

उत्तर प्रदेश में, अपमिश्रित के 366 मामलों में कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई थी तथा जनवरी 2000 तक 10258 मामले न्यायलय में लम्बित थे। 1995-99 में न्यायलयों द्वारा निश्चित किये गये 1712 मामलों में से, 1124 अपमिश्रित दोषी ठहराये गये थे तथा 588 (34 प्रतिशत) खा.स्व.प्रा. द्वारा मामलों के अपर्याप्त प्रतिपादन के कारण दोषमुक्त किये गये थे।

पश्चिम बंगाल में, जहां 1995 मामलों में अभियोजन प्रारंभ किये गये थे, केवल 515 मामले निश्चित किये गये थे जिनमें से केवल 109 मामलों (21 प्रतिशत) में आरोप-दर्ज किये गये थे तथा 406 मामलों (79 प्रतिशत) में दोषमुक्ति प्रदान की गई थी।

मध्य प्रदेश में, 11999 नमूने चुने गये 23 जिलों से लिए गए थे जिनमें से 2032 नमूने अपमिश्रित पाये गये थे, परन्तु समयोचित अभियोजन केवल 1499 मामलों में ही प्रारंभ की जा सकी थी। 11 मामलों में, तथापि नमूने अपमिश्रित बताये गये थे, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने न तो दूसरे विश्लेषण हेतु अन्य जन विश्लेषक को नमूने को अग्रेषित किया, न ही व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान की परन्तु अपमिश्रित के मामलों को समाप्त कर दिया जो कि अनियमित था।

राजस्थान में, नमूना जांच किये गये जिलों में, 1996-99 से सबंधित 104 मामलों खा.स्व.प्रा. की स्वीकृती, विक्रेताओं से पूर्ण सूचना तथा अग्रिम जांच न होने के कारण अभियोजन प्रारंभ नहीं किये गये थे, जो अभियोजन प्रारंभ करने में निष्क्रियता की सूचक है। 1995-99 के दौरान 161 मामलों में दोषमुक्ति के कारण (क) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा नमूनों को स्वीकृत करना (28), (ख) संदेह का लाभ (31), (ग) नमूनों की शीशीयों में नमूने एक रूप से नहीं मिलाये गये (6), (घ) न्यायलय के पास अभियुक्तों के अधूरे पते/अनुपस्थिति (47), (ङ) अभियुक्तों की मृत्यु (21), (च) विभाग द्वारा गवाह प्रस्तुत न करना (7), (छ) जन विश्लेषक द्वारा अनुपयुक्त जांच (3) तथा (ज) विवध कारण (18) के कारण थे।

11 राज्यों में 40102
मामले मार्च 2000
तक तीन वर्ष से
अधिक तक न्यायालयों
में लंबित पड़े थे

आगे 11 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश त्रिपुरा, पंजाब, उड़ीसा, तथा हरियाणा) में यह पाया गया था कि मार्च 2000 तक न्यायालयों में 40102 मामले लंबित पड़े थे। मंत्रालय के अभिलेखों से यह भी देखा गया थ कि 31 दिसम्बर 1997 तक देश में 55124 मामले न्यायालयों में लंबित पड़े थे, जिनमें से 30648 मामले (56 प्रतिशत) तीन वर्षों से भी अधिक समय से लंबित थे। यद्यपि राज्य सरकार ने विभिन्न न्यायालयों में कई वर्षों से लंबित पड़े मामलों को आगे बढ़ाने में कोई पहल नहीं की तथापि अधिनियम की धारा 16(क) में राज्य सरकार द्वारा अथवा महानगरीय न्यायाधीश द्वारा इसकी ओर से प्रथम श्रेणी के एक न्यायाधीश द्वारा विशेषरूप से अधिकार प्रदान करते हुए ऐसे मामलों की संक्षिप्त जांच करने का अनुबन्ध है।

5.7 अवसंरचना

अवसंरचना में सभी राज्य खाद्य प्रयोगशाला की प्रावधान करना तथा पर्याप्त मानव शक्ति की तैनाती अधिनियम को निष्पादन हेतु समिलित की गई।

उचित अवसंरचना की स्थापना राज्यों में खा.आ.नि. अधिनियम के सफल निष्पादन के लिए अनिवार्य पूर्व आवश्यकता थी। अवसंरचना में सभी राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं में अपेक्षित उपकरणों का प्रावधान करना तथा तकनीकी एंव गैर-तकनीकी पदों में पर्याप्त मानवशक्ति की तैनाती भी सम्मिलित थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि खाद्य प्रयोगशालाओं सहित अनेक सुविधाओं का सृजन किया गया था, उचित रूप से प्रशिक्षित पर्यवेक्षित ढांचे तथा कुशल तकनीशियनों की कमी के कारण उनका कार्य अप्रभावकारी हो गया।

केन्द्रीय सरकार ने 1995-2000 के वर्षों में विभिन्न राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त राशियां जारी की थी। अधिकतर राज्यों में बताया गया व्यय शून्य था, जबकि कुछ अन्य राज्यों में, केन्द्रीय अनुदान दूसरे उद्देश्यों के लिए विपथन किये गये थे। इस विषय के अन्तर्गत राज्य-वार जांच परिणाम पैराग्राफ 5.1 में वर्णन किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषद ने 1995 में खाद्य निरीक्षकों की तैनाती के निम्नलिखित मानक निर्धारित किए:

- (क) स्थानीय शहरी क्षेत्रों के लिए 50,000 जनसंख्या के प्रति एक पूर्णकालिक खाद्य निरीक्षक और
- (ख) 1,00,000 ग्रामीण जनसंख्या के प्रति एक खाद्य निरीक्षक

मुख्य पद में वांछित संस्थीकृत कार्यरत तथा रिक्त पदों को दर्शाने वाला विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

खाद्य निरीक्षकों के 2799 पद (59 प्रतिशत) खाली पड़े थे

राज्य का नाम	खाद्य निरीक्षक का पद			को
	संस्थीकृति (सं.)/वांछित (वां)	तैनात	रिक्त संख्या	
आन्ध्र प्रदेश	700 (वां)	293	407	अप्रैल 2000
অসম	11 (सं.)	1	10	मार्च 2000
गोवा	85 (वां)	8	77	मार्च 2000
गुजरात	500 (सं.)	175	325	मार्च 1999
हरियाणा	396 (वां)	26	370	मार्च 1999
हिमाचल प्रदेश	12 (सं.)	5	7	मार्च 1999
मध्य प्रदेश	349 (वां)	120	229	मार्च 2000
मणिपुर	25 (वां)	6	19	मार्च 2000
उड़ीसा	33 (सं.)	24	9	मार्च 1999

पांडिचेरी	9 (सं.)	7	2	मार्च 2000
पंजाब	17 (सं.)	12	5	मार्च 2000
तमिलनाडु	1200 (वां)	139	1061	मार्च 2000
उत्तर प्रदेश	1352 (सं.)	1089	263	मार्च 2000
पश्चिम बंगाल	44 (सं.)	29	15	मार्च 2000
जोड़	4733	1934	2799	

कुछ राज्य-वार विशेष टिप्पणियां नीचे दी गई हैं-

असम में, सात उप-मण्डल स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्यालयों में, खाद्य निरीक्षक/वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक का कोई पद संस्थीकृत नहीं किया गया था जबकि तिनसुकिया जिले के स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में संस्थीकृति के बिना चार खाद्य निरीक्षकों की तैनाती की गई थी।

गुजरात में, नमूना जांच किए गए बड़ोदरा भुज तथा राजकोट के जिलों में खाद्य निरीक्षकों की भरती में उनकी आवश्यकता के प्रति क्रमशः 76 से 88, 75 से 83 तथा 67 से 77 प्रतिशत की गिरावट आई है।

खाद्य निरीक्षक जन विश्लेषक तथा रसायनज्ञ 1 से 5 वर्षों की अवधि तक नियुक्त नहीं किये गये थे।

कर्नाटक में, 65 नगर क्षेत्रों में खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई थी तथा नमूना जांच किए गए 21 में से 15 प्रा.चि.के. में खा.नि. के पद रिक्त पड़े हुए थे। सात खाद्य प्रयोगशालाओं में जन विश्लेषकों (7) तथा रसायनज्ञों (35) के संस्थीकृत पदों के प्रति क्रमशः 4 व 18 पद रिक्त थे, दोनों पदों में रिक्त अवधि 1 से 5 वर्षों के बीच थी। यह भी देखा गया कि राज्य खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकरण राज्य खाद्य प्रयोगशाला में तैनात अधिक रसायनज्ञों की पुनः तैनाती करने में विफल रहा तथा उनके बेतन और भत्तों पर 27.08 लाख रु. का अधिक व्यय किया।

खाद्य निरीक्षक छ: वर्षों से अधिक समय तक नियुक्त नहीं किये गये थे

केरल में, 1995-96 से 1999-2000 के दौरान खाद्य प्रशासन में 19 से 21 तथा प्रयोगशालाओं में 5 से 25 रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि हुई है। जिला खाद्य निरीक्षक/मुख्य खाद्य निरीक्षक के पदों को भरने में 6 वर्ष से अधिक का अत्यधिक विलम्ब देखा गया जिसके परिणामस्वरूप 66 खा.नि.के कार्य का पर्यवेक्षण नहीं हुआ।

स्था.स्व.प्रा. के पदों को न भरने के कारण 22 स्थानीय क्षेत्र 10 वर्षों तक अक्रियाशील रहे।

पश्चिम बंगाल में, निदेशक का खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को उचित ढंग से लागू करने में विफलता स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा उप-मण्डल खाद्य निरीक्षकों के मुख्य पदों को न भरने /सृजित न करने के कारण प्रकट होती है, जिसके परिणामस्वरूप इन विवेचित पदों को न भरने के कारण 22 स्थानीय क्षेत्र 10 वर्षों की अवधि तक अक्रियाशील रहे। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, नाडिया जलपाइगुड़ी और बीरभूम की 5 राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए संस्थीकृत 5 जन विश्लेषकों में से कलकत्ता की प्रयोगशाला में केवल एक विश्लेषक की तैनाती की गई थी जब कि अन्य चार प्रयोगशालाएं 6 से 16 वर्षों तक रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण व्यावहारिक रूप से अक्रियाशील रही इस प्रकार बीरभूम और मुर्शिदाबाद में दो चिकित्सा शिल्पवौनिकों तथा

चार वर्ग (घ) कर्मचारियों को रोके रखने के परिणामस्वरूप वेतन और भत्तों के भुगतान पर 17.22 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ तथापि कलकत्ता की प्रयोगशाला जहाँ ऐसे दो पद रिक्त थे, मैं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मध्य प्रदेश में, 1995-2000 के दौरान तकनीकी स्टाफ की कमी 42 से 66 प्रतिशत के बीच थी। यह भी देखा गया कि जिलों में खा.नि. की तैनाती जिले के आकार के अनुसार नहीं थी। एक जिले (शाजापुर) में 1999 से किसी भी खा.नि. की तैनाती नहीं की गई थी। खा.नि. के सेवा निवृत्त होने से उत्पन्न रिक्त स्थान विभाग द्वारा भरे नहीं गए थे।

1995-1996 से 15 उपमण्डलों में से आठ को या तो सम्मिलित नहीं किया गया था या अंशतः सम्मिलित किया गया था।

त्रिपुरा में, जून 1995 और जून 1999 के दौरान चार खाद्य निरीक्षकों की सेवा निवृत्ति के पश्चात् किसी भी खाद्य निरीक्षक की तैनाती नहीं की गई। 3 पूर्णकालिक स्था.खा.प्रा. तथा 8 व.खा.नि. के पदों के सृजन हेतु राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की नवम्बर 1990 की सिफारिशों राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप 1995-96 से, 15 उप मंडलों में से आठ को या तो सम्मिलित नहीं किया गया था अशंतः सम्मिलित किया गया था।

राजस्थान में, कोटा, भीलवाड़ा तथा भरतपुर स्थित तीन जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं ने जन विश्लेषक की तैनाती न होने के कारण 1997-99 के दौरान 3 माह से एक वर्ष की अवधि के बीच कार्य नहीं किया, इसके अतिरिक्त प्रयोगशालाओं के बेकार बैठे स्टाफ के वेतन तथा भत्तों पर 9.06 लाख रु. का निर्धारक व्यय किया गया।

5.8 प्रशिक्षण

मंत्रालय द्वारा अपर्याप्त प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप खाद्य नमूनों के प्रति चयन एवं विश्लेषण के ज्ञान एवं तकनीक की उन्नति नहीं हुई।

मंत्रालय, ने अधिनियम के अंतर्गत प्रयोगशालाओं के अधिकारियों गलियों में खाद्य सामग्री बेचने वाले तथा उपभोक्ताओं के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त विभिन्न पदाधिकारियों जैसे वरिष्ठ अधिकारियों, रसायनज्ञों, खाद्य निरीक्षकों तथा उपभोक्ता संघों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मंत्रालय द्वारा 1995 से 2000 के दौरान दिया गया वर्षवार तथा स्तरवार प्रशिक्षण निम्न प्रकार है :

वर्ष	अधिकारियों/कर्मचारियों आदि के स्तर			
	वरि.स्तरीय अधिकारी	खाद्य निरीक्षक	जन विश्लेषक	उपभोक्ता
1996	शून्य	शून्य	21	48
1997	शून्य	शून्य	शून्य	17
1998	शून्य	31	26	शून्य
1999	शून्य	शून्य	17	15
2000	शून्य	शून्य	16	शून्य

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि आयोजित किया गया प्रशिक्षण सभी अधिकारियों तथा अन्य स्टाफ को सम्मिलित करने तथा कौशल को सुधारने तथा खाद्य सामग्री के नमूनों के विश्लेषण तथा प्रतिचयन की आधुनिक प्रविधियों के साथ उनकी जानकारी अद्यतन करने के लिए पर्याप्त नहीं था ।

राज्य सरकारों के अभिलेखे से प्रकट कुछ जांच परिणाम निम्नानुसार हैं-

हरियाणा में, जन विश्लेषकों ने, 1995-2000 के दौरान सरकारी खाद्य निरीक्षकों/तहसील सफाई निरीक्षकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया ।

विभाग ने बताया कि अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी ।

हिमाचल प्रदेश में, 1995-2000 के दौरान तकनीकी तथा गैर तकनीकी स्टाफ को उनके कौशल को उन्नत करने के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था । राज्य खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारी ने अप्रैल 2000 में बताया कि खा.अ.नि. अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण देना आवश्यक नहीं था । उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि कौशल उन्नयन एक निस्तर आवश्यकता है तथा अपने अधिकारियों/स्टाफ के लिए इसकी व्यवस्था करनी चाहिए ।

मध्य प्रदेश में, 1995-2000 के दौरान खाद्य निरीक्षकों के लिए कोई पुनर्शर्चर्या पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण/संगोष्ठी की व्यवस्था नहीं की गई थी ।

केरल में, विश्लेषण संबंधी स्टाफ को विश्लेषण सम्बन्धी उपायों के विकास से अवगत कराने के लिए कोई आवधिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था ।

मंत्रालय ने 1995 क्रे निर्देशों के बावजूद कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था ।

उत्तर प्रदेश में, यह देखा गया था कि 1089 खाद्य निरीक्षकों में से दिसम्बर 2000 तक शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 214 खाद्य निरीक्षकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था । महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा ने खाद्य निरीक्षकों के लिए पुनर्शर्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने हेतु राज्य सरकार के आदेशों (दिसम्बर 1996) के बावजूद मंत्रालय के दिसम्बर 1995 के निर्देशों का पालन नहीं किया ।

5.9 उपभोक्ता/जन जागरूकता

मंत्रालय के खा.अ.नि. प्रभाग के कार्यकलापों में से एक उपभोक्ता -जागरूकता का सृजन करना है । खाद्य अपमिश्रण के जोखिमों से सम्बन्धित उपभोक्ता जागरूकता प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने विभिन्न शैक्षिक सामग्री प्रकाशित की है । इस संबंध में, लेखापरीखा, (i) खाद्य अपमिश्रण के खतरे के बारे में जनता को पहले से सचेत करने/प्रचार करने की प्रणाली तथा (ii) क्या खाद्य विषाक्तिकरण के मामले अधिनियम की धारा 15 के अनुसार अधिसूचित किए गए थे, के बारे में पता लगाना चाहती थी । राज्यों में अभिलेखों की सर्वोंक्षा से निम्न प्रकट हुआ ।

5.9.1 प्रचार -प्रणाली

सात राज्यों में
कोई कार्य नहीं
किया गया था
क्योंकि इसके
लिए कोई बजट
उपलब्ध नहीं
कराया गया था

सात राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पांडिचेरी, पंजाब तथा राजस्थान) के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि विभाग द्वारा 1995-2000 के दौरान उपभोक्ता जागरूकता तथा प्रचार पर कोई कार्य नहीं किया गया था । राज्य नोडीय विभागों ने बताया था कि इस उद्देश्य के लिए कोई पृथक बजट उपलब्ध नहीं कराया गया था इसलिए इस कार्य को कार्यान्वयन नहीं किया जा सका ।

कुछ राज्य वार विशेष अधिकितयां निम्नानुसार हैं-

आन्ध्र प्रदेश में, यह सूचित किया गया था कि विभाग द्वारा उपभोक्ता जागरूकता के उद्देश्य के लिए कोई आधारभूत ढाँचा विकसित नहीं किया गया था ।

मेघालय में, मार्च 2000 को समाप्त हुए पांच वर्षों के दौरान विभाग ने केवल प्रकाशन पर उपभोक्ता जागरूकता के अंश के रूप में 0.14 लाख रु. के बजट प्रवधान के विषय 0.03 लाख रु. व्यय किये जिससे यह पता चला कि विभाग ने खाद्य अपमिश्न के खतरे के बारे में जन जागरूकता का सूजन करने की ओर उचित ध्यान नहीं दिया ।

हरियाणा में, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा ने फरवरी 2000 में बताया कि मंत्रालय/राज्य सरकार से उपभोक्ता जागरूकता पर प्राप्त अनुदेश अनुपालन हेतु सिविल सर्जनों को भेजे गए थे, लेकिन ऐसे कोई अनुदेश लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे । इसके आगे सुन्पुष्टि की गई थी, क्योंकि खाद्य अपमिश्न के खतरे के बारे में विज्ञापन, टेलिविजन/रेडियो के प्रसारण पर कोई खर्च नहीं किया गया था ।

पंजाब में, निदेशक ने अप्रैल 2000 में बताया कि अपमिश्न खाद्य के बारे में प्रचार समाचार पत्र दूरदर्शन/रेडियो आदि के माध्यम से किया गया था, परन्तु इस बारे में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को नहीं दिखाये गये थे ।

राजस्थान में, यह कहा गया था कि अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर के छ: बड़े शहरों में घर -घर जाकर रसोई में आम प्रयोग की खाद्य सामग्री के नमूने एकत्रित करने तथा अमिश्न के बारे में उन्हें सूचना देने के लिए खाद्य पदार्थों की यथास्थल जांच का व्यावहारिक प्रदर्शन करने के लिए विशेष दल (एक समन्वयक, एक महिला सम्पर्क कर्ता तथा एक खाद्य तकनीसियन को मिलाकर) भेजे गये थे (समय - समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जाना था । उप-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 1995-99 के दौरान समन्वयकों और खाद्य तकनीसियों के पद या तो संरक्षित नहीं हो थे या कर्मियों की तेजानी नहीं की गई थी । महिला सम्पर्क कर्ता की सेवाएं अप्रैल 95 से मार्च 2000 के दौरान, जुलाई 1998 से सितम्बर 1998 के अलावा कार्यालय में कार्य करने के लिए प्रयोग की गई थी ।

कोटा में उपभोक्ता जागरूकता के लिए समन्वयक एवं खाद्य तकनीसियन की नियुक्ति नहीं की गई थी तथा अप्रैल 1995 से मार्च 2000 के दौरान कार्यालय के कार्य के लिए महिला सम्पर्क कर्ता की सेवाएं प्रयोग में लाई गई ।

5.9.2 खाद्य विषयतीकरण के मामलों की सूचना

तीन राज्यों में खाद्य विषयतीकरण की सभी घटनाओं की सूचना देने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी

अधिनियम के धारा 15 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी खानीय क्षेत्र में अपने व्यवसाय चलाने वाले चिकित्सा व्यवसायियों से यह अपेक्षा कर सकती है कि वे, उनके ज्ञान में आने वाली, खाद्य विषयतीकरण की घटनाओं की सूचना ऐसे अधिकारी को दे जिसका अधिसूचना में विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो।

हरियाणा में, (मार्च 1999 तक) खाद्य विषयतीकरण के मामले रिपोर्ट करने के लिए कोई अनुदेश अधिसूचित नहीं किये थे तथा 1995-2000 के दौरान स्थिविल शैत्य-चिकित्सकों एवं म.नि.स्वा. से को भी ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई।

पंजाब में, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी इस प्रकार निजी साधनों से अपमिश्न के मामलों के परीक्षण निवारण के लिए सम्भावना की खोज नहीं की गई थी।

उपर्युक्त स्थिति से पता चलता है कि राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता/जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए थे। मंत्रालय ने स्थित्यवर 2001 में बताया कि राज्य सरकार को विषयतीकरण के मामले सूचित करने के लिए अनुरोध कर दिया गया है। तथापि मंत्रालय द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

5.10 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

राज्य सरकार तथा मंत्रालय दोनों के द्वारा विभिन्न चरणों में, अधिनियम के कार्यान्वयन का परीक्षण करना अनिवार्य है। मंत्रालय में केन्द्रीय खाद्य अपमिश्न निवारण खंड के क्रिया कलापों में से एक यह था कि, आवधिक सूचनाएं एकत्र करने तथा यथा थलों का दौरा करके राज्यों द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन की उन्नति का परीक्षण एवं परिवीक्षण करने के लिए राज्य सरकारों से भी विभिन्न रूपों जैसे निदेशालय मूल्यांकन करें। राज्य प्रा.त्था.स्वा.प्रा. के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन के परीक्षण की अपेक्षा खा.स्व.प्रा.त्था.स्वा.प्रा. के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन की और उनके परिणामों को, बिना कोई अनुवर्ती कार्यवाही किये, मंत्रालय को भेज दिया। मंत्रालय ने आगे की कार्यवाही संकलित किया तथा उन्हें वार्षिक प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया। इस नियमक्रम अभ्यास के अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा परियोजना के आवधिक परीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये थे। इस अधिनियम के कार्यान्वयन में मुख्य प्राधिकारियों के बीच क्रियात्मक जिम्मेदारी के अभाव के कारण के अतिरिक्त, राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय सरकार दोनों के परिवीक्षण के अभाव का परिणाम यह हुआ कि लगभग सभी राज्यों में खाद्य अपमिश्न के मामलों में बढ़ोतरी हुई।

सभी राज्यों में लेखापरीक्षा के नतीजों से ज्ञात हुआ कि परिवीक्षण बहुत कम या ना के बराबर था, तथा खाद्य अपमिश्न के बढ़ते हुए स्तरों के कारणों के विश्लेषण के लिए,

करने के लिए लम्बित मामलों पर अनुब्रह्मी कार्यवाही, बाट्य इकाईयों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स का विश्लेषण, राज्य सलाहकार समीति अक्रियात्मक रही, सूचना प्रणाली प्रबन्धन के विकास की ओर कोई प्रयास नहीं किये गये ।

छ: राज्यों में
परिवेशक एवं
मूल्यांकन के
लिए कोई
प्रक्रिया स्थापित
नहीं की गई
थी ।

राज्य वार विशेष टिप्पणियां नीचे दी गई हैं

पांडिचेरी, गोवा पंजाब, मेघालय, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के छ: राज्यों में परिवेशक एवं मूल्यांकन के लिये कोई प्रक्रिया स्थापित नहीं की गई थी ।

आस्म प्रदेश में, निवेशक खा.अ.नि. अधिनियम के कार्यान्वयन को अनुश्रवण करने में विफल रहे । 1985 में राज्य सलाहकार समिति केवल दो बार बुलाई गई तथा उसके बाद नहीं बुलाई गई (मार्च 2000)

असम में, एकत्रित किए गए खाद्य नमूनों का कोई अनुश्रवण, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के स्थान, अपराधियों के विरुद्ध समय पर कार्रवाही तथा निर्धारित प्रतिवेदन एवं विवरणी का प्रस्तुतीकरण नहीं था । अधिनियम के अन्तर्गत निषादन का आवधिक मूल्यांकन का भी कभी संचालन नहीं किया गया था । यह भी देखा गया था कि गोवाहटी, बारपेटा, तेजपुर, शिवासागर, एवं सिल्वर में क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षकों ने वरिष्ठ खाद्य निरीक्षकों (खा.अ.नि.) के खाद्य अपमिश्न निवारण के लिए कार्यों का अनुश्रवण नहीं किया था । खा.स्वा.प्रा. ने इस व्यपगत की कोई कार्रवाही नहीं की ।

हरियाणा में, म.नि.स्वा.से. वार्षिक कार्ययोजना जिसमें जब्त किए गए नमूनों की संख्या, राज्य/जिला लोक विशेषक को भेजे गए मासिक नमूनों की संख्या, विश्लेषण के परिणाम, आंख मिए गए अभियोजन मामलों की संख्या निर्णीत अभियोजन मामलों की संख्या आदि सिविल सर्जन से प्राप्त विभिन्न विवरणों शामिल हैं, के माध्यम से खाद्य अपमिश्न निवारण कार्यक्रम का अनुश्रवण करता है । यद्यपि, ये स्पष्ट सिविल सर्जन द्वारा अनुश्रवण प्रक्रिया की सहायता के लिए नियमित रूप से भेजी जाती हैं, रिपोर्ट का न तो म.नि.स्वा.से. और न ही निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा विश्लेषण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्यक्रम का अनुश्रवण अप्राप्ती था ।

हिमाचल प्रदेश में, मंत्रालय को य.खा.स्वा.से. द्वारा 1996 से 1998 की वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण में छ: से उन्नीस माह का विलम्ब था । इस प्रकार केन्द्रीय रूपर अनुश्रवण का गतिरोध पैदा हुआ जो पहले से ही अप्रभावी था । इसी प्रकार मंत्रालय को मु.वि.अ., मंडी द्वारा मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अगास्त 1996 से दिसम्बर 1999 तक 5 से 53 दिनों के बीच विलम्ब था । इसके अतिरिक्त, 1995-2000 के दौरान निवेशालय रूपर पर कोई भी अनुश्रवण कक्ष नहीं था और न ही किसी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में निरीक्षण किया जाता था । यह रसायन की कमी को आरोपित किया गया था । व.खा.स्वा.प्रा. द्वारा मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किए गए तथा उपलोक विशेषक द्वारा बताए, लिए गए एवं विश्लेषण किए गए नमूनों में काफी मात्रा में अन्तर था । इस विसंगति का कारण राज्य में अभिलेखों का अनुचित अनुश्रवण आरोपित किया गया । अप्रैल 2000 तक योजना का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया ।

स्टाफ की कभी के
कारण निवेशालय
रूपर पर अनुश्रवण
कक्ष की स्थापना
नहीं की गई

वित्तीय संस्थाओं को विभिन्न अन्य कार्य सौंपने तथा देहरे नियंत्रण के परिणामस्वरूप अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण अप्रभावी रहा। जिला स्तर पर नमूना जांच से पता चला कि सेलम जिला एवं थानजावूर जिला में, खा.नि. के निषादन के विश्लेषण के लिए कोई समीक्षा बैठक नहीं की गई थी, समीक्षा बैठकें संचालित करने की कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।

राज्य स्तर
सलाहकार
समीक्षा की इसके
गठन से कोई भी
बैठक आयोजित
नहीं हुई।

तमिलनाडु में, यह पाया गया था कि खा.नि. निरीक्षकों को विभिन्न अन्य कार्यान्वयन और विभिन्न अन्य कार्य सौंपने तथा देहरे नियंत्रण के परिणामस्वरूप अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण अप्रभावी रहा। जिला स्तर पर नमूना जांच से पता चला कि सेलम जिला एवं थानजावूर जिला में, खा.नि. के निषादन के विश्लेषण के लिए कोई समीक्षा बैठक नहीं हो गई थी, समीक्षा बैठकें संचालित करने की कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।

त्रिपुरा में, खा.स्का.प्रा. जो शिखर अनुश्रवण अभिकरण थी, खाद्य पदार्थों के नमूने योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक करने का निर्णय लिया गया, जबकि गठन के बाद एक भी बैठक नहीं की गई, इस प्रकार अनुश्रवण अप्रभावी रही।

उत्तर प्रदेश में, खा.स्का.प्रा. जो शिखर अनुश्रवण अभिकरण थी, खाद्य पदार्थों के नमूने लेने, लाइसेंस जारी करने, अधियोजन आदि के सम्बन्ध में मासिक/वार्षिक विवरणों के अनुश्रवण करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में कोई भी राज्य स्तर अंकड़ों का अपाव रहा।

6. निष्कर्ष

लेखापरीक्षा समीक्षा ने अधिनियम के संचालन को विभिन्न मोर्चों पर विफलता के बहुत दृष्टांत उजागर किए हैं। राज्य में कई खाद्य संगठन के प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण के प्रारंभिक प्रयास अधिकातर राज्यों द्वारा नहीं किए गए जिसके फलस्वरूप अधिक संख्या में खाद्य संगठन उससे वर्जित रहे। उन मामलों में जहां लाइसेंस जारी किए गए थे, उनके नवीनीकरण के अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप देश में गैंग-लाइसेंस खाद्य संगठनों का परिचालन अधिक संख्या में रहा। ऐसा पाया गया कि अधिक मात्रा में उपयुक्त की जाने वाली वस्तुएं/ मोसमी खाद्य वस्तुएँ जिनमें मिलावट की अधिक संभावना थी, कम उताई गई जबकि विद्युत कम्पनियों की ट्रेड मार्क या कम मिलावट वाली वस्तुएं अधिक मात्रा में उताई गई। यह भी देखा गया कि खाद्य निरीक्षकों ने पहले के महीनों के बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष के अंत में अधिक नमूने उताएं जिसके परिणामस्वरूप गर्भ के मौसम में, आईस क्रीम, जूस आदि मोसमी पदार्थ के नमूने कम उताएं गए। राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं में खाद्य नमूनों का उचित विश्लेषण नहीं किया गया जैसा कि या तो उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए या जन शक्ति अपर्याप्त थी। राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं का अधिकांशतः कम प्रयोग रहा। अधियोजन के मामले में यह भी देखा गया कि न्यायालय में अपमिश्रण मामलों के अधियोजन के आंख करने में विफलता तथा प्रशासनिक कमजोरी के कारण अपियुक्तों का अधिक मात्रा में विमुक्त किया जाना था। न्यायालय में 55124 लंबित मामलों में से दिसंक्त 1997 तक तीन वर्षों से अधिक 30648 मामले लंबित थे। (दिसंक्त 2000 में जारी मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार)। आदाखून सुविधाओं का प्रबन्ध विशिष्टतः अपर्याप्त पाया गया था। 1995-2000 के दौरान राज्य सरकार की प्रयोगशाला को उपकरणों की प्राप्ति से सुदृढ़ करने के लिये दिया गया केन्द्रीय अनुदान प्रयोग नहीं किया गया। सारे राज्यों में खाद्य निरीक्षकों की तेजाती में महत्वपूर्ण कमी देखी गयी, जिससे खाद्य प्रदार्थों के नमूनों का अपर्याप्त

एकत्रण हुआ । अधिनियम में विभिन्न अधिकारियों को नमूने लेने खाद्य विश्लेषण आदि की नर्मितम तकनीक से अपार उत्पादन करने के द्वितीयों से प्रशिक्षण से प्रशिक्षण का प्रावधान था | 1995-2000 के दौरान केवल 31 खाद्य निरीक्षक, 80 जन विश्लेषक और 80 उपभोक्ता संगठनों को प्रशिक्षण दिया गया लेकिन कोई उच्च स्तरीय अधिकारी प्रशिक्षित नहीं किया गया । अधिकतर राज्यों में उपभोक्ता जागरण के लिये कोई भी कौशिक्षण नहीं की गयी, जबकि कुछ राज्यों में, यद्यपि मिलावटी खाद्य पदार्थों के लिये प्रचार किया गया बताया गया था, लेकिन इसके अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये । इस अधिनियम को लागू करने के लिए परिवीक्षण और मूल्यांकन की कमी थी । लेखापरीक्षा में सारे राज्यों में विभिन्न कमियां पाई गयी जैसे किसी भी योजना को परिवेक्षण करने की प्रक्रिया की अनुस्थिति, बेमन से परिवेक्षण की दिशा में प्रयास, केन्द्रीय परिवेक्षण की कमी, प्रबन्ध सूचना तंत्र के विकास की दिशा में प्रयासों की कमी और अनुवर्ती कार्यवाही का पूरी तरह अभाव । राज्य स्तर पर खा.अप.नि. अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू तथा क्रियान्वित करने का कार्य अपर्याप्त रहा है ।

राज्य सरकारों के समन्वय तथा परामर्श से अधिनियम का क्रियान्वयन किस तरीके से किया जा रहा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है ।
मामला मन्त्रालय को अप्रस्तु 2001 में भेजा गया था, उनका अन्तिम उत्तर अक्टूबर 2001 तक प्रतीक्षित था ।

(हुकमसाद दास)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली


दिनांक: 22 नवम्बर 2001

प्रतिहस्ताक्षरित

(विजय कृष्ण शुंगानु)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 22 नवम्बर 2001



परिशिष्ट - I
(पैराग्राफ 4.1 देखें)

मंत्रालय द्वारा नियमों मे किये गये संशोधनों का विवरण

क्र.सं.	नियम संख्या	अधिसूचना की तिथि	संशोधन संक्षेप मे
1.	4(1)(क)	16.5.1988	विश्लेषण के लिये खाद्य का नमूना भेजने का तरीका
2.	4(6)	20.1.1956	खाद्य विश्लेषण का प्रमाण पत्र जारीकरने के लिये 1000 रु. की फीस में पुनरीक्षण।
3.	8	18.2.1980	खाद्य निरीक्षक की योग्यता में संशोधन।
4.	20	23.8.1990	दूध, क्रीम, दही, खोया आदि के नमूनों में परिस्कृत का प्रयोग
5.	28	23.1.1973 4.6.1997	खाद्य में प्रयोग होने वाले कुछ खाद्य कृत्रिम रंग।
6.	44	8.7.1968 20.11.1956 17.11.1962 8.7.1968 9.12.1958 2.3.1987 13.8.1969	वनस्पति, कॉफी, दूध, दही, घी, क्रीम आदि जैसे निश्चित अधिमिश्रितों की प्रतिबंधित बिक्री।
7.	44 अ.अ.	31.1.1979	फलों के पकाने में कार्बाइंड गैस के प्रयोग को रोकना
8.	44 एच.	27.5.1998	सामान्य नमक की बिक्री पर रोक।
9.	49 (5)	19.3.1986	प्लास्टिक माल से बनाये गये डिब्बे जो कि आइ.एस.आइ. विशिष्टताओं को निर्धारित नहीं करते यदि खाद्यों की तैयारी में प्रयोग किये गये तो मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त समझे जायेंगे

10.	50 (1)	8.7.1968 9.8.1984 23.3.1985	लाइसेंस के अतिरिक्त खाद्य की किसी भी वस्तु की बिक्री न होना ।
11.	57	9.12.1958	पेय पदार्थ में जहरीली धातुओं की सीमा को निर्धारित करना जो नियमों में जोड़ी गई ।
12.	65	8.7.1968	नियमों में लागू कीट नाशी का सीमित मात्रा में प्रयोग आरम्भ करना ।

परिशिष्ट -II
(पैराग्राफ 4.3 देखें)

क्र.सं.	राज्य	नियम का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	मार्च 1958, में जारी किया गया आंध्र प्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1957।
2.	असम	असम खा.अप.नि. नियम 1960, जिसका 1983 में संशोधन किया गया।
3.	गोवा	गोवा खा.अप.नि. नियम, 1982
4.	गुजरात	गुजरात खा.अप.नि. नियम 1961
5.	हिमाचल प्रदेश	1984 में संशोधित खा.अप.नि. नियम 1958।
6.	केरल	केरल खा.अप.नि. नियम 1957
7.	मणिपुर	मणिपुर खा.अपमिश्रण निवारण नियम 1958
8.	मेघालय	मेघालय खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1991
9.	मध्य प्रदेश	म.प्र. खा.अप.नि. नियम 1962
10.	पांडिचेरी	पांडिचेरी खा.अप.नि. नियम 1970
11.	पंजाब	खा.अप.नि. (पंजाब) नियम 1958
12.	राजस्थान	राजस्थान खा.अप.नि. नियम 1957
13.	तमिलनाडु	मद्रास (त.ना.) खा.अप.नि. नियम 1961
14.	त्रिपुरा	त्रिपुरा खा.अप.नि. नियम 1958 और 1966 में संशोधित
15.	उत्तर प्रदेश	उ.प्र. खा.अप.नि. नियम 1976

